लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३६, १९५९/१८८१ (शक)

[३० नवम्बर से ११ दिसम्बर १९५९/९ से २० अग्रहायण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

318 (Ai) L.S.D.—10.

विषय सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खंड ३६—अंक ११ से २०—३० नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५९/९ से २० अग्रहायण, १८८१ (शक)

अंक ११—सोमवार ३० नवम्बर, १९५९/९ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित* प्रश्न संख्या ३९९, ४०१ से ४०५, ४०७, ४०९, ४१३ से ४१६, ४३४, ४१७, ४१८, ४२२, ४२४ तथा ४२६ . . ११३५–५८

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— ११५८–६३

तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०६, ४०८, ४१० से ४१२, ४१९ से ४२१, ४२३, ४२५, ४२७ से ४३३ तथा ४३५ से ४४२ ११६३–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ७०० . ११७४–१२११

स्थगन प्रस्ताव— . १२११–१५

(१) आसनसोल में विस्फोट।

(२) बम्बई में स्थित चीनी तथा अमरीकी वाणिज्य-दूतावासों की घटना।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२१५–१९

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम (निरीक्षण और नियंत्रण) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . १२१९

भारतीय सांख्यिकीय संस्था विधेयक—पुरस्थापित १२१९

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक १२२०

विचार करने के लिये प्रस्ताव १२२०–४८

दैनिक संक्षेपिका . १२४८–५४

अंक १२—मंगलवार, १ दिसम्बर, १९५९/१० अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित* प्रश्न संख्या ४४३, ४४४, ४४६ से ४४९, ४५१ से ४६०, ४६२ से ४६४, ४६६ और ४६८ १२५५–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४५, ४५०, ४६१, ४६५, ४६७, ४६९ से ४८९ १२८०–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०१ से ७७३ . . १२९२–१३२४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) त्रिवेन्द्रम में कुछ लोगों की न्याय-विरुद्ध गिरफ्तारी तथा रिहाई। १३२४—२६

(२) अमृतसर-पठानकोट रेल मार्ग पर विस्फोट—

आसनसोल में विस्फोट के बारे में . . . १३२६–२७

चिंघाई-तिब्बती राजपथ के बारे में वक्तव्य . . . १३२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२८–२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १३२९

श्रीपुर कोयला खान के अन्दर छत का गिरना।

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . . १३३०—५३

खंड २, ३ और १ . . . . . १३५४–५५

पारित करने के लिये प्रस्ताव १३५५

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक --

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . १३५५—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३६३—६९

अंक १३—बुधवार, २ दिसम्बर, १९५९/२२ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ४९० से ५०५, ५०८ और ५०९ . १३७१—९६

प्रश्नों क लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७ और ५१० से ५४३ . . १३९६—१४१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७४ से ८३६ . . . . १४१२—४४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर में शुद्धि . . . १४४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १४४४–४५

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) १४४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . १४४५

बावनवां प्रतिवेदन—

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना का स्पष्टीकरण करने वाला वक्तव्य १४४५–४६

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक—पुरस्थापित . . १४४६

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक . . १४४६—५१

पृष्ठ

विचार करने के लिये प्रस्ताव १४४६—५१
खंड २, ३ और १ . १४५१—६८
पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . १४६८—६९
वर्ष १९५९—६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) . . १४६९
विधि व्यवसायी विधेयक . . १४६९—८०
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव ।
दैनिक संक्षेपिका १४८१—८६

अंक १४—गुरुवार, ३ दिसम्बर, १९५९/१२, अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ५४४, ५४५, ५४७ से ५५६ और ५५९ १४८७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४६, ५५७, ५५८ और ५६० से ५८० १५११—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८३७ से ९२० १५२२—६३

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी प्रक्रिया १५६३—६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५६४
राज्य सभा से सन्देश . . . . . १५६४—६७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १५६७
दिल्ली में भूमि का अर्जन—
केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९—पुरःस्थापित . . १५६७
चीनी (विशेष उत्पादन-शुल्क) विधेयक—पुरस्थापित . . . १५६७
चीनी (विशेष उत्पादन-शुल्क) अध्यादेश के बारे में विवरण . . १५६७
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १५६७

विधि-व्यवसायी विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव . . . . १५६९—८५

दहेज निषेध विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १५८५—८८
डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना के बारे में प्रस्ताव . १५८८—९९
दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६०१—०७

विषय सूची पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार, ४ दिसम्बर, १९५९/१३, अग्रहायण १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९२, ५९४ से ५९६ और ६०० . . . . १६०९—३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १६३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९३, ५९७ से ५९९, और ६०१ से ६०९ . १६३७—४४

अतारांकित प्रश्न सख्या ९२१ से ९६९, ९७१ से ९८७, ९८९ से ९९९ और १००१ से १००४ . . . . . १६४४—८०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . . . १६८०—८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १६८३—८४

राज्य सभा से सन्देश १६८४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . १६८४—८७
जामुरिया बाजार में विस्फोट ।

मतविभाजन के परिणाम में शुद्धि १६८७

सभा का कार्य . . . . . १६८७—८९

केरल विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित . . . १६८९—९०

दहेज निषेध विधेयक ।

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप हुं विचार करने के लिये प्रस्ताव . १६९०—१७०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . १७०५—०६
बावनवां प्रतिवेदन ।

देश के प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में संकल्प . . . १७०६—३७

औषधि उद्योग के सरकारी उपक्रम के रूप में विकास के बारे में संकल्प . १७३७

कार्य-मंत्रणा समिति । १७३७
छियालीसवां प्रतिवेदन

दैनिक सक्षेपिका . . . . . १७३७—३८

विषय सूची पृष्ठ

अंक १६—सोमवार, ७ दिसम्बर, १९५९/१६ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६१० से ६२२ ६२४ और ६२५ . . १७४५—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न सख्या ६२३ और ६२६ से ६५६ १७६८—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १००५ से १०१५ और १०१७ से १०६५ १७८२—१८०५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८०५—१०

राज्य सभा से सन्देश १८१०

विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक . १८१०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १८१०—११

उत्तर प्रदेश में मकानों के किरायों में वृद्धि ।

कार्य मत्रणा समिति . १८११—१२

छियालीसवां प्रतिवेदन ।

दहेज निषेध विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८१२—३५

खड २ और ३ ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . १८३५—५०

मैथौनल प्लांट, सिन्दरी के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १८५०—५४

दैनिक सक्षेपिका . . . १८५५—६१

अंक १७—मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९५९/१७ अग्रहायण १८८१ (शक)

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* सख्या ६५७ स ६६३ और ६६५ से ६७२ १८६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ और ६७३ से ६९६ १८८६—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ से ११३९ . १८९७—१९३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १९३४—३५

अमृतसर-पठानकोट रेल मार्ग पर विस्फोट ।

विषय सूची	पृष्ठ

दहेज निषेध विधेयक—

खंड २ और ३ . . . . . . १९३५—५१

खान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . . . . १९५१—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . १९६१—६७

अंक १८—बुधवार, ९ दिसम्बर, १९५९/१८, अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६९७ से ७०७, ७१० और ७१२ . . १९६९—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७०९, ७११ और ७१३ से ७५२ . १९९३—२०१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११९५ और ११९८ से १२२७ . २०१२—५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०५४-५५

राज्य सभा से सन्देश २०५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २०५६

तिरेपनवां प्रतिवेदन ।

मनीपुर भु-राजस्व तथा भुमि सुधार विधेयक—पुरःस्थापित . . २०५६

दहेज निषेध विधेयक २०५६-५७

खंड २, ४ से १० और १ . . . . . . २०५७—७३

पारित करने के लिये प्रस्ताव २०७३

खान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . . . . २०७३—७९

भारतीय श्रम सम्मेलन के सोलहवें अधिवेशन की कार्यवाही . . २०७९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २०९३—९८

अंक १९—गुरुवार, १० दिसम्बर, १९५९/१९ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ७५३ से ७६७ . . . . २१०९—२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २१२३—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ से ७९२ . . . . २१२६—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२८ से १२८२ . . . २१३७—५८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१५८—५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २१५९—६०

दक्षिण रेलवे पर लाइन का टूट जाना ।

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . २१६१—६३

खान (संशोधन) विधेयक . . २१६३—७०

विचार करने के लिये प्रस्ताव २१७०

खंड २ से २९, ३१ से ४३, नया खंड ४३ क, ४४ से ४७, ३० और १ . २१७०—८६

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २१८६—८७

वर्ष १९५९—६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . २१८७—२२०४

दैनिक संक्षेपिका . २२०५—१०

अंक २०—शुक्रवार, ११ दिसम्बर, १९५९/२० अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ८०७, ८१० और ८११ . . २२११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९ और ८१२ से ८२६ २२३४—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८३ से १३४७ . . २२४०—७२

स्थगम प्रस्ताव . . . . २२७२—७६

श्री करम सिंह के साथ किया गया व्यवहार ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२७६

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३ के उत्तर की शुद्धि . . . २२७६—७७

सभा का कार्य . . . . . २२७७—७८

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २२७८—८३

नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव . . . २२८३—८४

त्रिपुरा भु-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक . . . २२८४—९५

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति . . २२९५

तिरेपनवां प्रतिवेदन ।

विधेयक —पुरःस्थापित . . . . . २२९५—९९

(१) विधि व्यवसायी सशोधन विधेयक (श्री अजित सिंह सरहदी का) [नई धारा १४क का रखा जान तथा धारा ४१ का सशोधन] ।

(२) भारतीय विधि व्यवसायी परिषद् (संशोधन) विधेयक (श्री अजित सिंह सरहदी का) [धारा १२ और १५ का संशोधन] ।

पृष्ठ

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (श्री डी० चं० शर्मा) [धारा २ और ३ का संशोधन]।

जन संख्या नियंत्रण विधेयक . . २२९६—९९

पुरःस्थापन की अनुमति अस्वीकृत।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक के बारे में . . . २२९९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (श्री बाल्मीकी का) [धारा १४ का संशोधन]—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . २२९९—२३१३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . .

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, ११ दिसम्बर, १९५९

२० अग्रहायण, १८८१ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जमाए हुए तेल

+

†*७९३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात का निश्चित पता लगाया है कि जमाये हुए तेलों के उपभोक्ताओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : उपभोक्ताओं पर जमाये हुए तेलों के प्रभाव के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में हुए कार्य की जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]

†श्री राम कृष्ण गुप्त : विवरण से विदित होता है कि अब तक जो भी प्रयोग किये गये हैं वे तुलनात्मक रूप में अल्पकालीन थे । क्या कोई भी दीर्घकालीन प्रयोग करने का विचार है ?

†श्री करमरकर : मैं इसके बारे में विचार करूंगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पहिले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि वनस्पति को उचित रंग देने सम्बन्धी जांच पड़ताल हो रही है । क्या इस सम्बन्ध में कोई सफलता मिली है ?

†श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं । इस बारे में भारतीय वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद् अधिक जानती है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विवरण में उल्लेख है कि अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । निश्चित निष्कर्ष कब तक निकाला जा सकेगा ?

†**श्री करमरकर** : निश्चित निष्कर्ष यह है कि यदि सम्भव हो तो जमाये हुए तेलों की अपेक्षा ताजे तेल अधिक पसन्द किये जायें । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम जमाये हुए तेलों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं अपितु ताजा तेल जमाये हुए तेल से निश्चय ही उत्तम है ?

†**श्री वी० चं० शर्मा** : ये प्रयोग कहां, कितने व्यक्तियों पर और किसने किये ?

†**श्री करमरकर** : कुछ वर्ष पूर्व एक प्रयोग आइटजनगर में किया गया था और बाद में हाफकिन्स इंस्टीट्यूट में किया गया । मैं पोषाहार अनुसन्धान संस्था से तीसरा प्रयोग करने की प्रार्थना करने का विचार कर रहा हूं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि जो स्टेटमेंट अभी यहां रखा गया है उसमें अनेक महत्वपूर्ण चिकित्सकों की राय नहीं आई है और क्या यह बात भी सही है कि इस सम्बन्ध में अब जो चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, उनकी यह स्पष्ट राय हो गई है कि आजकल जो दिल की बीमारियां होती हैं उसमें जमा हुआ तेल प्रधान कारण है ? साथ ही क्या यह बात भी सही है कि इन रायों के कारण से अब हमारे प्रधान मंत्री जी के यहां भी यह तेल जाना बन्द हो गया है ? ऐसी हालत में क्या सरकार यह बात सोच रही है कि इसका जमाया जाना बन्द हो जाए और सोच रही है तो कितने दिन में यह काम हो जाएगा ?

श्री करमरकर : प्रधान मंत्री के यहां क्या चल रहा है, इसका पता मुझे नहीं है । फिर भी यह बात ठीक है जैसा मैं ने पहले इस हाउस में अर्ज़ किया था और विशेषज्ञों से इस बात का पता लगाया गया है कि ओवर-कंजम्प्शन इस हाइड्रोजिनेटिड आयल का और ओवर-फैट के कंजम्प्शन से हार्ट केसिस का सम्बन्ध है । ऐसा उन्होंने मान भी लिया है । दूसरे यह बात भी है और इसको भी उन्होंने माना है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हाइड्रोजिनेटिड आयल थोड़ा खाएं तो भी हो जाएगी, ज्यादा खायेंगे तो होगी । आम तौर से हाइड्रोजिनेटिड आयल ज्यादा परिमाण में खाने से और फैट्स ज्यादा परिमाण में खाने से कोई चीज़ हो जाती है, कोई खतरे में पड़ जाते हैं । पर मैं ने अपने विशेषज्ञों से यह भी पता लगाया है, और उनसे परीक्षण करवाएं हैं और उन्होंने मुझे राय दी है कि हिन्दुस्तान में थोड़ी फैट्स ही लोग खाते हैं । फिर मैं ने उनसे पूछा कि हाइड्रोजिनेटिड आयल और फ्रैश आयल दोनों मौजूद हैं और इनमें से कौन-सा खाया जाए, उन्होंने साफ कह दिया कि फ्रैश आयल अच्छा है ।

†**डा० मेलकोटे** : क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श यह है कि जमाये हुये तेल के स्थान पर गाय या भैंस का घी प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है ?

†**श्री करमरकर** : यदि माननीय मंत्री कुछ मास पहिले की सदन की चर्चा पढ़ें तो उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त हो जायगी और वह इससे अधिक सन्तोषजनक होगी जो मैं अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दे सकता हूं ।

†**श्री वें० प० नायर** : विवरण से विदित होता है कि जमाये हुए तेलों से "Serum-Cholesterol" की मात्रा बढ़ जाती है और इसका सम्बन्ध "Atherosclerosis" से है । क्या मक्खन और गोले के तेल के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रयोग किये गये हैं क्योंकि उनमें भी परिपूर्णित चर्बी अम्ल होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : अन्य तेलों की अपेक्षा गोले का तेल असन्तोषजनक है। अधिक मक्खन खाने का भी वही परिणाम होता है जो जमाये हुए तेल अधिक खाने का होता है।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मामूली जो तेल है वह इससे बेहतर है। ऐसी हालत में जब कि यह माना जाता है कि मामूली तेल बेहतर है तो इसका जमाया जाना क्यों बन्द नहीं किया जाता है जिससे यह भी मामूली तेल हो जाए और लोग इसे खाने लग जाएं ?

श्री करमरकर : जो तेल यहां खाया जा सकता है उससे ज्यादा यहां पैदा होता है। साथ ही तेल को ज्यादा वक्त तक रखा जाए तो वह बिगड़ जाता है। उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है। उसकी इंडस्ट्री भी बढ़िया इंडस्ट्री है। ऐसी हालत में आप जैसे लोग फ्रैश तेल खायें तो अच्छा है, यह मिलता भी काफी है।

रूपनारायण नदी पर पुल

+

†*७९४. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री न० म० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायण नदी पर (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६) सड़क का पुल बनाने के लिए अन्तिम और नया ठेका दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) क्या विभागीय आधार पर यात्री घाट के स्थान पर जटी बना दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान्। टेण्डर आ गये हैं और काम टेण्डरों की जांच होने के बाद दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नहीं, श्रीमान्। यह ठेके पर बन रही है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि नदी पर पुल बनाने और कलकत्ता से बम्बई तक के संख्या ६ राजपथ को मिलाने की योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई है और वर्षों तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई ? क्या यह द्वितीय योजना काल में पूरी हो जाएगी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सच है कि यह फरवरी १९५६ में मंजूर हुई थी। आरम्भ में पुल का डिजाइन 'प्री-स्ट्रेसड्कंक्रीट' का था परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण पुल के लिए अपेक्षित 'हाइ-टेंसिल स्टील' प्राप्त न हो सका। अतः आर० सी० सी० डिजाइन आरम्भ किया गया और उसमें समय लगा। तत्पश्चात् स्थिति में कुछ सुधार हो गया है और हमने फिर 'प्री--स्टेसड् कंक्रीट' अपना ली है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई से यह विलम्ब हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या 'पावर क्राफ्ट' प्राप्त कर लिया गया है ताकि जेटी के तैयार होने पर विलम्ब न हो ?

†**श्री राज बहादुर :** 'मोटर बोट' का भी पुनरीक्षित प्राक्कलन मांगा गया है। 'मोटर वोट' का प्रयोग करने से पहिले जेटी बनानी होगी। जेटी बनाना भी कठिन था क्योंकि समय समय पर भारी बाढ़ आई और वे नींव बहा ले गई।

†**श्री सुबोध हंसदा :** प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने 'नहीं' कहा। परन्तु १२ अगस्त, १९५९ को एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि नये टेण्डर प्राप्त करने की अन्तिम तारीख २८ अगस्त, १९५९ थी। क्या मैं यह समझूं कि निर्धारित तारीख तक सरकार को कोई टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ ?

†**श्री राज बहादुर :** वास्तव में अधिक समय दिया गया था और अन्तिम तारीख १४ सितम्बर कर दी गई थी। अतः इन दोनों तारीखों में कुछ अन्तर है।

पोत-निर्माण

+

†*७९५. { **श्री सुबोध हंसदा**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न तथा वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशनों हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जो नौ पोत बनाने के लिए क्रमादेश दिये हैं उनके निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्रमादेश दिये जाने के बाद कारपोरेशनों को कितने पोत दिये गये हैं ; और

(ग) इन पोतों के लिए कारपोरेशनों से कुल कितना धन लिया गया है .

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नौ पोतों के लिए क्रमादेश दिया गया था। उनमें से एक यात्री-व-सामान पोत का क्रमादेश रद्द कर दिया गया है। शेष आठ पोतों में से ४ पोतों के लिए कीलें बन गई हैं और उनमें से एक ३१ दिसम्बर १९५९ को आरम्भ होगा। आशा है कि अन्य ४ पोतों की कीलें १९६०-६१ में डाली जायेंगी।

(ख) अभी तक कोई पोत नहीं दिया गया है।

(ग) अब तक इन पोतों की किस्तों के रूप में कारपोरेशनों से १९८ लाख रु० प्राप्त हो चुके हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या पोतों हमारे टेक्निकल व्यक्तियों द्वारा बनाये जायेंगे या विदेशी टैक्निकल व्यक्तियों की सहायता से ?

†**श्री राज बहादुर :** हमारे पास एक जर्मन विशेषज्ञ श्री थीसन हैं जो कुछ टैक्निकल मामलों में हमारी सहायता करता है। अन्यथा अन्य सब इंजिनियर, मजदूर और टैक्निकल कर्मचारी भारतीय हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री स० चं० सामन्त : निर्माणाधीन पोतों के टनभार और गति क्या होगी ?

†श्री राज बहादुर : मेरे विचार में ये पोत ९,५०० टन के हैं और इनकी गति १६ या १७ मील होगी ।

†श्री तंगामणि : हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बन रहे इन पोतों का कुल टनभार कितना होगा ?

†श्री राज बहादुर : ९,५०० X ८ से ७६,००० टन ।

†श्री सुबोध हंसदा : इन पोतों का डिजाइन किसने बनाया था .

†श्री राज बहादुर : ये 'लूबेकर टाइप' के पोत हैं जिसका डिजाइन जर्मनी के 'लूबेकर यार्ड' में बना था ।

†श्री तंगामणि : क्या मैं जान सकता हूं......

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं तनिक भी आगे नहीं बढ़ रहा हूं । माननीय सदस्य एक ही प्रश्न पर अड़ जाते हैं जैसे कि वही एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो । 'हाउस आफ कामन्स' में लगभग १०० प्रश्न हो जाते हैं । अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्नों का क्या होगा ? यदि माननीय सदस्य पृथक उत्तर चाहते हैं तो वह पृथक प्रश्न पूछें । मैं प्रत्येक प्रश्न पर दो या तीन से अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि आप दो या तीन से अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति न दें तो मंत्री महोदय को पूर्ण और सन्तोषजनक उत्तर देना चाहिए ।

†अध्यक्ष महोदय : हां, जहां तक उनके लिए सम्भव हो ।

सालन्दी जलाशय परियोजना

\+

*७६६. { श्री पाणिग्रही :
श्री वें० च० मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में सालन्दी जलाशय की अन्तिम स्वीकृति के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : योजना आयोग ने सालन्दी सिंचाई परियोजना का अनुमोदन कर दिया है ।

†श्री पाणिग्रही : इसका योजना आयोग द्वारा अनुमोदन हो गया तो क्या यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित हो जायेगी ?

†श्री हाथी : सम्भव है कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी न हो क्योंकि इसकी पूर्ति में लगभग पांच वर्ष लगेंगे ।

†श्री पाणिग्रही : क्या प्रारम्भिक कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हाथी :** हाँ प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है । इस पर लगभग २.२५ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचरियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

***७९७. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी और शकूरबस्ती में प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले कुछ असैनिक कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कितने हैं ; और

(ग) यह योजना कुल कितने कर्मचारियों पर लागू है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) हां, श्रीमान :।

(ख) ८,९३९ ।

(ग) ४,०२५ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** एक परिपत्र द्वारा घोषणा की गई थी कि यह योजना १ दिसम्बर, १९५९ से लागू होगी । यह योजना अभी तक क्यों लागू नहीं की गई है ?

†**श्री करमरकर :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री स० मो० नबनर्जी :** छावनी में रहने वाले और इन प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले व्यक्तियों पर यह योजना लागू नहीं की गई है । इसके क्या कारण हैं और उन्हें इसमें सम्मिलित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री करमरकर :** उन लोगों के मामले में जो सम्मिलित नहीं हैं, अंशदायी योजना उन क्षेत्रों में लागू नहीं है । द्वितीय, योजना में असम्मिलित व्यक्तियों की बड़ी संख्या का सम्मिलन छावनी में पर्याप्त अस्पताल सुविधा के प्राप्त होने पर हो सकेगा। वे नया अस्पताल बनायें या सशस्त्र सेना के अस्पताल में उपयुक्त व्यवस्था करें । इन दोनों संभावनाओं की जांच की गई है परन्तु उन्हें व्यवहार योग्य नहीं समझा गया ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, सिविल डिफेन्स एम्प्लायीज को केवल दिल्ली में ही यह सुविधा दी जा रही है या और स्थानों में भी यह सुविधा देने का विचार किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : यह विचार किया जा रहा है । जैसा मैं ने अर्ज किया अगर कटोनमेंट अथारिटीज हास्पिटल्स की फेसिलिटीज दे देगी तो हम उन के इन लोगों के बारे में विचार करने को तैयार हैं ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : क्या मध्य प्रदेश में भी यह सुविधा दी जायेगी ?

†**श्री करमरकर :** यह प्रश्न दिल्ली के बारे में है, मध्य प्रदेश के बारे में नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों को इस योजना में सम्मिलित करने के लिए छावनी क्षेत्र में कुछ अस्पताल या डिस्पेंसरियां खोली गई हैं ?

†**श्री करमरकर :** नहीं, श्रीमान, इन व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए नहीं। यदि अस्पताल की सुविधायें हो जायें तो हम सहर्ष इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

पंजाब के लिए ट्रेक्टरों का आयात

†*७६८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से १९५८–५९ और १९५९–६० के वर्षों में राज्य में कृषि के लिए ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए विदशी मुद्रा देने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निश्चय है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया गया है कि पंजाब के अनेकों फार्मों में जहां मशीनों से कृषि होती है, ट्रैक्टरों के पुर्जे बदलने में कठिनाई होती है क्योंकि वे यहां उपलब्ध नहीं हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हां, हमें पुर्जों की प्राप्ति में हो रही कठिनाई का ज्ञान है और हम इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । वास्तव में, पंजाब सरकार ने पुर्जों के आयात के लिए केवल ४२० रु० की विदेशी मुद्रा मांगी थी। यह राशि अक्तूबर, १९५९ में दी गई है । हां, कुछ विदेशी मुद्रा राज्य सरकार के पास भी है और कुछ पुर्जे व्यापार में उपलब्ध हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर क्या कठिनाई है ? माननीय सदस्य कठिनाई बतायें ?

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** ४२० रु० की मांग पंजाब सरकार की थी और किसी की ?

†**पं० शा० देशमुख :** श्रीमान, यह मांग पंजाब सरकार की थी ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** हमारे आयुध कारखाने ने पिछले वर्ष ट्रेक्टर निर्माण का जो प्रोग्राम बनाया था क्या वह निश्चित हो गया है और यदि हां, तो क्या इससे हमारी पूर्ण आवश्यकता पूर्ति होगी और कब ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मेरा ख्याल है कि इसका उत्तर उद्योग मंत्री देंगे ।

†**श्री त्यागी :** क्या मंत्रालय ने योजना आयोग को देश में ट्रैक्टर निर्माण कारखाने की आवश्यकता समझाई है क्योंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था के आयोजन में यह एक मूल तत्व है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हां, श्रीमान । कृषि मंत्रालय भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण करने के पक्ष में है और हम इस पर जोर दे रहे हैं ।

†**श्री त्यागी :** उनके प्रस्ताव के बारे में योजना आयोग ने अब तक क्या प्रगति की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न को बढ़ा रहे हैं । हमें आगामी प्रश्न लेना चाहिये ।

दुर्गम क्षेत्र समिति

+

†७९९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य संबंधी आत्म निर्भरता की प्राप्ति के लिये सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई दुर्गम क्षेत्र समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) अब तक प्रस्तुत किये गये समिति के संक्षिप्त प्रतिवेदन की प्रतियां पहिले ही संसद् पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं । समिति ने जो जो क्षेत्र देखे हैं उनमें प्रत्येक के बारे में वह विस्तृत सिफारिशें पृथक प्रस्तुत करेगी और वे उपलब्ध होने पर संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** समिति अपना प्रतिवेदन कब तक पूरा कर लेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** आशा है कि वे जनवरी १९६० तक प्रतिवेदन पूरा कर लेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या समिति देश के सारे दुर्गम क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेगी या कुछ चुने रूए क्षेत्रों का ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हमने निम्न क्षेत्रों के नमूने के क्षेत्र के रूप में चुना है: हिमाचल प्रदेश में चीनी और पंगी क्षेत्र ; पंजाब में कुल्लू घाटी ; उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले ; बम्बई का रत्नगिरि जिला ; आसाम के पहाड़ी क्षेत्र । उत्तरपूर्व सीमान्त अभिकरण का राज्य क्षेत्र और त्रिपुरा का राज्य क्षेत्र । समझा यह गया था कि यहां की परिस्थितियों के अध्ययन से हम तथ्यों का पता लगा सकेंगे । यदि और कोई छोटे पहाड़ी क्षेत्र हों, तो उनके बारे में भी वही सिफारिशें होंगी जो मेरे बताये हुए क्षेत्रों के बारे में होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि इस समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रारम्भिक रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उन के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अभी कमेटी ने आखिरी रिपोर्ट नहीं भेजी है । मुझे उम्मीद है कि जनवरी १९६० तक वह अपनी रिपोर्ट भेज देगी और वह रिपोर्ट फिर स्टेट्स गवर्नमेंट्स को उनकी राय जानने के लिए भेज दी जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कि वह रिपोर्ट आ जाएगी तो कम से कम उस इलाके के संसद् सदस्यों को यह मौका दिया जायगा कि वे पेश्तर इसके कि गवर्नमेंट कोई निर्णय करे वे अपने विचार प्रकट कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : उसके बाद में सोचेंगे ।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी हां हम बिल्कुल यही करेंगे । जो माननीय सदस्य उन इलाकों से आते हैं उनको वहां की लोकल स्थिति अच्छी तरह मालूम होती है इसलिए रिपोर्ट मिलने पर हम पहले उनके पास रिपोर्ट भेजेंगे और उनकी राय मालूम करने के बाद गवर्नमेंट निर्णय करेगी ।

†**श्री हेम राज :** केवल इन्हीं क्षेत्रों को दुर्गम क्षेत्रों के वर्ग में किस आधार पर सम्मिलित किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** क्योंकि ये क्षेत्र दुर्गम हैं, इसीलिये इन्हें उस वर्ग में सम्मिलित किया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी जो मंत्री जी ने हमको सूची बताई उसमें मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि यह कमेटी उत्तराखंड जो कि हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है वहां पर नहीं गई तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड भी उसमें शामिल किया जायगा और उसमें भी जांच की जायगी ? मेरा मतलब बद्रीनाथ से है ।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अगर वह जगह हिली डिस्ट्रिक्ट्स आफ उत्तर प्रदेश में आती है तो उधर वे लोग जायेंगे ।

†**श्री च० द० पांडे :** उक्त दुर्गम स्थानों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पर पहुंचना अत्यन्त कठिन है । क्या सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों की स्थिति की ओर आकृष्ट किया गया है जहां की समस्याएं अन्य दुर्गम स्थानों के समान ही गम्भीर हैं ? उदाहरणार्थ अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के जिलों की ऐसी ही स्थिति है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वास्तव में माननीय सदस्य ने जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया है, वे स्थान भी महत्वपूर्ण हैं । परन्तु वास्तव में निर्देश पदों में वे सम्मिलित नहीं हैं । अन्तिम रिपोर्ट आने पर मेरा विचार है कि इन क्षेत्रों पर भी विचार किया जायेगा । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में बाद में अवश्य विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल गाड़ियों में अपराध

+

†*८००. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री हेम राज :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
पण्डित द्वा० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री शि० न० रामौल :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री अंसार हरवानी :
श्री राघेलाल व्यास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलती रेल गाड़ियों में होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९ में अभी तक डाके, हत्या और लूट के कितने मामलों की रिपोर्टें मिली हैं ;

(ग) उक्त अवधि में इन दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों और रेलवे का कुल कितना नुकसान हुआ था ; और

(घ) यात्रियों की जान और माल की रक्षा के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केवल उत्तर, पूर्वोत्तर तथा पश्चिम रेलों में इस प्रकार के अपराधों की कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख)	डाके	७
	हत्यायें	६
	लूट	३५
(ग)		
	यात्रियों को क्षति	७,८६,८०८ रु०
	रेलवे को क्षति	१६० रु०

†मूल अंग्रेजी में

(घ) (१) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे पुलिस को हिदायत दे दें कि वह रेलों में घूमने वाले बुरे लोगों पर अधिक नज़र रखें और यात्रियों की रक्षा का पूरा पूरा प्रबन्ध करें ।

(२) गाड़ियों के बीच में यथासंभव जनाने डिब्बे के साथ वाला डिब्बा सरकारी रेलवे पुलिस के लिये निर्धारित किया जा रहा है ।

(३) वायु अनुकूलित, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी (जनाना डिब्बे) के दरवाजों की चिटकिनियों और सांकलें, खिड़कियों की अन्दर से बन्द होने वाली सांकलें और शौचालय की खिड़कियों पर धातु की सांकलें लगा दी गयी हैं ।

(४) कन्डेक्टरों तथा टी० टी० लोगों को हिदायतें दे दी गयी हैं कि वे महिला यात्रियों का विशेषतया जब वे अकेली यात्रा कर रही हों—विशेष रूप से ध्यान रखें और यह अच्छी प्रकार से देख लें कि सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ठीक ठाक है ।

रेल गाड़ी में पुलिस अफसर की हत्या

\+

*८०१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की प्रथम बटालियन के कमांडेन्ट श्री ए० पी० बत्रा की ८ अक्तूबर, १९५९ को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच चलती गाड़ी में हत्या कर दी गयी ?

(ख) यदि हां, तो क्या हत्यारे और हत्या के कारणों का कुछ पता लग सका है ; और

(ग) इस प्रकार की घटनायें भविष्य में न हों इस के लिए रेलवे मंत्रालय क्या व्यवस्था कर रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस हत्या के लिए तीन आदमी जिम्मेदार पाये गये हैं जिन्हें अभी हाल में एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया है । उनमें से एक ने बयान दिया है कि जब श्री बत्रा जगे और उन्होंने देखा कि उनके साथ का मुसाफिर उनका सामान चुरा रहा है, तो उन्हें छुरा भोंक कर मार दिया गया ।

(ग) जब सदाशय मुसाफिरों के रूप में सफर करने वाले इस तरह की वारदात करें तो उनके बारे में पहले से जान लेना और उनका रोकना मुश्किल है ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री त्यागी : अंग्रेजों के वक्त में कैसे रुक जाता था जो आपके लिए रोकना मुश्किल हो गया है ?

श्री शाहनवाज खां : उनको पकड़ लिया गया है । जिसने यह वारदात की है उसको पकड़ लिया है ।

श्री त्यागी : फिर आपने यह कैसे कहा कि उनका रोकना मुश्किल होता है ?

श्री शाहनवाज खां : पहले से पकड़ना मुश्किल होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरूआ :** रेलवे अपराध तो निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, परन्तु सरकार ने कुछ एक गाड़ियों से खतरे की जंजीर क्यों हटा दी है

†**श्री शाहनवाज खां :** कुछ एक गाड़ियों से हमें मजबूर होकर जंजीर हटानी पड़ी हैं क्योंकि अनुचित रूप से जंजीर खींचने की घटनाओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी थी।

†**श्री हेम राज :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे पुलिस का क्षेत्राधिकार केवल रेलवे क्षेत्र तक ही सीमित है, और रेलवे विभाग को सिविल पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है, क्या दोनों प्रकार की पुलिस में समन्वय उत्पन्न किया जा रहा है ताकि अपराधों का शीघ्र ही पता लगाया जा सके ?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस के बीच निरन्तर सहयोग पैदा किया जाता है ।

†**श्री हेम राज :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे सुरक्षा बल के परिश्रम करने के बाद भी ये अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, उसका क्या कारण है कि इन अपराधों को रोका नहीं जा सकता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** सारे देश का ही सामान्यतया ऐसा ढंग है ।

†**श्री त्यागी :** श्रीमन्, मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं । देश के इस ढंग से क्या तात्पर्य है ? क्या यह हमारे यहां लोकतांत्रिक ढंग की ओर संकेत किया जा रहा है या कि इसके लिए मंत्रियों की पद्धति की ओर संकेत किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री केवल रेलवे के इंचार्ज हैं, सम्पूर्ण देश की व्यवस्था के इंचार्ज नहीं हैं । वह विशेष रूप से रेलवे के लिये उत्तरदायी हैं । लोगों से रेलों में यात्रा करने के लिए कहा जाता है। रेलें केवल सरकार ही चला सकती है। ऐसी हालत में क्या सरकार की ओर से ऐसा उत्तर दिया जाना उचित है ? मैं तो इस प्रकार के उत्तर पर आश्चर्य चकित हूं । माननीय सदस्य तो केवल यही पूछना चाहते हैं कि अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ।

†**श्री शाहनवाज खां :** परन्तु श्रीमन् रेलवे में अपराधों की वृद्धि नहीं हो रही है। संभव है कि कुछ रेलों में अपराधों की वृद्धि हुई हो, परन्तु सामान्यतया यह कहना गलत है कि सभी रेलों में अपराधों की संख्या बढ़ रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु प्रश्न यह है कि रेलों में अपराधों की संख्या कुछ भी अधिक क्यों हो और उनकी रोक थाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है । क्या किसी भी यात्री को सुरक्षा की मांग करने का अधिकार नहीं है । प्रश्न यह है कि अपराधों की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से निवेदन किया है, क्योंकि विधि और व्यवस्था रखना राज्य सरकारों तथा सरकारी रेलवे पुलिस की जिम्मेवारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या रेलों के अन्दर भी विधि व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां । सरकारी रेलवे पुलिस की जिम्मेवारी है ।

†**श्रीमती मकीदा अहमद :** चालू वर्ष में रेलों में अपराध निश्चित रूप से बढ़ गये हैं । इस सम्बन्ध में सुरक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्या क्या कार्यवाही की जा रही है और अभी तक कितने अपराधी पकड़े गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । रेलवे सुरक्षा बल केवल रेलवे सम्पत्ति का जिम्मेवार है । सरकारी रेलवे पुलिस, जो कि राज्य पुलिस के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है, रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिये जिम्मेवार है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस बयान पर हैरान हूं । मैं चाहता हूं कि विधि सम्बन्धी यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये । यदि कोई अपराधी गाड़ी को छोड़ कर किसी गांव या शहर में भाग जाता है तो निश्चित रूप से उसका पीछा करना राज्य पुलिस का काम है, परन्तु यदि कोई अपराध गाड़ी में हो जाता है, तो क्या उसकी जिम्मेवारी भी स्थानीय पुलिस पर है ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें और स्थिति के बारे में विनिश्चय करें।

†**डा० राम सुभग सिंह :** यदि यह मान भी लिया जाये कि यात्रियों की रक्षा करना राज्य सरकारों का काम है, तो क्या रेलवे मंत्रालय ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे यात्रियों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त कार्यवाही करें ? माननीय मंत्री का यह कहना है कि केवल कुछ ही जोनो में अपराधों में वृद्धि हो रही है । वास्तव में ७ जोनों में से ४ जोनों की स्थिति बहुत खराब है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि वे रेलों में विधि व्यवस्था रखने की जिम्मेवारी रेलवे को ही सौंप दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब रेलवे यात्रियों को ले जाने की जिम्मेवार है तो क्या वह उनकी सुरक्षा की जिम्मेवार नहीं है ? रेलवे यह जिम्मेवारी स्वयं क्यों नहीं ले लेती ? यह एक सुझाव दिया गया है । माननीय मंत्री को चाहिये कि वे इस पर विचार करें ।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री ने यह बताया है कि रेलों में होने वाले अपराधों की संख्या अब कम हो गयी है। परन्तु यह कहना तो सरासर गलत है । अब तो ऐसे अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। अंग्रेजी राज्य काल में इस प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम इस पर कोई सामान्य चर्चा तो कर नहीं रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों की भर्ती में विलम्ब

+

†*८०२. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हेम राज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि रेलवे कर्मचारियों की भर्ती में विलम्ब लग जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे समाप्त करने की दृष्टि से क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या विभिन्न रेलों के जनरल मेनेजरों ने यह शिकायत भेजी है कि इस विलम्ब के कारण काम की बड़ी हानि हो रही है ? उन्होंने क्या क्या शिकायत भेजी है, वे शिकायतें कब आयी थीं और उनके सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री शाहनवाज खां : सभी जनरल मेनेजरों द्वारा तो कोई भी शिकायत नहीं की गयी है । पर हां, कुछ एक मामलों में कुछ विलम्ब अवश्य हो गया था। हमने रेलवे सेवा आयोगों के सभापतियों की एक बैठक बुलायी थी और प्रक्रिया को गति देने के सम्बन्ध में कई कार्यवाहियां की हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : साधारणतया अभ्यर्थियों के इन्टरव्यू में आने और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने में कितना समय लग जाता है ?

†श्री शाहनवाज खां : लगभग ७ मास से एक वर्ष तक समय लग जाता है । इसकी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है । आवेदन पत्र मंगवाये जाते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है और सफल व्यक्तियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया जाता है । इन्टरव्यू के बाद उनके चरित्र के बारे में जांच की जाती है, फिर वे सूचियां विभिन्न रेलों को भेज दी जाती हैं और उन्हें डाक्टरी परीक्षा के लिये बुलाया जाता है। फिर जब भी स्थान खाली होता है, उन्हें बुला लिया जाता है ।

†श्री हेम राज : क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा की जाने वाली इस चरित्र सम्बन्धी जांच में कई महीने लग जाते हैं और वे स्थान खाली ही पड़े रहते हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : इस जांच के लिये हमने चार सप्ताह की अवधि निर्धारित कर दी है । यदि ७ सप्ताहों तक वह रिपोर्ट पुलिस से प्राप्त नहीं होती तो उस स्थिति में हम किसी भी गजेटेड अफसर या संसद् सदस्य की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह :** इस विलम्ब का कारण क्या है ? क्या इसका कारण यह है कि उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते या कि इस की जिम्मेवार स्वयं सरकार है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** योग्य व्यक्तियों की तो कोई कमी नहीं है । केवल प्रक्रिया के कारण कुछ समय लग जाता है । हम इस सम्बन्ध में कार्य को गति देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : पूर्वोत्तर रेलवे की पब्लिक सरविस का हैडक्वार्टर इलाहाबाद में है । क्या सरकार का विचार है कि पब्लिक सरविस कमीशन को डिसेंट्रलाइज करके दो तीन जगह रखा जाए ताकि लोगों को इंटरव्यू देने में और नौकरी मिलने में सहूलियत हो सके ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इंटरव्यू कोई एक जगह नहीं होते हैं । बोर्ड खुद अलग-अलग जगह चला जाता है और वहां लोग उनसे मिलते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि बोर्ड चला जाता है, लेकिन चूंकि एक ही बोर्ड होता और कैंडीडेट बहुत होते हैं इसलिए उसको बहुत देर लगती है और एक ही बोर्ड होता है इसलिए उसको सारे जोन में घूमने में बहुत देर लगती है । अगर दो चार बोर्ड बना दिए जाएं तो लोगों को सहूलियत मिल सकती, कुछ ऐसा उत्तर मिनिस्टर साहब को देना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके लिये एक प्रलग संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रश्नकाल में ऐसी मांगें नहीं की जा सकतीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने बताया है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** सब से बड़ी बात तो यह की जा रही है कि अब इकट्ठी ही परीक्षा ले ली जाया करेगी और उनका पेनल बना दिया जाया करेगा और जहां भी आवश्यकता होगी, उन लोगों को भेज दिया जाया करेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री ने बताया है कि नियुक्ति में ७ मास से एक साल का समय लग जाता है । अब जो नयी कार्यवाही की जा रही है, क्या इससे कम देर लगा करेगी और यदि हां तो नियुक्ति का प्राप्त होने तक कुल कितना समय लगा करेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या रेलवे लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टें सभा पटल पर नहीं रखी जातीं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** वास्तव में चार रेलवे लोक सेवा आयोग हैं और वे संघ लोक सेवा आयोग के समान संविहित निकाय नहीं हैं । इसीलिये उनकी कोई भी रिपोर्ट सभा-पटल पर नहीं रखी जाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : परन्तु रेलवे मंत्री तो रिपोर्ट पेश कर सकते हैं । वे इस बात की कैसे आशा कर सकते हैं कि अभ्यर्थी लगभग एक साल तक प्रतीक्षा करते रहें । क्या यह सच है कि बाद में जब उनके पास नियुक्ति पत्र भेजे जाते हैं, वे उस समय तक उपलब्ध नहीं होते ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कुछ एक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, परन्तु अधिकतर उपलब्ध हो जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में उत्सुक हैं, तो वे इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि इस पर चर्चा की जा सके ।

राजस्थान मरुस्थल

†*८०३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान मरुस्थल की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ रेगिस्तान की रोक थाम के लिये वृक्ष लगाने की योजना अब छोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेगिस्तान की रोक थाम करने के लिये कोई और योजना तैयार की गयी है ; और

(ग) रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रभाव से प्रतिवर्ष कुल कितने एकड़ उपजाऊ भूमि ऊसर हो जाती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० श्या० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां, क्योंकि ऐसा निश्चय किया गया है कि इस सम्बन्ध में अनु-वन, वात पातित वृक्ष और चरागाहें लगाना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा ।

(ख) चरागाह लगाने की एक योजना मंजूर कर दी गयी है और इस समय कार्यान्वित की जा रही है । मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल के क्षेत्रों की सभी समस्याओं को हल करने के लिये जोधपुर के मरुस्थल वनारोपण तथा भूमि परिरक्षण स्टेशन को एक केन्द्रीय मरुस्थल जोन अनुसन्धान संस्था के रूप में बदला जा रहा है ।

(ग) इस संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने बतांया है कि मरूस्थल की सीमा पर वृक्ष लगाने की योजना को जिसे ५ या ६ वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, अब छोड़ दिया गया है ? उस पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी है और इस योजना को छोड़ने के लिये किसने सलाह दी थी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : वह योजना केवल एक तजुरबे के रूप में थी । मुझे खेद है कि मेरे पास उस पर किये गये खर्च के संबंध में आंकड़े नहीं हैं । योजना को बदलने के संबंध में वनारोपण के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डा० जी० वाई० गूर ने सलाह दी थी । और हमारा अपना भी यही अनुभव है कि दूसरी योजना ही बेहतर योजना है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : चार वर्ष पूर्व भी तो उस क्षेत्र में विमानों के द्वारा बबूल के बीज रोपे गये थे । क्या वह कार्य भी किसी विदेशी विशेषज्ञ की सलाह पर ही किया गया था ? क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

इस नयी योजना के संबंध में किसी स्थानीय पदाधिकारी अथवा वहां के लोगों से सलाह ली गयी थी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जैसा भी मैं पहले बता चुका हूं कुछ एक नये विशेषज्ञों की सलाह से ही योजना को बदला गया है । जहां तक बीज छिड़कने का सम्बन्ध है, वह कार्य तो राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेवारी पर किया था । जब हमने उन से कहा कि वृक्ष लगभग पांच-पांच मील तक की चौड़ाई में लगाये जाने चाहियें तो उन्होंने यही अच्छा समझा कि वृक्षों के बीजों को विमानों से गिराया जाये, इस से आसानी होगी । परन्तु दुर्भाग्य वश वह प्रयोग सफल नहीं सिद्ध हुआ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उस समय कुछ एक संसद् सदस्य ने चेतावनी दी थी कि विमानों से बीज गिराने से कोई लाभ न होगा ? क्या उस समय उस सलाह की ओर ध्यान दिया गया था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे खेद है कि हमने माननीय सदस्यों की सलाह को विशेषज्ञ-राय नहीं समझा ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि यूनेस्को की सहायता से राजस्थान में इस संबंध में एक अनुसंधान संस्था स्थापित की जा रही है और यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे पास इस समय इस बारे में ब्यौरे तो नहीं हैं । परन्तु हम राजस्थान में एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्था स्थापित कर रहे हैं और यूनेस्को उसके लिये हमारी सहायता कर रहा है ।

बारासेट—बसीरहाट रेलवे लाइन

†*८०४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित बारासेट—बसीरहाट बड़ी लाइन रेलवे का बनना आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मिट्टी बिछाने और पुल बनाने का काम लाइन के १९½ मील में तब से शुरू किया जा चुका है । शेष १३.२३ मील पर पुल बनाने के टेण्डर अभी मंजूर नहीं किये गए हैं क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक साथ ज़मीन नहीं दी है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिमी बंगाल सरकार को अभी मंत्रालय को और कितनी भूमि देनी है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : ९८ प्रतिशत भूमि दी जा चुकी है । शेष २ प्रतिशत रह गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या अकुशल काम के लिये स्थानीय मजदूरों की नियुक्ति करने के बारे में ठेकेदारों से निवेदन करने के निदेश जारी किये जा चुके हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां । अधिकांश मजदूर स्थानीय ही हैं । इस कार्य के लिये निदेश निस्सन्देह जारी किये गये हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** चालू वर्ष में ४० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । क्या इस वर्ष में इस राशि का उपयोग किये जाने की कोई आशा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** १९५९-६० के लिये ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, ४० लाख रुपये की नहीं जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि दो सीज़नों में यह काम पूरा हो जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों म वर्षा में तमाम पानी भर जाता है, क्या मंत्रालय ने पश्चमी बंगाल सरकार से शेष दो प्रतिशत भूमि देने के बारे में शीघ्रता करने के लिये कहा है जिस से यह काम जल्दी ही पूरा हो सके ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जैसा कि सदन को विदित है, हम पश्चिमी बंगाल सरकार को लिखते रहे हैं । जब कि अंतिम सर्वेक्षण किया गया था तो ऐसा जान पड़ा था कि लाइन कब्रिस्तान से होकर निकलेगी, इस कारण लोगों ने ज़मीन देने से इन्कार कर दिया था । तत्पश्चात् हमने पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री को स्वयं उनकी सहमति के लिये लिखा था । मैं समझता हूं कि वह शेष भूमि दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हज़ारों लोग इस गाड़ी से शहर को आया करते हैं और जिसको बंद कर देने से कलकत्ता जाने वालों को बड़ी कठिनाई होगी, इस कारण जब तक कि यह काम पूरा न हो जाय तब तक के लिये क्या रेलवे ने कोई दूसरे मार्ग की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मुझे किसी अन्य मार्ग के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है । किन्तु पटीयुकुर (शामबज़ार) से राजघाट और बिश्नुपुर तक जो ९ मील का फासला है, इस सड़क को बेलीघाट पुल तक बढ़ाया जा रहा है । इस मार्ग पर अब १९ बसें चल रही हैं ।

एरणाकुलम में समुद्र-जीव विज्ञान गवेषणा एकक (मेरीन बायोलाजिकल रिसर्च यूनिट)

\+

†*८०५. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री कुन्दन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि एरणाकुलम के समुद्र-जीव-विज्ञान गवेषणा एकक (मेरीन बायोलाजिकल रिसर्च यूनिट) में गवेषणा के लिये पर्याप्त सुविधाओं की कमी है ; और

(ख) मछलियों की पैकिंग करने, उनके संरक्षण और जमाने के उद्योग की तात्कालिक समस्याओं को हल करने के बारे में संस्था का विकास करने की योजनायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). सेन्ट्रल फिशरीज टेक्नालाजिकल रिसर्च स्टेशन, कोचीन के प्रोसेसिंग विंग के लिये भारत सरकार द्वारा सितम्बर, १९५८ में मंजूरी दी गई थी जिस में मूलभूत वैज्ञानिक उपकरण एवं सुविधाएं दी गई हैं। काम अभी आरम्भ हुआ है और खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रोसेसिंग, विशेषज्ञ की सहायता से, जो फिलहाल वहां कार्य कर रहा है, कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि इस गवेषणा संस्था में शीत कोठार और जमाने की सुविधा नहीं उपलब्ध है, इस कारण गवेषणा करने वालों को गवेषणा-कार्य के लिये अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं में जाना पड़ता है ?

†**श्री मो० वे० कृष्णप्पा** : मैं कह चुका हूं कि अभी पिछले साल ही यह विंग खुला है । तब से हम कर्मचारियों की भर्ती में लगे हैं और वह अब समाप्त हुआ है । जब से माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तब से वहां पर्याप्त सुधार हो गया है । एक गैस प्लांट लगाया जा चुका है । एक इन्क्यूबेटर, एयर ओवेन, रेफ्रीजिरेटर और अन्य उपकरण पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं। जिस समय तक माननीय सदस्य वहां वापस पहुंचेंगे, वह काफी सुधार पायेंगे और सारा सामान उस समय तक वहां मौजूद हो जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि उस गवेषणा संस्था के पुस्तकालय में अभी मुश्किल से १०० पुस्तकें होंगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम पुस्तकालय को बढ़ाने का प्रयत्न भी करेंगे । यह नया केन्द्र है । भारत में मत्स्यपालन सम्बन्धी पुस्तकों की बड़ी कमी है । हमें ये पुस्तकें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं जिसमें समय लगता है ।

मछलियों का परिवहन

+

†*८०६. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारडीन, मैकरिल तथा अन्य शोल मछलियां जो काफी संख्या में तट पर उतारी जाती हैं, भेजने की सुविधा की कमी होने के कारण उन्हें खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता; और

(ख) क्या इसके कारण मछली उपभोक्ताओं तक पहुंचने में खराब हो जाती हैं और इससे उनकी आय कम हो जाती है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) कभी-कभी जब कि मैकरिल और सारडीन मछलियां बहुत मात्रा में आ जाती हैं, तो उसका कुछ भाग संरक्षण, यातायात और ढोने की पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है ।

(ख) जब मछलियों का उपभोग खाद के रूप में किया जाता है तो मछुओं को उससे कम आय होना स्वाभाविक ही है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि सीज़न में मछुओं को सारडीन मछली केरल के तट पर एक रुपये की ६००–७०० के हिसाब से बेचनी पड़ती हैं ?

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह सच है । कभी-कभी तो इससे भी सस्ती बेचनी पड़ती है । और कभी-कभी तो हमें दस आने में १००–१५० मछलियां तक खरीदनी पड़ती हैं इसी कारण हमें उन्हें खाद के रूप में बदलना पड़ता है । किन्तु हमने इस दिशा में कार्रवाई की है और अभी भी कर रहे हैं । तीन वर्ष पहले स्थिति क्या थी इसके मुकाबले में रेलकारों और इन्स्युलेटेड गाड़ियों को चला कर मछलियों की बर्बादी में कमी की जा सकेगी । इससे भी अधिक काम करना है । १ जनवरी से हम कालीकट से मद्रास तक दो इन्स्युलेटेड मालगाड़ी के डिब्बे चला रहे हैं । ये वैगन प्रति दिन ३० टन के लगभग मछलियां ले जाया करेंगे । इससे स्थिति सुलभ हो जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच व्यापार बहुत कम होता जा रहा है, क्या सरकार ने केरल तट से पश्चिमी बंगाल तक हवाई जहाज से मछली पहुंचाने की संभावव्यता पर विचार किया है क्योंकि पश्चिमी बंगाल में मछली ३ से ४ रुपये सेर तक बिकती है ।

†**श्री मो० व० कृष्णप्पा :** जी नहीं, केरल से नहीं किन्तु काटला जैसी मछली मेतूर बांध से ग़ैर-सरकारी व्यापार के ज़रिये हवाई जहाज द्वारा भेजी जाती हैं । बंगालियों की दृष्टि से यह मछली बहुत अच्छी होती है, मद्रासी भले ही उसे पसन्द न करते हों, यह मछली कलकत्ता हवाई जहाज से लाई जाती है : पश्चिमी तट की मछली को कलकत्ता के लोग भले ही पसन्द न करें क्योंकि कलकत्ता के अधिकांश लोग समुद्र की मछली नहीं पसन्द करते हैं । उनका कहना है कि यह सामिष भोजन है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या माननीय मंत्री को पता है कि सारडीन मछली जितनी पकड़ी जाती है वह अधिकतर त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र की होती हैं और कोचीन अथवा त्रावनकोर की ओर रेलों में इन्स्युलेटेड कारें नहीं होती हैं ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उस रेलवे पर इन्स्युलेटेड कारें चलाने के लिये पर्याप्त कार्रवाई करेगी ?

†**श्री मो० व० कृष्णप्पा :** जी हां, सारडीन मछली रत्नगिरि से कुमारी अन्तरीप में पाई जाती हैं । यह अधिकतर त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में जमा की जाती हैं । हम यथाशक्ति प्रयत्न शील हैं । माननीय सदस्य को पता है कि सारडीन मछली कैसे आती है । यह मछली अचानक लहरों के साथ आ जाती है । एक बार आजाने पर उसे पकड़ पाना तक कठिन हो जाता है । केवल जाल लगाकर गाड़ी भर के भी पकड़ी जा सकती है क्योंकि यह लहर के साथ आती हैं । जब यह नहीं आती है तो सालों तक नहीं आती । सारडीन मछली के साथ यही कठिनाई है ।

रेलवे स्कूल, रतलाम

†*८०७. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम, रेलवे हाई स्कूल में कमरों की कमी के कारण कक्षा ११ नहीं खोली जा सकती ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, ग्वालियर द्वारा रेलवे हायर सेकेण्डरी स्कूल, रतलाम को उंचित इमारत और विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि के न होने के कारण स्थायी मान्यता देना रुका हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या रतलाम में एक नई स्कूल इमारत के लिये पांच लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। किन्तु इस राशि का उपयोग बम्बई में अस्पताल की एक इमारत बनाने में कर लिया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं, कक्षा ११ जुलाई, १९६१ तक नहीं खोली जानी है।

(ख) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मध्य प्रदेश, ग्वालियर ने १९६२ तक की परीक्षा के लिये स्कूल को अस्थायी मान्यता दे दी है। स्थायी मान्यता देने के प्रश्न पर १९६२ के पश्चात् विचार किया जायेगा जब तक कि ग्वालियर बोर्ड द्वारा इमारतों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, सामान आदि के बारे में निर्धारित शर्तें पूरी कर लेने का विचार है।

(ग) १९५९-६० के आय-व्ययक में अनुमान लगाया था कि ४.२४ लाख रुपये में काम हो जायेगा और १९५९ ६० में १.३० लाख रुपया व्यय किया गया। बाद में यह तय किया गया था कि मितव्ययिता की दृष्टि से प्राक्कलित व्यय में कमी की जानी चाहिये। इमारत की योजना और प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इस बीच १९५९-६० के लिये आय-व्ययक में स्कूल की इमारत के लिये उपबन्धित राशि का उपयोग बम्बई में अस्पताल की इमारत बनाने में कर लिया गया है।

श्री अमर सिंह डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस रुपये को अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के लिये क्यों खर्च किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : चूंकि वह साल गुज़र रहा था और अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी था और यह जो पहले का एस्टीमेट था ४ लाख २४ हज़ार का यह बहुत ज्यादा पाया गया। अब खयाल किया गया है कि यह सस्ते में ही बन सकती है। इसलिये नई स्कीम बन रही है। यह बिल्डिंग भी बन जायेगी और अस्पताल भी हो जायेगा।

श्री अमर सिंह डामर : यह बिल्डिंग कब तक बन जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : अभी तो कोई खास तरीख मैं नहीं दे सकता हूं लेकिन उम्मीद है जैसा मैंने कहा सन् १९६१ तक यह हो जानी चाहिये।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिस समय मध्य प्रदेश का नया प्रान्त बना उस समय यह तय किया गया था कि वह पिछड़ा हुआ प्रान्त होने की वजह से वहां पर अधिक से अधिक रुपया खर्च किया जाये ? ऐसी हालत में यह जो रुपया वहां के लिये था वह बम्बई सदृश विकसित प्रान्त को देने का क्या अर्थ है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे प्रान्तों के लिहाज़ से काम नहीं करती है, ये तो आल-इंडिया बेसिस के ऊपर काम करती है। यह वैस्टर्न रेलवे का काम था और उसी रेलवे पर रुपया खर्च हुआ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री महोदय को यह भी मालूम है कि रेलवे तथा दूसरे सब विभागों में अधिक खर्च किया जायेगा, यह भी तय किया गया था ? और रेलवे चाहे सारे देश में काम करती हो, पर रेलवे को पिछड़े हुये और बढ़े हुये प्रान्तों का तो ध्यान रखना ही चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन, ग्वालियर ने इस स्कूल की क्यों मान्यता छीन ली और इससे कितने विद्यार्थियों पर असर पड़ा ?

श्री शाहनवाज खां : उसकी मान्यता छीनी नहीं गई थी, बल्कि उसको मान्यता दी गई थी ।

श्री जगदीश अवस्थी : इसके पहले छीन ली गई थी ।

श्री शाहनवाज खां : नहीं, छीनी नहीं गई ।

मध्य प्रदेश में बहुप्रयोजनीय विकास योजना

\+

†*८१०. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार मध्य प्रदेश में डाकुओं से घिरे क्षेत्र में ५ करोड़ रुपये लगा कर उसे कृषि योग्य बनाने के बारे में बहुप्रयोजनीय विकास योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ढले हुए लोहे के स्लीपर

\+

†*८११. { **श्री विमल घोष :**
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री पाणिग्रही :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल में ही लगभग २ १।२ लाख टन के ढले हुये लोहे के स्लीपरों का आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यूनतम टेंडर स्वीकार किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं । हाल में ही टेंडर मांगे गये थे और जो 'आफर' हमें मिले हैं वे विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विमल घोष** : क्या टेंडर मांगने का निर्णय करने में बहुत समय लगा और निर्णय करने में देर के क्या कारण थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह १९५८ से अथवा १९५९ से किस वर्ष से संबंधित है । १९५८ का टेंडर २·५ लाख टन ढले हुये लोहे के स्लीपरों का था । ७५ फर्मों ने टेंडर भेजे थे । ३७ फर्मों को २ लाख टन का ठेका दिया गया था जिसमें से १·१ लाख टन अब तक संभरित किया जा चुका है । १९५९ का टेंडर भी २·५ लाख टन का था । ६६ फर्मों ने टडर भेजे हैं परन्तु अब तक किसी को भी आर्डर नहीं दिये गये हैं ।

†**श्री विमल घोष** : क्या मूल आर्डर ५ लाख टन का था । जिसमें से २·५ लाख टन अब तक संभरित हो चुका है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १९५८ के लिये २·५ लाख टन था तथा १९५९ के लिये भी २·५ लाख टन था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड सबसे कम दर वाले टेंडर अर्थात् बड़ी लाइन और मीटर लाइन के स्लीपर के लिये क्रमश: ३४५ रुपये और ३७० रुपये, को अव्यवहार्य समझता है ? क्या यह भी सच है कि संभरण और उत्सर्जन महानिदेशक हजारों टन बेयरिंग प्लेट खरीद रहे हैं जो निश्चित रूप से ३४५ रुपये प्रति टन से अधिक मूल्य के हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कई फर्मों ने न्यूनतम मूल्य दिये हैं परन्तु अन्य कारणों से उनको स्वीकार नहीं किया गया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जिन फर्मों ने 'कोटेशन' भेजे हैं क्या उनमें से 'सिंह इजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर' भी है जिसने 'की' बनाने का पहले बड़ा खराब काम किया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जिन फर्मों ने कोटेशन भेजे हैं 'मैसर्स वैधनाथ आयरन एंड स्टील कम्पनी' और 'श्री हनुमान फाउन्डरीज लिमिटेड' हैं । हमने पहली फर्म को आर्डर नहीं दिये क्योंकि यह नई फर्म है । दूसरी फर्म के बारे में कुछ जांच की जा रही है और इसीलिये आर्डर नहीं दिये गये हैं ।

†**श्री च० द० पांडे** : लकड़ी के स्लीपरों तथा लोहे के स्लीपरों के मूल्यों में क्या अन्तर है तथा अब लोहा अधिक मात्रा में मिल जाने के कारण क्या यह संभव नहीं है कि विदेशी स्लीपरों के टेंडर रद्द कर दिये जायें ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि और विदेशी स्लीपरों का आयात नहीं किया जायगा । मूल्यों के अन्तर के बारे में कृपा करके अलग प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जो फर्म स्लीपरों का संभरण करती हैं क्या वह स्लीपरों की 'की' का निर्माण भी करती हैं ? यदि स्लीपरों की 'की' अन्य फर्म बनाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी फर्में बनाती हैं ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह प्रश्न स्लीपरों के बारे में है 'की' के बारे में अलग प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आपको याद होगा कि आज यह प्रश्न पूछा गया था। स्लीपरों को इसलिये अस्वीकार किया जाता है क्योंकि 'की' इनमें लग नहीं पाती हैं। मैं यह ही जानना चाहता हूं कि यह 'की' कौन बनाते हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तीसरे दर्जे के वायु अनुकूलित डिब्बे में सोने का स्थान

†८०८. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के वायु अनुकूलित डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये सोने के स्थान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कार्यरूप में कब परिणत किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सफदरजंग हवाई अड्डे (नई दिल्ली) पर रेल का फाटक

†*८०९. **श्री राम गरीब** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक दूसरा रेल का फाटक बनाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या रेलवे फाटक से हवाई अड्डे के सामने तक सड़क के दोनों ओर साइकिल का रास्ता बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह काम कब तक समाप्त हो जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम की ओर से रेलवे मंत्रालय को सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट महरौली सड़क पर दो रेलवे के फाटक बनाने हैं। अभी काम शुरू नहीं किया गया है।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका अथवा दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में —

मनमड में रेल दुर्घटना

†*८१२. **श्री जाधव :**
श्री बै० च० मलिक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ सितम्बर, १९५९ को मनमड स्टेशन पर शन्ट किये जाते हुये एक इंजन से गम्भीर दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) रेलवे को उससे कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ यात्री भी उससे घायल हो गये ;

(घ) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ङ) दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) एक शन्टिग इंजन ९ वेगनों का भार खेंचता हुआ पटरी की समाप्ति से टकरा कर प्लेट फार्म पर चढ़ गया जिसके कारण सभी डिब्बे पटरी से उतर गये ।

(ख) लगभग ६२,००० रुपये ।

(ग) दो यात्रियों के हल्की चोटें आई हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) रेलवे प्रशासन जिम्मेदार कर्मचारियों को दंड देने की कार्यवाही कर रहा है ।

तिसता नदी पर बांध

†*८१३. **श्री मनायन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने बांध बनाने के प्रयोजन के लिये तिसता नदी का अनुसंधान शुरू किया था तथा उसे समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बांध के निर्माण के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) प्रस्तावित बांध की विद्युत् तथा सिंचाई क्षमता का अनुमान क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् । तिसता नदी पर बांध बनाने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा अनुसंधान किये जा रहे हैं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अनुसंधान पूर्ण हो जाने पर ही इसका पता चलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क का परिवहन

†*८१४. **श्री पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी ठेकों को पूरा करने के लिये कलकत्ता से २० लाख टन लौह अयस्क ढोने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलवे मंत्रालय को लौह अयस्क के जो निर्यात के लिये पत्तनों में आता है, गंतव्य स्थानों की जानकारी नहीं है परन्तु राज्य व्यापार निगम द्वारा विभिन्न सेक्टरों से कलकत्ता पत्तन ले जाने के लिये जितने कोटे की मांग की गई है और जो लक्ष्य रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिये हैं वे निम्न प्रकार हैं :

सेक्टर	राज्य व्यापार निगम की मांग	रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति लक्ष्य
	(टन प्रति वर्ष)	(टन प्रति वर्ष)
बरजमदा	६,००,०००	५,००,०००
बादामपहाड़	२,००,०००	२,००,०००
जाजपुर	५,००,०००	५,००,०००
धरौंदीही	५०,०००	५०,०००
योग	१३,५०,०००	१२,५०,०००

रेलवे टिकट

*८१५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर पुराने किराये के टिकट बिक रहे हैं जिस से यात्रियों को भ्रम होता है और कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) . कुछ स्टेशनों पर पुराने टिकटों के स्टाक खत्म नहीं हुए हैं और वहां अभी ऐसे टिकिट बिक रहे हैं जिनपर किराया पुराने सिक्कों में छपा हुआ है । लेकिन ऐसे टिकटों के सम्बन्ध में हिदायत है कि उन्हें जारी करने से पहले उन पर स्याही से सही किराया लिख दिया जाये । इसलिये, आमतौर पर मुसाफिरों को कोई भ्रम या परेशानी नहीं होनी चाहिये । लेकिन मुमकिन है कि कुछ थोड़े से उदाहरण मिलें जहां इस हिदायत पर अमल न किया गया हो ।

रेल प्रशासनों से फिर कहा गया है कि वे कर्मचारियों को जता दें कि ऐसे टिकट जारी करने से पहले पुराने किराये को ठीक कर देना जरूरी है ।

†मूल अंग्रेजी में

गेहूं की भूसी की खरीद

†*८१६. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि मं ी** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने हाल में १२.६० रुपये की दर से भूसी खरीदी है जबकि सरकार ारा निश्चित किया गया गेहूं का भाव केवल १४ पये है; और

(ख) कितनी मात्रा की खरीद की गई है और किससे ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) अक्तूबर, १९५९ में खाद्य विभाग के सेना क्रय संगठन द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से ११.७४ प ै से लेकर १२.८० रुपये प्रति मन रेल पर्यन्त निःशुल्क तक की दर पर १४०० टन गेहूं की भूसी को खरीदें की गई थीं ।

(ख) ये खरीदें निम्नलिखित दो निम्नतम टेण्डर-दाताओं से की गई थीं :

(१) ४२० टन नागपुर के मेसर्स श्री राम कृष्ण फ्लोर एण्ड बेसन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से ।

(२) ९८० टन कानपुर के मेसर्स विष्णु दयाल केजरीवाल एण्ड सन्स से ।

खराब स्लीपर स्वीकार किए जाने के संबंध में जांच

†*८१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **रेलवे** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब स्लीपर स्वीकार कि ै जाने के आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख) विभागीय जांच अभी जारी है ।

अखिल भारतीय स्वास्थ्यकी तथा लोक स्वास्थ्य संस्था[1]

†*८१८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वास्थ्यकी तथा लोक स्वास्थ्य संस्था में स्वास्थ्य शिक्षा का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]All India Institute of Hygiene and Public Health.

(ख) योजना के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्ष दिया जायेगा ; और

(ग) प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कलकत्ता स्थित अखिल भार ीय स्वास्थ्यकी तथा लोक-स्वास्थ्य संस्था में स्वास्थ्य शिक्षा का स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पहले से ही मौजूद है ।

(ख) ीस ।

(ग) पाठ्यक्रम के भाग १ की साढ़े चार महीने और भाग २ की साढ़े पांच महीने ।

डाक्टरों का उपयोग

†*८१९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संग न के नवीनतम प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये—विशेष रूप से डाक्टरों के क्लिनीकल कार्य में बेकार लगाये जाने और सीमित संसाधनों के अनुचित उपयोग सम्बन्धी—विचारों की जांच की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के क्या निष्कर्ष हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). एक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचार तथा प्रत्येक विचार के सम्बन्ध में भारत की स्थिति दी गई है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

भीमकुण्ड परियोजना

†*८२०. **श्री बै० च० मलिक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १० सितम्बर, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीमकुण्ड परियोजना के प्रतिवेदन की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने भीमकुण्ड परियोजना प्रतिवेदन की जांच की है और कुछ सुझाव दिये हैं जो उड़ीसा सरकार को विचारार्थ निर्दिष्ट किये गये हैं ।

रेलवे निधि का गबन

†*८२१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बण्डेल रेलवे स्टेशन में हुए रेलवे निधि के गबन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : विभागीय जांच चल रही है।

राजखर्सवान-गुआ रेलवे लाइन

†*८२२. श्री पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजखर्सवान-गुआ रेलवे लाइन को दोहरा बनाने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) राजखर्सवान और बरजमदा के बीच लाइन को दोहरा बनाने का काम पूरा हो गया है। बरमजदा से गुआ तक की ५ मील की लाइन को दोहरा बनाने का विचार नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर

†*८२३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री कुम्भार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने कुछ गाड़ियों से खतरे की जंजीर हटा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और किन किन गाड़ियों में से ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]

एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के लिए बोइंग ७०७ विमान

†८२४. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या परिवहन तथा संचार मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया न्टरनेशनल ने एक बोइंग ७०७ विमान खरीदने की अनुमति के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) स्ताव विचाराधीन है।

---

†भूल अंग्रेजी म

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्ध में मजदूरों का भाग लेना

†*८२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २९ अगस्त, १९५९ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने की योजना प्रारंभ करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित समितियों का निर्माण किया गया है जिसमें मजदूरों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि हैं :

(१) कैन्टीन मंत्रणा समिति

(२) कोलोनी स्कूल समिति

(३) सुझाव समिति ।

यद्यपि ये समितियां परामर्श देती हैं परन्तु उन के कार्यकरण से उनमें नियुक्त मजदूरों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध के मामलों में अधिकाधिक भाग लेने और प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है ।

फिर प्रबन्ध में मजदूरों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए नावांगण मजदूर संघ से एक निर्माण-कार्य समिति के निर्माण के लिए सहमत होने का अनुरोध किया गया है जिसमें प्रबन्धकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सामान्य हित की समस्याओं की चर्चा कर सकें। इस सुझाव को नावांगण मजदूर संघ ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है और इस मामले में अभी भी बातचीत चल रही है । मजदूरों के प्रबन्ध में अग्रेतर सहयोग के प्रश्न पर निर्माण कार्य समिति का निर्माण हो जाने तथा पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है।

हावड़ा गुड्स एकाऊंट्स आफिस में भ्रष्टाचार

†*८२६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पाणिग्रही :

क्या रेलवे मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हावड़ा गुड्स एकाउंट्स आफिस में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हो रही जांच में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** कुल ७६ मामले थे, ५८ पूरे कर लिये गये हैं और दो को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बाकी के १६ मामलों में तथ्यों की छानबीन की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी

एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिए जैट कामेट—४ विमान

†१२८३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैट कामेट—४ विमानों के निर्माताओं के एयर इंडिया इंटर्नेशनल को कोंस्टेलेशन और सुपर कोंस्टेलेशन विमानों के बदले में जैट कामेट—४ विमान बेचने के प्रस्ताव पर निर्माताओं तथा निगम के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

पंजाब में अनाज गोदाम

†१२८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में अनाज गोदाम कहां कहां बनाये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यदि अच्छे समुचित स्थान मिल गये तो अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और करनाल में ऐसे गोदाम तैयार किये जायेंगे जिनमें ५००० टन अनाज को रखने की व्यवस्था हो सकेगी।

लेवल क्रासिंग पर पुल

†१२८५. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के मन्माड—कांचीगुड सेक्शन के परमजी और सेलू स्टेशनों पर लेवल क्रासिंगों पर पुल बनाने के लिये कई अभ्यावेदन भेजे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही विस्तार से क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जमाये हुए तेलों की कीमतें

†१२८६. **श्री रामजी वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से जमाये हुए तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में इसकी औसत कीमत क्या रही है; और

(ग) इस वृद्धि के कारण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बनस्पति तेल के ३६ पौंड के टिन की गत ५ वर्षों में बम्बई में कीमत निम्न प्रकार रही :

	रु० न० पै०
१९५४	२७·८२
१९५५	२३·७१
१९५६	३१·४९
१९५७	३३·९९
१९५८	३४·४२
१९५९ (अक्तूबर तक)	३५·५९

(ग) इस वृद्धि का कारण यह है कि मुख्यत: यह मूंगफली के तेल से बनता है और उसकी कीमतों में वृद्धि हो गयी थी।

शाहगंज—मऊ सेक्शन

†१२८७. **श्री कालिका सिंह** : क्या रेलवे मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में उत्तर रेलवे के शाहगंज–मऊ विभाग पर रेल के वर्तमान स्लीपरों पर ४१ १/४ पौंड के स्थान पर ६० पौंड की रेलें लगाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यह वर्तमान स्लीपरों पर लगी रेलें कितनी पुरानी हैं;

(ग) क्या पुन: स्लीपर लगाये जाने से शीशगंज से कटिहार तक तेज गाड़िया चल सकेंगी; और

(घ) क्या यह भी कोई प्रस्थापना है कि मऊ–शीशगंज लाइन को बड़ी लाइन बना कर इसे सब रास्तों के लिए प्रयोग के योग्य बना दिया जाय ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, इसे पूर्वोत्तर रेलवे के १९५९–६० के किये जाने वाले कामों में सम्मिलित किया गया है।

(ख) ५० वर्ष पहले के हैं।

(ग) रेलों को पुन: लगाने से इस लाइन पर तेज गति वाली गाड़िया चल सकेंगी। मऊ से कटिहार तक तो आगे ही भारी लाइनें डाली जा चुकी हैं और वहां तेज गाड़िया चल सकती हैं।

(घ) नहीं।

लकड़ी के स्लीपर

†१२८८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में आसाम से कितने लकड़ी के स्लीपर खरीदे गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन स्लीपरों का मूल्य क्या था?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ३.७३ लाख (संख्या)।

(ख) ४४.३३ लाख रुपये ।

डाकघरों में चैकों की व्यवस्था

†१२८९. श्री बी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में इस प्रकार के डाकघरों की संख्या कितनी है जहां कि चैक प्रणाली की व्यवस्था चालू कर दी गयी है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बाकी और कितने डाकघरो में इस व्यवस्था के हो जाने की सम्भावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) ११८ ।

(ख) केवल उन दो डाकघरों में यह व्यवस्था नहीं है जो कि हाल ही में चालू किये गये हैं।

प्लेटफार्म

†१२९०. श्री बी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को ऊंचा करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से स्टेशनों पर; और

(ग) यह काम कब शुरू किया जायेगा।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पठानकोट स्टेशन

†१२९१. श्री बी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के पठानकोट स्टेशन पर १९५८–५९ में आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या क्या थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : पठानकोट रेलवे स्टेशन पर १९५८–५९ में आने और जाने वाले यात्री क्रमशः १२,९२,६९९ और १२,८६,९८२ थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में तपेदिक के मरीज

†१२९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तपेदिक के मरीजों के लिये अलग 'पलंगों' की व्यवस्था के लिये आवंटित ७०,००० रुपयों की राशि में से कुछ रुपया लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम ली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० करमरकर)** : (क) और (ख). १९५९-६० में पंजाब सरकार को तपेदिक के मरीजों के लिये अलग 'पलंगों' की व्यवस्था करने के लिये विशेष रूप से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई थी। १९५९-६० में पंजाब में ५५ 'पलंगों' की व्यवस्था करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से कुल खर्चे का ५० प्रतिशत सहायता के रूप में प्राप्त हो जायेगा। यह खर्चा १२५० रुपये प्रति 'पलंग' से अधिक नहीं होना चाहिये। ४४.९६ लाख रुपये १९५९-६० में पंजाब को सम्मिलित रूप में विभिन्न योजनाओं के लिये दिये गये थे। उसमें तपेदिक के मरीजों के लिये अलग 'पलंगों' की व्यवस्था करने की योजना भी शामिल है। यह रकम अर्थोपाय पेशगियों के रूप में मासिक किस्तों में दी जाती है।

फीरोजपुर डिवीजन

†१२९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने स्टेशनों के स्थान पर फीरोजपुर डिवीजन में अगले वर्ष कितने नये स्टेशनों का निर्माण होने की प्रस्थापना है ;

(ख) क्या वर्तमान स्टेशनों के नाम और उनकी स्थिति को बदलने की भी प्रस्थापना रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जिन स्टेशनों पर १९५९-६० में नई इमारतें बन रही हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

दुर्धविंदी, गोबिन्दगढ़, खोखर, रूरेकसाल, जगतपुर, पंचरूखी माछीवल, प्रोर और दोध।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में फल परिरक्षण उद्योग

†१२९४. **श्री दी० चं० शर्मा** : : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में फल परिरक्षण उद्योग के लिये पंजाब को कितनी राशि दी गई थी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अब तक पंजाब को कितनी राशि दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) शून्य।

(ख) ७०,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि लाभ

†१२९५. **श्री एन्थनी पिल्लै :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौधरी प्रतिवेदन के अनुसार सरकार द्वारा किये गये निर्णय के फलस्वरूप मद्रास पत्तन न्यास द्वारा कितने अस्थायी कर्मचारियों को भविष्य निधि लाभ दिया गया है ; और

(ख) क्या उक्त निर्णय के अनुसार आकस्मिक मजूरों में, जो परियोजना कार्य को छोड़ कर अन्य कार्यों में तथा जहाजों को लादने व उतारने में लगे हुये हैं, भी भविष्य निधि लाभ दिये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ११५ ।

(ख) आकस्मिक कर्मचारी भविष्य निधि लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

पंजाब में ग्राम पंचायत सड़क योजना

†१२९६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य से ग्राम पंचायत सड़क योजना के अधीन सड़क बनाने के बारे में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनको स्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन अस्पताल

†१२९७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित अस्पतालों के लिये एक गैर-सरकारी परामर्शदात्री समिति बनाने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : यह मामला अभी विचाराधीन है ।

क्षेत्रीय तथा राज्य जल नाली व्यवस्था बोर्ड

†१२९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री इ० मधुसूदन राय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उसके बाद राज्य सरकारों से क्षेत्रीय तथा राज्य जल नाली व्यवस्था बोर्ड की स्थापना करने के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हुए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, उत्तर क्या हैं ; और

(ग) इन बोर्डों की स्थापना करने के लिये क्या पग उ ाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) आसाम, आंध्र प्रदेश, बम्बई, बिहार, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, और अन्दमान तथा निकोबार टापू प्रशासन, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लकाद्वीप, मिनोकाय, अमनदीवो टापू, मनीपुर तथा त्रिपुरा से उत्तर प्राप्त हो गये है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ग) यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

टेलीफोन प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति

†१२९९. **{श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके बाद टेलीफोन प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री डा० सुब्बरायन)** : (क) सरकार के निर्णयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) अन्तिम निश्चय हो जाने के पश्चात एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम

†१३००. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके बाद दामोदर घाटी निगम अधिनियम के प्रारूप संशोधनों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) भाग लेने वाली सरकारों के परामर्श के आधार पर प्रारूप संशोधन अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्वर्ती पत्तन निकास समिति

†१३०१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पाणिग्रही :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५४ के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्वर्ती पत्तन विकास समिति ने उसके बाद सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत **कर दिया है** ;

(ख) यदि हां, तो कब ; **और**

(ग) इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। मार्च १९६० तक इस प्रतिवेदन के मिलने की आशा है।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

पंजाब में भांडागार

†१३०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२२२ के उत्तर **के सम्बन्ध में** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सात नये भांडागारों के स्थान के बारे में निश्चय **हो गया है ; और**

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) **और** (ख). राज्य भांडागार **निगम** ने आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के निम्न आठ स्थानों में उचित स्थान मिलने पर भांडागार **खोलने** का निश्चय किया है ; सिरसा, अमृतसर, मलौठ, कोतकपुरा , अबोहर, खन्ना, बरनाला, **और** फजिलका ।

गोहाटी हवाई अड्डे पर रडार

†१३०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोहाटी की टर्मिनल बिल्डिंग में तूफान सूचक रडार के लगाने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : टर्मिनल बिल्डिंग में स्टील स्टेजिंग लगाने का **कार्य** २१ सितम्बर, १९५९ को शुरू हुआ था और ७ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गया। बिजली **के** स्विच आदि तथा रडार लगाने सम्बन्धी अन्य छोटे मोटे कार्य इस महीने के अन्त तक पूरे हो जाने

---

†मूल अंग्रेजी में

की आशा है। रडार को गोहाटी हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। और जैसे ही रडार गोहाटी में पहुंच जाती है तो इसके लगाने का कार्य शुरू हो जायेगा।

कोणार्क और भुवनेश्वर के विश्राम-गृह

†१३०४. **श्री पाणिग्रही :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोणार्क और भुवनेश्वर में विश्राम-गृह बनाने की योजना आरम्भ कर दी गई है और प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** जिन दो कार्यों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्यों के लिये व्यय की मंजूरी मिल जाने पर परियोजनायें कार्यान्वित कर दी जायेंगी। इसकी सूचना निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों को दी जा चुकी है।

खाद्यान्नों का आयात

†१३०५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पाणिग्रही :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक चावल और गेहूं का कुल कितना आयात किया गया और उसकी कितनी कीमत थी ; और

(ख) उसका राज्यवार वितरण क्या था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक आयात किये गये गेहूं और चावल की मात्रा तथा लागत भाड़ा मूल्य निम्न प्रकार था :—

वस्तु	मात्रा हजार टनों में	लागत भाड़ा मूल्य लाख रुपयों में
गेहूं . . .	३,२६४.३	११,८५३.९
चावल	२६८.१	१,२९६.४

(ख) विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्नों का आंशिक वितरण गोदी से इन पक्षों को किया जाता है जैसे आटा की चक्की, प्राप्तिकर्ता राज्यों और उसमें से कुछ भाग केन्द्रीय रिजर्व में रख लिया जाता है जहां उसे अन्य खाद्यान्नों के साथ भंडार में रखा जाता है जिसमें स्थानीय रूप से समाहार भी शामिल है और वह समय-समय पर जारी कर दिया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व में मिल जाने पर वह खाद्यान्न किस समय आयात किया गया था और किस प्रकार प्राप्त किया गया था, इसका कोई विचार नहीं किया जाता क्योंकि हिसाब और उसका निर्गम केवल इन्हीं विचारों के आधार पर नहीं

†मूल अंग्रेजी में

किया जाता है। अतः चालू वर्ष में आयात किये गये खाद्यान्नों का राज्य-वार वितरण किस प्रकार किया गया यह बताना संभव नहीं है।

उत्तर रेलवे पर जनता भोजन

†१३०६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पद्म देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा करने वाली जनता के लिये सस्ता और काफी मात्रा में भोजन की व्यवस्था करने की योजना के एक अंग स्वरूप उत्तर रेलवे पर जनता भोजन लागू करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) किन किन स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू की जायेगी ; और

(घ) किस तारीख तक यह योजना लागू हो जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ). "जनता भोजन" प्रयोगात्मक रूप से उत्तर रेलवे के निम्न स्टेशनों पर प्रत्येक के सम्मुख दिखाई गई तारीख से पहले से ही लागू कर दिया गया है :—

१.	वाराणसी	१९–९–१९५९
२.	पठानकोट	२०–९–१९५९
३.	मुरादाबाद	२५–९–१९५९
४.	जालन्धर सिटी	२९–९–१९५९
५.	इलाहाबाद	१–१०–१९५९
६.	टूंडला	१–१०–१९५९
७.	कानपुर	१६–१०–१९५९
८.	दिल्ली जंक्शन	२–१०–१९५९

इस प्रकार के भोजन में १२ औंस पके चावलों के साथ एक प्लेट दाल, एक प्लेट सब्जी और चटनी होती है जिसका मूल्य ६२ न० पैं० है।

चण्डीगढ़ रेलवे टर्मिनस

†१३०७. श्री अजित सिंह सरहदी।
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला आने और जाने के लिये कालका के बजाय चंडीगढ़ को टर्मिनस बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अण्डमान से लकड़ी

†१३०८. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान गवर्नमेंट टिम्बर डिपो, कलकत्ता द्वारा लकड़ी १८ मार्च, ३० अप्रैल, और १२ जून, १९५९ को काफी मात्रा में नीलाम की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और नीलाम में कितना मूल्य मिला ; और

(ग) यह मूल्य ब्लेयर पत्तन पर यदि वही लकड़ी बेची जाती और कलकत्ता तक लाने में उस पर जो भाड़ा देना पड़ा उसकी तुलना में कैसा था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५**]

अण्डमान से लकड़ी

†१३०९. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान गवर्नमेंट टिम्बर डिपो, कलकत्ता द्वारा किये गये नीलाम की शर्तों में यह शर्त भी है कि वे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को लकड़ी को उठाने के लिये डेढ़ मास का समय देते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मेसर्स पी० सी० रे एंड कम्पनी बिक्री की शर्तों के अधीन मिले समय के अन्दर १९५३ में नीलाम की गई लकड़ी को नहीं उठवा सकी ;

(ग) क्या सरकार को पहले नीलाम की तुलना में कम मूल्य पर पुनः वही लकड़ी बेचने के लिये नुक्सान उठाना पड़ा ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के नुक्सान को रोकने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ). मेसर्स पी० सी० रे एंड कम्पनी ने १९५३ के नीलाम संख्या ४२ और ४३ में ४६५ टन लकड़ी खरीदी थी। कम्पनी से लकड़ी की सारी कीमत वसूल कर ली गई थी किन्तु उसने बिक्री की शर्तों में जितना समय मिलता है उसके अन्दर केवल २२४ टन लकड़ी उठाई। २४१ टन लकड़ी जो पड़ी रह गई थी वह फिर से नीलाम कर दी गई और उससे जो आय हुई वह सरकार के हिसाब में जमा कर दी गई। इस प्रकार वास्तव में सरकार को नुक्सान के बदले फायदा हुआ।

चीनी का राज्य व्यापार

†१३१०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में चीनी का राज्य व्यापार लागू कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन राज्यों में चीनी का क्या भाव है ; और

(ग) देश के शेष राज्यों में चीनी का क्या भाव है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) वास्तव में चीनी का राज्य व्यापार नहीं होता है किन्तु चीनी का वितरण जिला प्राधिकारियों की देख रेख में लाइसेंस थोक विक्रेताओं, सहकारी समितियों और मान्यता प्राप्त फुटकर विक्रेताओं द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग). सारे राज्य में सदैव भाव एक ही नहीं रहता। दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में स्वीकृत फुटकर विक्रेताओं द्वारा बेची गई चीनी का प्रति सेर भाव नीचे दिया जा रहा है :—

		रुपये
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	१·११
आसाम	गौहाटी	१·१०
बिहार	पटना	१·०३
बम्बई	बम्बई	१·०६
केरल	कोचीन	१·११
मध्य प्रदेश	भोपाल	१·०३
मद्रास	मद्रास	१·११
मैसूर	बंगलौर	१·११
उड़ीसा	कटक	१·०६
पंजाब	अमृतसर	१·०५
राजस्थान	अजमेर	१·०५
उत्तर प्रदेश	कानपुर	१·०२
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता**	१·२५**
दिल्ली	दिल्ली	१·०६

**इन स्थानों में चीनी की बिक्री के लिये कोई भी स्वीकृत फुटकर विक्रेता अथवा उचित मूल्य दुकानें नहीं हैं और उनका जो भाव बताया गया है वह सामान्यतः बजार भाव है।

दिल्ली में राष्ट्रीय विस्तार सेवा/सामुदायिक विकास खण्ड

*१३११. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन दिल्ली में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्डों द्वारा बांटे गये ऋण का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो ऋण के वापसी भुगतान के बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में बीज फार्म

†१३१२. **श्री नेक राम नेगी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हिमाचल के ऐसे कितने स्थान हैं और उनके क्या नाम हैं जिनमें वहां के प्रसासन ने १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक बीज फार्म खोले हैं; और

(ख) विभिन्न स्थानों पर इस प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण करने के लिये कितना औसत मूल्य दिया गया है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) १९५८-५९ में निम्न स्थानों पर पांच बीज फार्म खोले गये थे :—

१. चंगेर, जिला मण्डी
२. गुदाड़ी, जिला मण्डी
३. बुर्चवार, जिला मण्डी
४. चिनी, जिला महासू
५. कुनिहार, जिला महासू

१९५९-६० में अभी तक कोई भी बीज फार्म नहीं खोला गया है।

(ख) १. चंगेर शून्य (सरकारी वन भूमि)
२. गुदाड़ी २००६·८ रुपये प्रति एकड़
३. बुर्चवार २१६३·६ रुपये प्रति एकड़
४. चिनी ८९६·८ रुपये प्रति एकड़
५. कुनिहार २५८४·६ रुपये प्रति एकड़

हिमाचल प्रदेश में प्रसंकर मक्का परीक्षण[1]

†१३१३. **श्री नेक राम नेगी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कृषि विभाग द्वारा १९५८-५९ में विभिन्न 'प्रसंकर मक्का परीक्षण' किये गये;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षणों के आधार पर संबंधित विभाग ने क्या परिणाम निकाले और क्या सिफारिशें कीं; और

(ग) क्या यह सच है कि स्थानीय मक्का की तुलना में "प्रसंकर मक्का" अच्छी सिद्ध नहीं हुई?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hybrid maize trial

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० बें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रसंकर मक्के की दो किस्में, जिनकी आजमाइश की गई थी, स्थानीय मक्का के मुकाबले उसकी पैदावार १२ मन प्रति एकड़ अधिक हुई। किन्तु चूंकि इन परीक्षणों की अभी प्रारम्भिक अवस्था है, इसलिये कोई सिफारिश नहीं की जा सकती। दो-तीन वर्षों के परीक्षण के बाद यह बताना संभव हो सकेगा कि किस स्थान के लिये कौन सा प्रसंकर उपयुक्त रहेगा।

औरंगाबाद हवाई अड्डा

†१३१४. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद हवाई अड्डे के विकास के लिये कोई योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). औरंगाबाद में हवाई अड्डे के विकास के लिये निम्न योजनायें मंजूर की गई हैं :

कार्य का नाम	प्राक्कलित व्यय (विभागीय प्रभारों को मिला कर) (लाख रुपयों में)	३१-१०-५९ तक कार्य की प्रगति
(१) धवन मार्ग को सुधारना और मज़बूत करना	७·५३	२ प्रतिशत
(२) एप्रन और टैक्सी मार्ग का निर्माण	२·१५	१५ प्रतिशत
(३) टर्मिनल इमारत का निर्माण	२·०५	८९ प्रतिशत
(४) अतिरिक्त आवास क्वार्टरों का निर्माण	०·३७	कार्य के लिये टेण्डर मांगे गये हैं।
योग	१२·१०	

पूजा के दिनों में गाड़ियों में सैलून लगाना

†१३१५. { **श्री साधन गुप्त** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के चीफ़ आपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट ने एक परिपत्र में यह निदेश किया था कि पूजा के दिनों में रेल गाड़ियों के साथ सैलून न लगाये जायें और गाड़ियों की समस्त क्षमता का प्रयोग यात्रियों के लिये ही किया जाये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ७ अक्तूबर, १९५९ की प्रतीक्षा सूची में उन यात्रियों की संख्या क्या थी जो पूर्व रेलवे में मुख्य लाइन पर हावड़ा से चितरंजन या उससे परे विशेषकर ५ अप अमृतसर मेल में जाना चाहते थे ;

(ग) क्या यह सच है कि पूजा की भीड़ के कारण उस दिन अधिकतम संख्या में टिकट बिके थे;

(घ) क्या यह सच है कि ७ अक्तूबर, १९५९ को इसी गाड़ी के साथ पूर्व रेलवे में चीफ आप्रेटिंग सुप्रिटेंडेंट के लिये जो पटना तक गये, १२ पहियों वाला एक सैलून लगाया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह सैलून लगाने के कारण गाड़ी के साथ एक और बोगी नहीं लगाई जा सकी जिसमें यात्री हावड़ा से चितरंजन तक और उस से आगे तक जा सकते थे; और

(च) यदि ऊपर के भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पूर्व रेलवे के चीफ आप्रेटिंग सुप्रिटेंडेंट ने १२-८-५९ को एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि १ अक्तूबर से २६ अक्तूबर, १९५९ तक मेल, एक्सप्रेस और अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों में अधिक से अधिक डिब्बे जोड़ जायें और इस अवधि में विभागों के प्रभारी अधिकारियों के नीचे के पदाधिकारियों के लिये निरीक्षण डिब्बे तब तक न लगाये जायें जब तक कि रेलवे के विशेष कार्य के लिये उनकी जरूरत न हो ।

(ख) प्रतीक्षा सूची केवल पहले दर्जे और बातानुकूलित दर्जे के यात्रियों की ही बनाई जाती है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	५ अप मेल		५ अप के बाद की गाड़ियां	
	पहला दर्जा	वातानुकूलित दर्जा	पहला दर्जा	वातानुकूलित दर्जा
(१) हावड़ा-चितरंजन सैक्शन के लिये	—	—	—	—
(२) चितरंजन से आगे के सैक्शन के लिये	७	—	—	—

(ग) पूर्व रेलवे पर ७-१०-५९ को टिकटों की अधिकतम बिक्री हुई ।

(घ) जी हां । १२ पहियों वाला एक निरीक्षण डिब्बा ।

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) जी नहीं। निरीक्षण डिब्बा लगाये जाने वाले डिब्बों की अधिकतम निर्धारित संख्या के अतिरिक्त जोड़ा गया था इस लिये यात्रियों को इस से कोई हानि नहीं हुई।

(च) इस १२ पहियों वाले निरीक्षण डिब्बे में राष्ट्रपति की यात्रा के लिये वायरलेस अप्ररेस लगाया हुआ था और यह डिब्बा राष्ट्रपति की विशेष गाड़ी के साथ लगाया जाना था जो ८-१०-५९ की ११-१० बजे पटना से रवाना हुई थी। चीफ आप्रेटिंग सुप्रिटेंडेंट, पूर्व रेलवे, जिन्हें राष्ट्रपति की विशेष गाड़ी में रहने के लिये कहा गया था, निरीक्षण डिब्बे में हावड़ा से आये थे।

लाहोल और स्पिती घाटी के लिए हरकारे

†१३१६. **श्री हेमराज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाहोल और स्पिति घाटी में इस समय हरकारों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब आदिम जाति मंत्रणा परिषद् ने इनकी संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी नहीं ?

(ख) और (ग). पंजाब आदिम जाति मंत्रणा परिषद लाहोल घाटी में कीलांग उनकायलि के लिये दैनिक सेवा चाहता था इसलिये हरकारों की संख्या ५ से १२ कर दी गई। इन घाटियों के बारे में और कोई सिफारिश नहीं मिली है।

बाढ़ों से रेलवे को क्षति

†१३१७. **पं० द्वा० ना० तिवारी :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अमजद अली :
श्री खुशवक्त राय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ की बाढ़ों और अक्तूबर, १९५९ के तूफान से रेलवे को जो क्षति हुई उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन कारणों से कितनी गाड़ियां स्थगित करनी पड़ीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

रेलवे	रेल की पटरियों ; पुलों तथा अन्य सम्पत्ति को बाढ़ों, वर्षा तथा तूफानों से हुई क्षति की मरम्मत पर किया गया अथवा किया जाने वाला खर्च	इन्हीं कारणों से जितनी गाड़ियां स्थगित की गईं अथवा गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंची
पश्चिम . .	४०,६०,००० रुपये	२३०४
उत्तर-पूर्व सीमान्त .	१६,७०,३८४ रुपये	४१७
पूर्व . . .	५,५१,४३१ रुपये	१२०५
दक्षिण पूर्व . . .	८,०३,२०० रुपये	५
मध्य . . .	१६,४४,३४० रुपये	१८
दक्षिण रेलवे . .	२,४५,००० रुपये	५३
उत्तर पूर्व .	१,५०,००० पये	१६
उत्तर .	५,६३,९३५ रुपये	४५
	९६,८८,२९० रुपये	४०६३

कुत्ते का काटना

१३१८. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री दशरथ देब :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो ;

(क) १९५८ में और १५ नवम्बर १९५९ (राज्यवार) तक कुत्ते के काटने से कितने लोग आहत हुए या पागल होकर मर गये ;

(ख) क्या यह सच है कि कुत्ते के काटने से पागल हो जाने की बीमारी का भी अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी दवा निकालने के लिये अनुसंधान करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अपेक्षित विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) जी हां, इस रोग की अभी तक कोई विशिष्ट औषधि आविष्कृत नहीं हुई । समय रहते निरोध उपाय बरतना ही इस से बचने का एक मात्र उपलब्ध तरीका है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग के निरोध के लिये बहुत समय से टीके का प्रयोग चला आ रहा है और इस टीका-चिकित्सा में सुधार के लिये लगातार अनुसंधान किये जा रहे हैं।

दिल्ली का अन्तरिम सामान्य नक्शा

†१३१९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १"—१ मील पैमाने वाला दिल्ली का अन्तरिम सामान्य नक्शा तैयार किया गया था परन्तु वह नक्शा प्रकाशित नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रतियां तैयार की गई थीं ; और

(ग) वे प्रतियां किन किन विभागों अथवा प्राधिकारियों को भेजी गईं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). नगर आयोजन संस्था ने ३"—१ मील पैमाने वाला दिल्ली का एक नक्शा तैयार किया गया था । इसकी २६६३ प्रतियां तैयार की गई थीं।

(ग) अब तक केवल ६३ प्रतियां निम्नलिखित को भेजी गईं :—

१	प्रधान मंत्री	१
२	स्वास्थ्य मंत्री	१
३	स्वास्थ्य मंत्रालय	३
४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	४
५	दिल्ली नगर निगम	३
६	दिल्ली विकास प्राधिकार	३१
७	संसद् सदस्य (दिल्ली)	४
८	फोर्ड प्रतिष्ठान	२
९	भूमि अर्जन कलैक्टर	१
१०	सुप्रिंटेंडेंट पुलिस (सी० आई० डी०)	१
११	नगर आयोजन संस्था के पदाधिकारी	१२
	कुल	६३

फसल बीमा योजना

१३२०. **डा० राम सुभग सिंह ।**
श्री से० अ० महदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में फसल बीमा योजना आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने इस के लिये अनुमति मांगी है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार को अनुमति दी गई है ;

(घ) क्या फसल बीमा योजना आरम्भ करने के लिये इस वर्ष किसी राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी जायगी ; और

(ङ) यदि हां, तो किस राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जायगी ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

मधुमक्खी पालन

†१३२१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५९ के पहले सप्ताह में मधुमक्खी पालन योजनाओं पर विचार करने के लिये वेटरिनरी पैरासाइटालोजी और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद की प्राणि-शास्त्री समिति की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अक्तूबर, १९५९ में पशु पैरासाइटालोजी खालों, रेशम कीट पालन सम्बन्धी गवेषणा योजनाओं पर विचार करने के लिए पशु चिकित्सा, पैरासाइटालोजी और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद की प्राणिशास्त्र समिति की बैठक हुई थी।

(ख) उक्त बैठक में मधुमक्खी पालन सम्बन्धी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई और न ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया गया था । समिति ने मैसूर राज्य के कृषि विभाग से प्राप्त हुए एक नोट पर जो मधुमक्खियों में प्रचलित 'अर्काइन' रोग के सर्वेक्षण के बारे में था, विचार किया था । प्रतिवेदन पर विचार करते समय यह भी कहा गया कि इस रोग से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो गई है । उत्तर प्रदेश में यह रोग फैल गया है और संभव है कि यह रोग सारे भारत में फैल जाय और इस उद्योग के लिये खतरा बन जाये । समिति ने यह अनुभव किया कि रोग की रोकथाम के तरीके तो मालूम हैं परन्तु यह मालूम नहीं कि देश के किस-किस भाग में इसका कितना प्रकोप है इसलिये इसे नष्ट करने के लिये आवश्यक दवाई की मात्रा का अनुमान नहीं लग सकता। अतः समिति ने सिफारिश की कि :

(१) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली के एंटीमालोजी विभाग के अध्यक्ष देश के विभिन्न प्रदेशों में रोग के प्रकोप का सर्वेक्षण करने के लिये एक योजना भारतीय कृषि गवेषणा परिषद को दे ;

(२) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद ग्लोरोबेंजलेट का आयात करन के लिये लगभग ५००० पये की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) रोग वाले क्षेत्र से मधुमक्खियों को दूसरे क्षेत्र में जाने पर प्रतिबन्ध लगाना ज़रूरी है ।

समिति की सिफारिशों पर परिषद विचार कर रहा है ।

मैसूर के कृषि विभाग द्वारा भेजे गये नोट की एक प्रति संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]**

पंजाब के डाक डिवीजन में विस्तार

†१३२२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में पंजाब के डाक डिवीज़न में कितनी नई नौकरियां निकाली गईं ; और

(ख) क्या यह वृद्धि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये निदेश और प्रत्येक डाक डिवीज़न के लिये स्वीकृत बजट के प्रतिकूल नहीं है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) जी नहीं । कर्मचारियों की स्वीकृति परिवहन और बजट आवंटन को देखते हुए दी जाती है ।

समुद्र जीव विज्ञान[१] गवेषणा केन्द्र

†१३२३. **श्री कुन्हन :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में खोले गये समुद्र-जीव विज्ञान तथा मीन क्षेत्र गवेषणा केन्द्र में आवश्यक उपकरण आदि लग गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र में गवेषणा करने वालों को शीतकोठारों में प्रयोग करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में एक से दूसरे यूनिट में जाना पड़ता है, और

(ग) क्या भारत सरकार को कोई ऐसी योजना है कि प्रयोग करने के लिए अपने शीतकोठार उपकरण की व्यवस्था की जाये ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) शायद यह संकेत एर्नाकुलम स्थित केन्द्रीय मीन क्षेत्र प्रौद्योगिकीय गवेषणा केन्द्र के प्रासैसिंग विंग की ओर किया गया है । कक्ष में आवश्यक उपकरण पहुंचा दिया गया है । केन्द्र के कार्यक्रम का निरन्तर अवलोकन किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार और आवश्यक उपकरण की भी व्यवस्था की जायेगी ।

(ख) शीतकोठार कोई नहीं है और न ही केन्द्र में इस समय मछलियों को ठंडा रखने का कोई स्थान है इस कठिनाई को दूर करने के लिए कोचीन का कुछ फर्मों के साथ प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) शीत कोठार संयंत्र लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Marine Biology.

सारडीन मछली

†१३२४. { **श्री कुन्हन :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मौसम में मालाबार तट पर तेल वाली सारडीन और मैकरल मछली पकड़ने की कोई सम्भावना है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ;

(ख) गत मौसम में इन दो किस्मों की कितनी उपलब्धि हुई ;

(ग) अनुमानतः कितनी मात्रा खाने के और कितनी खाद के तौर पर प्रयोग की गई ; और

(घ) गत मौसम में सारडीन मछली का कितना तेल निकाला गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) आशा है कि आगामी मौसम में मालाबार तट पर तेलवाली सारडीन और मैकरल मछलियां काफी मात्रा में पकड़ी जायेंगी परन्तु अभी से निश्चित अंदाज नहीं लग सकता ।

(ख)	**मीट्रिक टन**
सारडीन	१,२३,८००
मैकरल	१,२३,३००

(ग) प्रयुक्त मात्रा अनुमानतः निम्नलिखित है :—

खाने के स्तेमाल में	८५ प्रतिशत
कच्ची खाद के तौर पर	१५ प्रतिशत

(घ) तेल की मात्रा लगभग ८२ टन थी ।

डाक सेवा निदेशकों के निरीक्षण दौरे

†१३२५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई हिदायतें दी गई हैं कि भारत के प्रत्येक प्रदेश डाक सेवा निदेशक को निरीक्षण के लिए कितना समय दौरा करना चाहिए ; और

(ख) क्या इन हिदायतों पर अमल किया जा रहा है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) और (ख). डाक सेवा निदेशकों को सर्किल के प्रभारी पदाधिकारी के आदेशानुसार डिवीज़नों का दौरा करने और मामलों की जांच करने के लिए जाना होता है परन्तु दौरे की अवधि निश्चित नहीं की गई है । अधिकतर डाक सेवा डायरेक्टर काफी समय दौरे पर रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

†१३२६. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में इस समय माइक्रोबायालोजी, सिरोलोजी और बायोकैमिस्ट्री की किन-किन मदों के बारे में गवेषणा कार्य हो रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में इन मदों सम्बन्धी गवेषणा कार्य हो रहा है :--

१. बैंजिल-पैनिसिलीन और एल्युमिनियम मोनस्ट्रेट के लिए माडीफाइड ब्लड लैवल ड्यूरेशन टेस्ट ।

२. पैनिसिलीन के शोधक गुण ।

३. स्टैफिलोकोकाई में रोग का मुकाबला करने को शक्ति बढ़ाना ।

४. वैक्टीरिया के टीकों के उत्पादन का विकास ।

५. वैक्सीन उत्पादन के लिए कालरा विब्रियो के नये स्ट्रेनों का चुनाव ।

६. हैजा, टाइफाइड और पेचिश आदि के लिए जैली वैक्सीन के उत्पादन की गवेषणा ।

७. वैक्सीन फैरेपी में ऐंटीरैबिक सीरम का प्रयोग ।

८. अल्ट्रा वायलेट इरेडिकेटिड रेबीज़ वैक्सीन ।

९. कुत्तों को उन्मुक्त करने के लिए लाइव-ऐग-एडाप्टिड ऐंटीरैबिक वैक्सीन का विकास ।

१०. ऐंटीवेसिन का प्रमापीकरण।

११. विशेष उपकरण का आयात किये बिना भारत में ही उपलब्ध उपकरण की सहायता से एम्पूल्स ऐंटीवेनिन को अपेक्षित मात्रा में सुखाने के सस्ते और सक्षम तरीकों का विकास ।

१२. ऐंटी टाक्सिक सीरा बढ़िया किस्म का और अधिक मात्रा में तैयार करने सम्बन्धी प्रौद्योगिकीय विकास का अध्ययन ।

१३. हैजे के पैथोजेनेसिज के सम्बन्ध में बायोकैमिस्ट्री ।

१४. हैजे के बारे में इम्यूनोकैमिकल अध्ययन ।

१५. पंजाब में फ्लूरोसिज अध्ययन ।

एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली गाड़ियों में डिब्बे

†१३२७. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली गाड़ियों के डिब्बों की हालत के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्थापनाओं पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) शिकायतें ये हैं कि इस सैक्शन पर पुराने डिब्बे चलाये जाते हैं, उनकी छतें टपकती हैं, पंखे काम नहीं करते, सफाई नहीं की जाती और किवाड़ तथा खिड़कियां खराब होती हैं ।

(ग) शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है । यह प्रबन्ध पहले से मौजूद हैं कि जिस स्टेशन से गाड़ियां चलें वहां उनकी सफाई की जाये और फिटिंग देखी जाये और यदि डिब्बों में कोई त्रुटि हो तो उसे दूर किया जाये ।

अगरताला में चैस्ट क्लिनिक

†१३२८. **श्री दशरथ देब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने

(क) क्या अगरताला में तपेदिक के रोगियों की चिकित्सा के लिए कोई चैस्ट क्लिनिक है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार अगरताला में शीघ्रातिशीघ्र एक सम्पूर्ण चैस्ट क्लिनिक स्थापित करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अगरताला में इस समय कोई चैस्ट क्लिनिक नहीं है परन्तु तपेदिक के रोगियों की रोग परीक्षा तथा उपचार के लिए अगरताला के बी० एन० अस्पताल में सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ख) अगरताला में एक सम्पूर्ण तपेदिक क्लिनिक स्थापित करने की प्रस्थापना पर त्रिपुरा प्रशासन विचार कर रहा है ।

त्रिपुरा में मीन क्षेत्रों का विकास

†१३२९. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक त्रिपुरा में मीन क्षेत्रों के विकास के लिए त्रिपुरा प्रशासन को ऋण के लिए डिवीजनवार कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं : और

(ख) उक्त अवधि में डिवीजनवार कुल कितना ऋण दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) १९५८-५९ में ऋण के लिए ४२ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। ब्यौरा यह है :—

सबडिवीजन का नाम	**आवेदन पत्रों की संख्या**
सदर	१०
खोवाई	४
कमलपुर	१
कैलासहर	८
सोनामुरा	४
उदयपुर	१४
अमरपुर	१
कुल	४२

१९५९-६० के लिए ऋण के आवेदन पत्र त्रिपुरा प्रशासन ने मांगे हैं।

(ख) १९५८-५९ में ऋण के रूप में कुल १९,००० रुपये दिये गये जो नीचे उल्लिखित हैं :—

सब डिवीजन का नाम	**राशि**
	रु०
सदर	२,५००
खोवाई	६,१००
कमलपुर	--
कैलासहर	७,०००
सोनामुरा	--
उदयपुर	३,४००
अमरपुर	--
कुल	१९,०००

विनय नगर रेलवे स्टेशन के निकट वाले झोंपड़े

†१३३०. **श्री राम गरीब :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनय नगर रेलवे स्टेशन से लेकर सफदर जंग हवाई अड्डे तक नाले के निकट बने झोंपड़ों के निवासियों के लिए सुविधायें उपलब्ध करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इसे कब पूरा कर दिया जायगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह मसला नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में तपेदिक के रोगी

१३३१. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में तपेदिक के कितने रोगियों का इलाज हो रहा है ;

(ख) प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो १९५८ और १९५९ में उक्त प्रदेश में तपेदिक के कितने रोगी थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

अस्पताल का नाम	जिन रोगियों का इलाज किया जा रहा है, उनकी संख्या	प्रतीक्षा सूची में रखे रोगियों की संख्या
महासू	९८	८०
मण्डी	३,१८२	१२३
सिरमौर	१९६	२९
चम्बा	१४०	७४
बिलासपुर	२३०	—
	३८४६	३०६

(ग) और (घ). हिमाचल प्रदेश में अब तक कोई नियमित क्षय सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

गाड़ियों का रोका जाना

†**१३३२. श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अम्बाला जाने वाली कुछ गाड़ियां अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में छात्रों द्वारा घंटों तक रोक ली गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) अक्तूबर १९५९ के महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी । ६-११-५९ को दिल्ली-सोनेपत डीज़ल रेल कार को विद्यार्थियों ने सब्जी मण्डी पर चार घंटे रोक रखा था ।

(ख) इसका मुख्य कारण विद्यार्थियों की यह मांग थी कि सोनेपत जाने वाली गाड़ी में अधिक स्थान की व्यवस्था की जाय ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) २०-११-१९५९ से डीज़ल रेल कार के स्थान पर एक गाड़ी चला दी गयी है जिसमें ५०० यात्रियों के बैठने का स्थान है ।

चीनी, खांड सारी और गुड़ का उत्पादन

†१३३३. **श्री जाधव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के सीज़न में निम्नलिखित का उत्पादन कितना था ;

(१) चीनी ;

(२) खांडसारी और खुले कडाहों में बनी शक्कर, और

(३) गुड़ ;

(ख) १९५७-५८ के सीज़न में इन सभी किस्मों के उत्पादन की तुलना में यह कैसा ठहरता है ;

(ग) उन चीनी मिलों की संख्या कितनी है जिन्होंने १९५७-५८ और १९५८-५९ के सीज़न म वास्तव में उत्पादन किया ;

(घ) उन चीनी मिलों की संख्या कितनी है जिन्होंने चालू सत्र में अब तक उत्पादन आरम्भ किया है ; और

(ङ) १९५७-५८ और १९५८-५९ के सीजनों में चीनी और गुड़ की प्रति व्यक्ति उपलब्धि कितनी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख).

सीज़न	उत्पादन लाख टनों में		
	चीनी	खांडसारी (प्राक्कलित)	गुड़ (प्राक्कलित)
१९५७-५८	१९.७८	२.२५	३४.५ (पुनरीक्षित)
१९५८-५९	१९.१९	२.५०	३६.७*

(ग) १९५७-५८ और १९५८-५९ के सीजनों में क्रमशः १५८ और १५६ ।

(घ) ५ दिसम्बर, १९५९ तक १३९ ।

(ङ)

सीज़न	प्रति व्यक्ति की वार्षिक उपलब्धि पौंडों में	
	चीनी	गुड़
१९५७-५८	११.२	१९.०
१९५८-५९	११.२	१९.८*

*ईख की फसल के अन्तिम पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर पुनरीक्षणीय ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के ग्राम्य क्षत्रों के लिए सड़कें

†१३३४. **श्री अ० मु० तारिक:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के ग्राम्य क्षेत्रों के लिए कौन-कौन सी नयी सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गयी है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अभी तक कितना कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इन सड़कों को पूरा करने की लक्ष्य तिथियां क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) १. नजफ़गढ़—घुमनहेड़ा रोड । २. बस्तावरपुर—कोरोनेशन पिलर रोड ।

(ख) अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया गया है । पहली सड़क के लिए जमीन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है और दूसरी सड़क के रेखण[1] की जांच की जा रही है ।

(ग) पहली सड़क के लिए मार्च, १९६२ और दूसरी के लिए मार्च, १९६३ ।

छापी के निकट दुर्घटना

†१३३५. **श्री पु० र० पटेल:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ अक्तूबर, १९५९ को या उसके आसपास छापी स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर कोई रेलवे दुर्घटना हो गयी थी ;

(ख) उससे रेलवे तथा अन्य लोगों को क्या क्षति अथवा हानि पहुंची ;

(ग) क्या उसमें किसी की मृत्यु हो गयी थी ;

(घ) दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(ङ) क्या उसके फलस्वरूप घायल व्यक्तियों अथवा मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्धियों और पशुओं को पहुंची हानि के लिए कोई मुआवज़ा दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) ३-११-५९ को लगभग ०९-४० बजे जिस समय ८९९ अप थ्रू मालगाड़ी छापी स्टेशन पर से गुजर रही थी, उसके १७ वैगन पटरी पर से उतर गये ।

(ख) रेलवे की सम्पत्ति को १७,६०० रुपयों की और जनता की सम्पत्ति को लगभग ७०० रुपयों की ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इसकी जांच हो रही है ।

(ङ) अभी तक मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Alignment.

तेलवाहक पोत

†१३३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रायें बचाने के प्रयास में तीनों प्रमुख विदेशी तेल कम्पनियों—बर्मा शैल, स्टैनवैक और कालटैक्स—से महासागर में जा सकने वाले तेलवाहक पोत उनके लिए चार्टर करने के विषय में बातचीत पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्राओं की बचत होने की सम्भावना है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) बातचीत अभी चल ही रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अभी से यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि कितनी विदेशी मुद्राओं की बचत होने की सम्भावना है ।

रेलवे में चोरियां

†१३३७. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में जनवरी से अक्तूबर, १९५९ तक के महीनों में चोरी, उठाईगिरी और सम्पत्ति की हानि कितनी घटनायें हुई हैं, और

(ख) वर्ष १९५८ की इसी अवधि की तुलना में यह कैसी ठहरती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

		अवधि	
		१-१-५९ से ३१-१०-५९	१-१-५८ से ३१-१-५८
		संख्या	संख्या
१.	चोरियां	३२१	२७७
२.	उठाईगिरी की घटनायें	१४९	१३३
३.	रेलवे की सम्पत्ति की हानि	१२२३	१११०

गेहूं की हानि

†१३३८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७, १९५८ और १९५९ में अब तक कलकत्ते से रेलगाड़ियों द्वारा आसाम में गौहाटी के सरकारी डिपो को भेजे जाने वाले गेहूं की रास्ते में हानि की घटनाएं हुई हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इनके करण क्या थे और कितने परिमाण की हानि हुई है ;

(ग) सरकार ने रेलवे पर कितनी राशि का दावा किया है ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य कारण हैं रास्ते में और ट्रांशिपमेंट[1] में बर्बादी, चोरी और वर्षा के कारण क्षति । इन तीन वर्षों में जितने परिमाण की हानि हुई वह इस प्रकार है :—

१९५७	१९५९	१९५९ (मई तक)
मन	मन	मन
१९७०	२९३२	३२२३

(ग) ५७, ५८ और ५९ (मई तक) की हानियों के लिए रेलवे से क्रमशः ३३, ६००; ५०, १०० और ५७,५०० रुपयों के दावे किये गये थे ।

(घ) कटे/फटे/ढीले बोरों के सम्बन्ध में दावे, जिनका इस प्रकार के दावों में मुख्य भाग होता है, रेलवे के विरुद्ध नहीं टिक सकते क्योंकि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय सरकार के खाने में बुक किये गये अनाज की लदानों को नीचे लकड़ी अथवा अन्य किसी चीज़ को रख कर उस पर नहीं रखा जाता । लापता और क्षतिग्रस्त बोरों के सम्बन्ध में हमारे दावों में से रेलवे ने ५७ और ५८ के सम्बन्ध में क्रमशः ४७५ और ७५५ रुपयों के दावे मंजूर किये गये थे । कुछ दावों के सम्बन्ध में रेलवे अब भी जांच कर रही है और उन्हें भी यथासमय निबटा दिया जायगा ।

भारतीय लोक अकाल न्यास

†१३३९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोक अकाल न्यास की मार्फत अब तक कुल कितनी राशि जमा हुई है ;

(ख) अगले वर्ष के लिए (प्रत्येक राज्य को) कुल कितना रुपया दिया अथवा आवंटित किया गया है ; और

(ग) इस प्रकार की निधियों के आवश्यकतानुसार उपयुक्त वितरण के लिए क्या फार्मूला निर्धारित किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५८ को इस निधि के जमा खाते में ३४, ८५, ४४१·४२ रुपयों की राशि थी ।

(ख) और (ग). इस न्यास निधि में से अनुदान मंजूर करने के लिए कुछ भी राशि अलग नहीं की गयी है । क्योंकि न्यास का प्रयोजन धन देकर या अन्यथा फसल न होने अथवा नष्ट हो जाने या इसी प्रकार की किसी देवी आपदा के कारण उत्पन कष्टों को कम करने का है, बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर कष्ट-निवारणार्थ अनुदान देता है ।

न्यास निधि का प्रशासन एक प्रबन्धक मण्डल करता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं :—

१. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये ५ व्यक्ति ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Transhipment.

२. मद्रास, बम्बई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, और मैसूर राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा नियुक्त १ व्यक्ति से मिल कर बने १३ व्यक्ति ।

३. जयपुर के हिज हाईनैस, अर्थात् भूतपूर्व शासक द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति ।

संघ सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्री इस मंडल के सभापति हैं ।

ये अनुदान निम्न लिखित में से एक अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए होते हैं :—

१. अकाल संहिता (अभाव संहिता अथवा किसी काल विशेष में लागू किसी नियम) के अधीन निर्वाह-राशन में छोटी मोटी सुविधाओं—चाहे वह खाने की हों, या कपड़े की हों, या ओढ़ने-बिछाने अथवा चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं की हो—बढ़ा कर उनके अनुपूरक का कार्य करने में ।

२. अनाथों और कर्मशालाओं की देखरेख करने में ।

३. कष्ट में पड़ी पर्दानशीन स्त्रियों, बच्चों और ऐसे व्यक्तियों को, जो सामाजिक अथवा जातिगत कारणों से राजकीय सहायता के लिए आवेदन अथवा अकाल संहिता (अभाव संहिता अथवा किसी काल विशेष में लागू किसी नियम) में विहित कष्ट में पड़े होने की सामान्य परीक्षाओं में नहीं जा सकते , कष्ट से छुटकारा दिलाने में ।

४. ऐसे निर्धन किसानों को, जो कष्ट काल में अपनी पूरी अथवा अधिकाश पूंजी गंवा बैठे हों, अपना काम फिर से जमाने में और इस प्रकार अपना जीवन नये सिरे से आरम्भ करने में सहायता देने में ।

५. किसी ऐसे उद्देश्य के, जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने बोर्ड से विशेष रूप से सिफारिश की हो, सम्बन्ध में व्यवस्था करने में ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६

†१३४०. **श्री न० म० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने पुलों और पुलियों सहित राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर सबुर्ण रेखा नदी (बाहरगोड़ा के निकट) के ऊपर का पुल इस्पात की कमी के कारण बहुत दिनों से अधूरा पड़ा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ का जो भी भाग नहीं था उसकी व्यवस्था कर दी गयी है लेकिन कलकत्ते और उड़ीसा-बिहार की सीमा के बीच कुछ पुलों का निर्माण अभी शेष है । आशा है कि इन सभी पुलों का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायगा ।

(ख) इस्पात की कमी के कारण कुछ भी विलम्ब नहीं हुआ है । बिलम्ब बुनियाद सम्बन्धी घोर कठिनाइयों और कुछ विशिष्ट कार्य करने वाले उपकरण प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण हुई है । आशा की जाती है कि यह कार्य १९६० के मानसून से पहले पूरा हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में विद्युत् परियोजनायें

†१३४१. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्राओं की कमी के कारण उड़ीसा सरकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना वाली विद्युत परियोजनाओं को ततीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) इनका सम्बन्ध कितनी विदेशी मुद्राओं से है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

†१३४२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ नवम्बर, १९५९ को नयी दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किये गये निर्णयों का मोटे तौर पर ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). २६ नवम्बर, १९५९ को राज्य के मंत्रियों का सामान्य रूप से कोई सम्मेलन नहीं हुआ था । फिर भी, राज्य के कृषि उत्पादन पर राज्यों के मंत्रियों से, जो भारतीय कृषि पर अनुसंधान परिषद् की विशेष सामान्य बैठक में भाग लेने के लिये दिल्ली आये थे, सामान्य रूप से चर्चा की गयी थी ।

आसाम के लिए बिजली

†१३४३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जो भार-सर्वेक्षण किया है उसके अनुसार पूरे आसाम के लिये १९६५–६६ में अधिक से अधिक मांग ५०,००० किलोवाट कूती गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कैसे पूरा किया गया है ; और

(ग) परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी बिजली पैदा करने की क्षमता कितनी कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह मांग मुख्यतः उमत्रु और उम्यम (बारापानी) जल-विद्युत् योजनाओं से उपलब्ध बिजली से पूरी की जायगी । इन दोनों परियोजनाओं की अधिकतम बिजली पैदा करने की क्षमता ५० प्रतिशत लोड फैक्टर पर ७५,००० किलोवाट कूती गयी है और आरंभ में ३ से ५० प्रतिशत लोड-फैक्टर पर ३६,००० किलोवाट तक ही विकसित किया जायगा ।

संघ राज्य क्षेत्रों में बूचड़खाने

†१३४४. **श्री कुम्भार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितने बूचड़खाने हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य क्षेत्र में कुल कितने लाइसेंसधारी हैं ;

(ग) प्रत्येक बूचड़खाने में प्रतिदिन कितने पशुओं का वध किया जाता है ; और

(घ) रोजाना काटे जाने वाले पशुओं में बकरों, भेडों, गायों और भैंसों की संख्या कितनी कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

रेलवे वर्कशाप

†१३४५. { **श्री ले० अचौ सिंह** :
श्री एन्थनी पिल्ले :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पराम्बूर रेलवे वर्कशाप और गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप के प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के संगठनात्मक ढांचे और नौकरी की शर्तों की तुलना करते हुए कोई जांच की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस तुलनात्मक अध्ययन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह जांच कब की गयी थी ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य अंतर यह है कि उत्पादन संगठनों का ढांचा और दोनों वर्कशापों के कर्मचारियों के वेतन-क्रम एक से नहीं हैं ।

(ग) जांच १९५७ में की गयी थी ।

(घ) समान पद्धति लागू करने का प्रश्न दक्षिण रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विमान दुर्घटना

†१३४६. **श्रीमती मफीदा अहमद:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलिंग एयर लाइन्स का एक विमान नवम्बर, १९५९ के अंतिम सप्ताह में डिब्रूगढ़ (आसाम) के निकट दुर्घटनाग्रस्ट हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) और (ख). इन्डामेर कम्पनी के नाम में रजिस्टर्ड और कलिंग एयर लाइन्स द्वारा संचालित एक डकोटा विमान वी टी—सी एक्स आर २५ नवम्बर, १९५९ को सूकरेटिंग हवाई अड्डे (आसाम) से उड़ान आरम्भ करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके फलस्वरूप विमान क्षतिग्रस्त हो गया है । कोई घायल नहीं हुआ । दुर्घटना की जांच चल रही है ।

इम्फाल और सिलचर के बीच टेलीफोन सम्बन्ध

†१३४७. **श्री ले० अचौ सिंह:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कछार और मनीपुर के बीच का सीधा कनेक्शन भंग कर दिये जाने के कारण इम्फाल और सिलचर के बीच तार और टेलीफोन द्वारा संदेशों के आदान प्रदान में बड़ी देर लग जाती है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या सीधा तार टेलीफोन संबंध फिर से जोड़ने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) पिछले युद्ध के बाद से इम्फाल और सिलचर के बीच कोई सीधा तार अथवा टेलीफोन सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) कोई शिकायतें नहीं आयी हैं । यहां संदेशों का आवागमन बहुत कम है और बाधायें होती रहने के कारण उनमें देर हो सकती है ।

(ग) संदेशों का आवागमन इतना नहीं है कि सीधे सम्पर्क की स्थापना को उचित समझा जा सके । फिर भी सड़क की लाइन पूरी होने के बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जायगा ।

स्थगन प्रस्ताव

श्री करम सिंह के साथ किया गया व्यवहार

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम): श्रीमान, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । कल श्री करम सिंह के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या उन्हें बर्फ पर बैठाया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

था, बर्फ पर दौड़ाया गया था और रात के समय खुली जगह में रखा गया था । प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसका मतलब यह था उसके साथ उदारता का व विनम्र व्यवहार किया गया था । आज **स्टेट्समैन** में यह खबर छपी है कि गिरफ्तार किये जाने के दूसरे दिन चीनी सैनिकों ने उन्हें बहुत पीटा, तीन रात उन्हें बर्फ पर सुलाया गया, कोई बिस्तर वगैरा नहीं दिया गया और दो दिन तक तो उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। मेरा निवेदन है कि सही-सही तथ्य सभा के सामने रखे जायें कि जम्मू अस्पताल में हमारे पदाधिकारियों के सामने उन्होंने क्या क्या बातें बताईं ।

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : मैं ने इस सम्बन्ध में एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था । मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न होना चाहिये था कि वह स्वयं आकर यहां बयान दे, जब करम सिंह का बयान कल हो गया था । कल यहां कहा गया था कि वह फ्रास्ट बाइट से सफर कर रहे हैं और उनकी हालत अभी अच्छी नहीं है । यह भी कहा गया था कि चीन सरकार ने यह कहा है कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है वह भला और मित्रवत था । जब आप मेरा एडजर्नमेंट मोशन नहीं एलाऊ कर रहे हैं, तो कम से कम एक स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से करा दें कि असल वाक्या क्या है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समझ सकता हूं कि इस मामले में सही बातें जानने के लिए सभा कितनी इच्छुक व उत्सुक है । पहले पहल हमें २ या ३ सप्ताह पूर्व जानकारी मिली थी—जब श्री करम सिंह लेह या श्रीनगर पहुंच चुके थे—कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था । उन्होंने जो कुछ बयान दिया था उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट हमारे पास आई थी । तुरन्त हमने उस रिपोर्ट को चीन सरकार के पास भेजा और उनके प्रति इस व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की । सभा को स्मरण होगा कि वाद विवाद के दौरान युद्ध बन्दियों के साथ व्यवहार तथा जेनेवा करार आदि का जिक्र किया गया था ।

उसके बाद कुछ दिनों पूर्व हमें उसका जवाब मिला—जैसा कि मैंने सभा को सूचित कर दिया था—जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके साथ अच्छा तथा उदारता का व्यवहार किया था ; यह बात श्री करमसिंह से हमें जो रिपोर्ट मिली थी उससे बिल्कुल उलटी थी ।

चूंकि श्री करम सिंह के बयान की पहली रिपोर्ट संक्षिप्त थी उसमें पूरा ब्यौरा नहीं था, अतः हम उनका पूरा बयान चाहते थे । हम उस समय उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे क्योंकि वह अस्पताल में बुरी हालत में पड़े थे । पिछले कुछ दिनों में उन से कुछ और बातें मालूम हो सकी हैं । ये सारी बातें हमारे पास अभी १० मिनट पहले पहुंची हैं । अभी मैं उन्हें पढ़ भी नहीं पाया हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामान्य धारणा यही है कि श्री करम सिंह तथा अन्य लोगों के साथ बुरा बहुत बुरा व्यवहार किया गया । यह सब क्रूर व्यवहार की एक गंभीर कहानी है । मुझे जो रिपोर्ट अभी १० मिनट पहले मिली है, उस पर मैं अच्छी तरह विचार करूंगा और उसके बाद चीन सरकार के साथ अग्रेतर कार्यवाही करूंगा । यह ठीक और उचित भी है कि मैं इस मामले में सभा को विश्वास में लूं । पर इस समय इस के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो मैं ने उस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं है । मेरा सुझाव है कि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ दिनों बाद इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सोमवार को ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : जी हां, सोमवार को ।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : एक जानकारी का प्रश्न है । कल हमने इस विषय पर कुछ अल्प सूचना प्रश्न पूछे थे ; लेकिन चूंकि हमें जानकारी नहीं दी गई, इसलिये हम उस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सके । प्रधान मंत्री ने बताया कि जानकारी उन्हें अभी १० मिनट पहले मिली है । पर समाचार पत्रों में कुछ बहुत गंभीर बातें प्रकाशित हुई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है क्या वह सरकार के पास पहले से उपलब्ध थी ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू :** असल में मैं आज का समाचार पत्र पढ़ ही नहीं सका हूं । मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला । कई कारणों से मैं इतना व्यस्त था—जैसा कि सभा को पता है—कि समाचार पत्र नहीं पढ़ सका ।

मुझे बताया गया है कि समाचार पत्रों में जो विवरण आया है वह किसी भी तरह ठीक व सही नहीं है । हो सकता है उसमें कुछ बातें सच हों, पर साथ ही उसकी अन्य कुछ बातें सच नहीं हैं । हो सकता है कि शायद श्री नगर या जम्मू में इस रिपोर्ट की कुछ बातें पहले से मालूम हो गई हों ; इसी कारण कुछ बातें सही हैं और कुछ गलत । अतः जब तक मैं रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ न लूं और सभा को सारी जानकारी बता न दूं, तब तक समाचार पत्रों में छपी जानकारी के बारे में कुछ कह सकना कठिन है । पर मैं यह बात दोबारा बता देना चाहता हूं कि कल जब प्रश्न पूछा गया था, उस समय तक मेरे पास यह जानकारी नहीं थी, जो आज सुबह आई है ।

†**श्री खुशवक्त राय** : करम सिंह ने बयान दिया है उसकी एक नकल या समरी हम को मिल जानी चाहिए ।

†**श्री जवाहरलाल नहरू:** इस समय मैं नहीं कह सकता कि हम दे सकेंगे । पर जब मैं बयान दूंगा, तो वह बयान समरी-सा ही होगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** भारत-चीन सीमा समस्या सम्बन्धी वाद विवाद के दौरान मैंने अपिने भाषण में डा० बालिगा द्वारा हांगकांग में दिये गये वक्तव्य का जिक्र किया था । चूंकि डा० बालिगा ने श्री करम सिंह के बारे में कुछ कहा था, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जाने के पहले किसी मंत्री से राय ले कर गये थे और क्या आने के बाद वह प्रधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री या सरकारी अधिकारी से मिले और उन्होंने अपनी बातचीत की रिपोर्ट दी थी ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू:** यह एक अलग बात है । पर मैं उसे स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा ।

चीन सरकार ने डा० बालिगा तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों को वहां १ अक्तूबर से आरंभ होने वाले वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था । उस समय

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० बालिगा मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझ से कहा "मुझे आमंत्रित किया गया है, पर लद्दाख में जो घटनायें हुई हैं, उनको देखते हुए मैं आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहता," और उन्होंने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में इस समारोह में मेरा जाना अनुचित होगा ।" मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत था और वह गये भी नहीं । उसके बाद उन्होंने मुझ से पूछा "क्या कुछ समय बाद मैं वहां जाऊं" मैं ने कहा, "अवश्य, यदि आप जाना चाहें ।" उन्होंने कहा "मैं एक पर्यटक के रूप में जा रहा हूं, क्या जाऊं ?" मैं ने कहा, "आप का बाद में जाना ठीक होगा ।"

उसके बाद कुछ और घटनायें हुईं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, पर्यटक के रूप में , जैसा उन्होंने मुझे बताया, वहां जाने का निश्चय किया । जाने से पहले वह मेरे पास फिर आए और मुझसे मिले उन्होंने कहा "मैंने तय कर लिया है और मैं परसों जा रहा हू। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें रोज हो रही है। मुझे जाना चाहिए? मुझ अपनी यात्रा रद्द कर देनी चाहिए? मैंने उनसे कहा कि मैं उनके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहता यदि वह और उनकी पत्नी पर्यटक के रूप में जाना चाहते है, तो जा सकते है ।

उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था, अतः वह चले गये । और जब वह वापस आये, तो मुझसे मिलने आये । सच पूछा जाये तो वह सीधे यहां आये और मुझसे मिले । उन्होने मुझे बताया कि यद्यपि वह एक गैर-सरकारी व्यक्ति और पर्यटक की हैसियत से गये थे, पर वहां वह कुछ मुख्य मुख्य व्यक्तियों से मिले थे । मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि वह बम्बई के बहुत प्रसिद्ध सर्जन के रूप में वहां प्रसिद्ध हैं । अतः वे लोग उन्हें जानते थे और बम्बई में उनकी सेवाओं का उन्होंने कई बार लाभ उठाया है । उन्होंने उनसे कहा, आपने हमारे व्यक्तियों के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए हम आप को धन्यवाद देना चाहते हैं ।

इस प्रकार वह वहां के कुछ मुख्य मुख्य व्यक्तियों से मिले । मैं समझता हूं कि मैंने उनसे केवल १० मिनट बातचीत की होगी । उन्होंने कोई बहुत नयी बात नहीं बताई । उन्होंने कहा "मैं सिर्फ वही बता सकता हूं जो चीन के लोगों या नेताओं ने मुझ से कहा । मेरी अपनी कोई राय नहीं है । मैं वही आप को बता रहा हूं जो उन लोगों ने कहा था ।" जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने उन लोगों की शान्तिपूर्ण समझौते व शान्ति आदि की महत इच्छा के बारे में कुछ कहा था । मुझे स्मरण नहीं है कि उन्होंने इन बन्दियों के बारे में उस समय मुझ से कुछ कहा था । शायद उन्होने ऐसी कुछ बात कही थी कि चीन ने इस आशय का एक वक्तव्य निकाला है कि इन बन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया है—वैसे इस के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था । उन्होंने मुझ से सिर्फ इतनी ही बात की थी और मैं समझता हूं कि हांगकांग से भी एक संदेश द्वारा यही बात पता चली थी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उनके आने से पहले यह संदेश आ गया था ।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मेरे पास नहीं आया था । हांगकांग में उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा था तो उन्होंने चीन का बयान सुना दिया था । उन्होंने वही कहा था, जो उनसे कहा गया था, उन्होंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा ।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : क्या करम सिंह के बयान को टेप-रेकार्ड कर लिया गया है और क्या सरकार को उसका मूलपाठ मिल गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं नहीं जानता कि उसे टेप-रिकार्ड कर लिया गया है या नहीं। मेरे पास एक प्रति है। मैं नहीं जानता कि वह टेप-रिकार्ड किया गया है या नहीं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि पूरी जानकारी प्राप्त हुए बिना सरकार को किसी देश के पास कोई शिकायत नहीं भेजनी चाहिए। यों ही इधर उधर की रिपोर्टों के आधार पर शिकायत भेजना ठीक नहीं है क्योंकि यदि अब सरकार सारी जानकारी चीन सरकार के पास भेजेगी, तो चीन सरकार समझेगी कि यह सब बातें बाद में गढ़ी गई हैं।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : श्री त्यागी की बात कुछ ठीक है। पर यदि हम ठीक समय पर शिकायत नहीं करते, तो भी यह कहा जा सकता है, कि ठीक समय पर शिकायत क्यों नहीं की गयी ?

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मेरा निवेदन है कि जब प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य दें, तो श्री करम सिंह का पूरा बयान सभा-पटल पर रखा जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बता चुका हूं कि उसे सभा पटल पर नहीं रखा जायेगा। अभी मैंने उसे पढ़ा भी नहीं है कि उस में क्या है फिर भी मैं सभा को इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह सभा के सामने एक विस्तृत वक्तव्य देंगे, अतः मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति देना आवश्यक नहीं समझता।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

खाद्यान्नों के बाजार में आने के बारे में प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं १९५८–५९ के मौसम में खाद्यान्नों के बाजार में आने की गति और उसके तरीके के बारे में जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी : देखिये संख्या एलटी १७८०/५९]

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर की शुद्धि

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्री अ० म० थामस की ओर से मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

> अखिल भारतीय भाण्डागार कर्मचारी सम्मेलन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ पर १७ नवम्बर, १९५९ को श्री गोरे तथा श्री वाल्वी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में, मैंने केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा राज्य भाण्डागार निगमों के अधीन चल रहे तथा आगामी दो वर्षों में बनाये जाने वाले भाण्डागारों के सम्बन्ध में और इन भाण्डागारों की

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान भण्डार स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े दिये थे । इस सम्बन्ध में सही आंकड़े सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

विषय	सही जानकारी
(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अधीन चल रहे भाण्डागारों की संख्या	१९
(ख) राज्य भाण्डागार निगमों के अधीन चल रहे भाण्डागारों की संख्या	८०
(ग) आगामी २ वर्षों में बनाये जाने वाले भाण्डागारों की संख्या	६७,००० टन मिली जुली वस्तुओं को रखने की और ९०,००० टन खाद्यान्न को रखने की क्षमता के भाण्डागार बनाने का कार्यक्रम स्वीकृत हो चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग १,१४,००० टन की क्षमता के भाण्डागार बनाने का मसला विभिन्न निगमों के सामने विचाराधीन है ।
(घ) क्या भाण्डागारों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं ।	जी नहीं ; वे निगम के कर्मचारी हैं ।
(ङ) भाण्डागारों में वर्तमान भाण्डार	१४,००,००० मन

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं १४ दिसम्बर, १९५९ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) भारतीय सांख्यकीय संस्था विधेयक, १९५९ पर विचार तथा उसे पारित करना ;

(२) आज की कार्य सूची से बचे किसी कार्य पर विचार ।

(३) चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश, १९५९ को अस्वीकार करने की मांग करने वाले संकल्प पर चर्चा ;

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(४) चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क विधेयक, १९५९ पर विचार तथा उसे पारित करना ;

(५) विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा उसे पारित करना।

(६) १६ दिसम्बर, १९५९ को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर खाद्य स्थिति पर चर्चा ;

(७) गुरुवार, १७ दिसम्बर, १९५९ को ४ बजे श्री नारायणन् कुट्टि मेनन तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आपने कहा था कि दण्डकारण्य के बारे में माननीय मंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक वक्तव्य देने को कहा था। वह सोमवार या मंगलवार को वक्तव्य दे सकते हैं । यदि मैं ठीक समझूंगा, तो म चर्चा के लिए कोई तिथि निश्चित कर दूंगा ।

†**श्री स० च० सामन्त** (तामलुक) : गत सत्र में मैंने खानों में बचाव संबंधी नियमों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव की सूचना दी थी। समय की कमी के कारण उसे उस समय नहीं लिया जा सका था । इस बार भी सत्र समाप्त होने को आ रहा है और उसे अभी तक कहीं रखा नहीं गया है । मैं माननीय मंत्री से....

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे इस सप्ताह के कार्य में सम्मिलित किया जायेगा।

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब वर्ष १९५९–६० के लिए आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुमानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : मैं कल सभा में यह बता रहा था कि सहकारिता की नीति को लागू करने में मंत्रालय असफल नहीं रहा है ; इसीलिए माननीय मित्र, श्री पाणिग्रही के कटौती प्रस्ताव में निर्दिष्ट आरोप निरर्थक हैं । मैं बताना चाहता हूं कि नई नीति नवम्बर, १९५८ में बनाई गई थी और बनाने के तुरन्त बाद ही इस नीति की क्रियान्विति क प्रश्न पर विचार करने क लिये एक कार्यकारी दल बनाया गया था । इस दल ने अपना प्रतिवेदन जनवरी १९५९ में दिया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, भारत के रिजर्व बैंक, भारत के राज्य बैंक, तथा सहकारिता के कार्य में लगे प्रमुख क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों ने विचार किया । तत्पश्चात् राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अप्रैल में, राज्यों,

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के रिजर्व बैंक, भारत के राज्य बैंक तथा सहकारी कर्मचारियों के संयुक्त परामर्श पर विचार किया । उसके अनुसार राज्य सरकारों को इस नई नीति की मुख्य बातों के बारे में मई में सूचित किया गया । मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(क) ग्राम्य समुदाय को प्रारंभिक इकाई मानकर सहकारी समितियों का संगठन किया जाना चाहिए ।

(ख) ग्राम्य स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास की जिम्मेदारी ग्राम्य सहकारी समिति तथा ग्राम्य पंचायत पर पूरी तरह डाली जानी चाहिए, और उन्हें ही इस दिशा में काम आरंभ करना चाहिए ;

(ग) ग्राम्य सहकारी समिति तथा ग्राम्य पंचायत के द्वारा ही कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ;

(घ) उद्देश्य यह होना चाहिए कि ग्राम्य सहकारी समिति में प्रत्येक परिवार का एक प्रतिनिधि हो ;

(ङ) सहकारी समिति की सदस्यता का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे इसके अधीन सभी ग्राम्य परिवार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले आ जायें ;

(च) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनकी सदस्यता २०० लाख हो जानी चाहिए ;

(छ) सहकारी समितियों को ऋण देने की स्वीकृति का सम्बन्ध कृषि उत्पादन को बढ़ाने और अनाज को बाजार में बेचने के कार्यक्रम से होना चाहिए ;

(ज) बेचने तथा परिष्करण के कार्यक्रम को बढ़ाया जाना चाहिए तथा उसमें शीघ्रता की जानी चाहिए ;

(झ) प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाया जाना चाहिए ;

(ञ) विधियों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए ; और

(ट) गैर-सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

जुलाई में सहकार मंत्रियों की मैसूर में बैठक हुई और उस बैठक में नई नीति को लागू करने के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा हुई थी। अगस्त में हमने राज्य सरकारों से अनुपूरक योजनायें मंगाई थीं और उन योजनाओं को सितम्बर १९५९ में अन्तिम रूप दिया गया था। यह दिसम्बर चल रहा है और मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र, श्री पाणिग्रही किन तथ्यों के आधार पर कहते हैं कि मंत्रालय सहकारिता सम्बन्धी नई नीति को लागू करने में असफल रहा है ।

मैं सभा को पुनः बताना चाहता हूं कि दो समितियां बनाई गई हैं एक सहकारी खेती के बारे में तथा दूसरी उत्पादन कार्यक्रम के लिए ऋण सुविधायें बढ़ाने के उपाय ढूंढने के बारे में । पहली समिति के सभापति मैसूर के श्री निजलिंगप्पा हैं तथा दूसरी समिति के सभापति श्री बैकुण्ठ लाल मेहता । एक और अध्ययन दल विदेशों में सहकारी खेती समितियां तथा उनके कार्यों का अध्ययन करने के लिए बाहर भेजा गया है । इससे स्पष्ट है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों, नीति तथा कार्यक्रम को शीघ्रता से लाग करने की दिशा में सभी सम्भावित प्रयत्न कर रहे हैं ।

[श्री व० सू० मूर्ति]

श्री पाणिग्रही कल लक्ष्यों के अलग-अलग आंकड़े पूछ रहे थे। मैं प्रत्येक राज्य के बारे में पूरे आंकड़े तो बता नहीं सकता क्योंकि उनकी सूची बहुत लम्बी है परन्तु उनके राज्य उड़ीसा के बारे में यह बता सकता हूं कि राज्य सरकार ने २७२ सहकारी समितियों का फिर से संगठन करना स्वीकार कर लिया है। इसके साथ नई योजनाओं में बिक्री समितियों के १५ गोदाम और ३३ परिष्करण समितियां बनाने के लिए सहायता दी गई है।

श्री पाणिग्रही ने हरी खाद के बारे में की गई कार्यवाही के बारे में पूछा। मैं बताना चाहता हूं कि हरी खाद के बारे में दक्षिण में बहुत प्रगति हुई है। विभिन्न राज्यों के आंकड़े इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश १९.१९ लाख एकड़; मद्रास ६.६८ लाख एकड़; उत्तर प्रदेश ४.४७ लाख एकड़; बिहार ४.०३ लाख एकड़ तथा केरल २.२६ लाख एकड़। अन्य राज्य भी प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु उत्तर में हरी खाद के बारे में अधिक प्रगति नहीं हुई है।

श्री पाणिग्रही ने कम्पोस्ट खाद के उन गढ़ों की संख्या जाननी चाही जो अन्तिम तीन माह में खोदे गये हैं। जून १९५९ को समाप्त होने वाले अन्तिम तीन महीनों में ६,२६,००० कम्पोस्ट खाद के नये गढ़े खोदे गये जिनमें से १५ से १८ लाख टन खाद मिली। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने फसलों के अनुमान का सर्वेक्षण किया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने बताया कि सामान्य उत्पादन की तुलना में सामुदायिक विकास खण्ड क्षेत्रों में लगभग १५ से २० प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है।

श्री प्र० के० देव ने चीनी कारखानों के बारे में एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न पर सभा में एक दो बार पहिले भी चर्चा हो चुकी है। गत अवसर पर सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने बताया था कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हम संघ की मार्फत मशीनें मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि जितनी फैक्टरियां बन रही हैं उनके लिए अपेक्षित मशीनें संघ के ज़रिये बहुत जल्दी मिल जायेंगी।

उड़ीसा राज्य को केवल दो लाइसेंस दिये गये थे। परन्तु केवल एक ही संस्था इस लाइसेंस का फायदा उठा सकी। मुझे खेद है कि यद्यपि आस्का सहकारी चीनी मिल लिमिटेड को १७ दिसम्बर १९५६ को लाइसेंस दिया गया था परन्तु उसमें अब तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। सम्बलपुर जिले में बारगढ़ की चीनी फैक्टरी का आवेदन पत्र हमें मिला था परन्तु दुर्भाग्यवश वह आवश्यक रुपये का इन्तजाम नहीं कर सके इसलिए लाइसेंस समय पर नहीं दिया गया। बाद में जब विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई तो केन्द्रीय सरकार ने उन्हें प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया।

एक और आवेदन पत्र राज्य सरकार ने दिसम्बर, १९५६ में भेजा था जिसमें दो सहकारी चीनी फैक्टरियों के लिए लाइसेंस मांगे गये थे; एक कालाहांडी अथवा सम्बलपुर जिले में तथा दूसरी कटक, कोरापुट, गंजम अथवा पुरी जिले में। उन्होंने क्षेत्र, क्षमता तथा अन्य आवश्यक ब्यौरे नहीं बताये थे। इसलिए इन दोनों आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया गया। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की इच्छा यही रही है कि यथासम्भव सहकारी चीनी फैक्टरियों को प्रोत्साहन दिया जाये। परन्तु इस प्रकार का उपक्रम चालू करने वाले व्यक्तियों को हमें पूरे आंकड़े बताने चाहिए। इसके अलावा उड़ीसा के मामले में कोई कठिनाई नहीं है। मुझे विश्वास है कि श्री प्र० के० देव प्रयत्न करेंगे कि उनके राज्य के बारे में पूरे-पूरे आंकड़े हमारे पास भेजे जायें जिससे लाइसेंस देने में हमें कोई कठिनाई न हो।

मैं समझता हूं कि मुझे और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। मैं आशा करता हूं कि सभा इन मांगों को स्वीकार कर लेगी।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : चर्चा के दौरान में उर्वरकों के संभरण तथा उसके इस्तेमाल के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये। मेरे माननीय मित्र श्री ले० अचौ० सिंह ने कहा कि जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर उर्वरक का इस्तेमाल खतरनाक है। उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताईं जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम किसानों को चेतावनी देते हैं कि मिट्टी की किस्म का ध्यान रखे बिना उर्वरक को काम में न लायें। उन्होंने शिकायत की कि मिट्टी की जांच का सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व मिट्टी की जांच की व्यवस्था नहीं थी परन्तु आज स्थिति वैसी नहीं है। यद्यपि सारी जमीन का अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। परन्तु हमने समस्त देश में मिट्टी जांचने की प्रयोगशालायें स्थापित की हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के नमूनों की जांच की जा रही है।

जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं उन क्षेत्रों में उर्वरक का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए अन्यथा उससे हानि होने की सम्भावना है। उन्होंने यह भी कहा कि गोबर की खाद और मल आदि का उचित इस्तेमाल नहीं होता है। उनकी यह शिकायत ठीक है, इस सम्बन्ध में यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि हम कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए कुछ सहायता भी दे रहे हैं परन्तु फिर भी यह सत्य है कि बहुत सी खाद का दुरुपयोग होता है जब कि जापान जैसे देशों में इसका पूरा उपयोग किया जाता है। हम केवल जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं और विस्तार सेवा तथा संगठनों के द्वारा हम वही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमें यह भी बताया गया कि हम मूंगफली की खली का निर्यात न करें। इसके बारे में दो तरह के विचार हैं। यह ठीक है कि खली का निर्यात कर देने के कारण हमारे पशुओं को उचित मात्रा में अच्छी खुराक नहीं मिल पाती। हमने दोनों प्रकार की विचार धारा को देखते हुये यह निर्णय किया कि बीच का रास्ता अपनायें जिससे कुछ खली का निर्यात करके हमें कुछ उर्वरक मिल जाये। वित्त मंत्रालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि खली के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उर्वरक के आयात के लिए इस्तेमाल किया जाये। इस आधार पर कृषि मंत्रालय ने कुछ मात्रा में खली का निर्यात करने की अनुमति दे दी है।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि अमरीका द्वारा दिये गये टी सी एम उर्वरक के इस्तेमाल के बारे में हमने प्रतिवेदन नहीं भेजे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा मंत्रालय नियमित रूप से प्रतिवेदन भेजता रहा है। परन्तु प्रतिवेदनों को पहले समन्वित किया जाता है क्योंकि टी सी एम सहायता के अन्तर्गत केवल उर्वरक ही नहीं आते हैं अपितु अन्य चीजें भी आती हैं। इन सभी का समन्वय किया जाता है और फिर आई. सी. ए. संगठन को प्रतिवेदन भेजा जाता है। सम्भव है कि कुछ विलम्ब हुआ हो। परन्तु इस विषय के बारे में वित्त मंत्रालय में काम होता है। इसके बारे में एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है और हम कुछ जानकारी दे चुके हैं। मेरे विचार से २२ दिसम्बर को इस सभा में इसी के बारे में एक और प्रश्न पूछा जायेगा जिसमें वित्त मंत्रालय स्थिति को स्पष्ट कर देगा। यह आरोप गलत है कि हमने गलतियां की हैं। केवल इतना कहा जा सकता है कि थोड़े से उर्वरक का इस्तेमाल नहीं हुआ है और उसको प्रतिवेदन में दर्ज नहीं किया गया है।

मुझे आसाम के माननीय सदस्य से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि उनके प्रदेश के कुछ भागों में बिना उर्वरक के १६००–२००० पौंड धान प्रति ऐकड़ उगाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मनीपुर में ऐसा हुआ है ।

†**डा०पं० शा० देशमुख** : ठीक है; मनीपुर की ही बात है । परन्तु यह खेती करन के उनके तरीकों पर आधारित है कि वह भूमि को किस प्रकार जोतते हैं, कम्पोस्ट का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं । परन्तु मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि अपने उपायों के साथ साथ उचित वर्षा हो और वह उर्वरक का भी इस्तेमाल करें तो उसके और अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । उर्वरक इस्तेमाल से तभी नुकसान हो सकता है जब उसका इस्तेमाल मूर्खता से किया जाये । मेरे विचार से भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि बड़ी मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल किया जाये । हम उर्वरक का इस्तेमाल करने का आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु इसकी कठिनाई है कि हमें उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है । मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमें उर्वरक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और कहीं-कहीं पर इसकी चोर बाजारी हो रही है । मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इससे अवैध शराब बनाई जा रही है क्योंकि मुझे यह एक नई बात मालूम हुई ?

हमें कुछ अधिक विदेशी मुद्रा के उपलब्ध हो जाने से स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। लेकिन साथ ही उर्वरक की मांग भी अब १६ लाख टन से बढ़ कर १८ लाख टन हो गई है। इस मांग को पूरा करना यद्यपि हमारे लिए बड़ा कठिन है परन्तु फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वित्त मंत्रालय उर्वरक के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करे । वित्त मंत्रालय उर्वरक के आयात के महत्व को समझता है परन्तु उनकी भी अपनी कठिनाइयां हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : देश में उर्वरक के उत्पादन में कमी क्यों आ गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह कहना ठीक है कि देश में उर्वरक का उत्पादन कम हो गया है क्योंकि दोनों कारखानों में पुनर्संगठन तथा सफाई आदि का काम चल रहा था ; कुछ दिनों तक कोई उत्पादन नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त कारखानों को बढ़ाया जा रहा है । जिसके परिणामस्वरूप कुछ समय तक एक कारखाने म ३०,००० टन ऐमोनियम सल्फट तथा दूसरे कारखाने में १०,००० अथवा १५,००० एमोनियम सल्फेट का उत्पादन कम हुआ है । सिंदरी कारखाने के उर्वरक को में केवल खरीदता हूं और उसके उत्पादन की कमी की जिम्मेदारी उद्योग मंत्रालय पर है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : हमारे यहां का औसत उत्पादन १६०० से २००० टन प्रति एकड़ हैं लेकिन मूल्य केवल ९ से १० रुपये हैं । यदि मूल्य बढ़ा कर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है । मैं माननीय मंत्री के विचार इस बारे में जानना चाहता हूं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह एक बड़ा सवाल है । मुझे प्रसन्नता है कि हमारा दृष्टिकोण इसके बारे में बदल रहा है । मैं समझता हूं कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री पाटिल द्वारा यह आश्वासन दे देने पर कि वह किसानों को अधिक मूल्य दिलाने और प्रोत्साहन देने के प्रति प्रयत्नशील हैं, इसके बारे में मेरे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

†**श्री सरजू पाण्डेय** (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने कल भी कहा था कि माननीय मंत्री और केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों से इस बात की प्रार्थना करेंगे या उनसे कहा गया था कि जो खादों की वसूली के सिलसिले में किसानों के साथ सख्ती की जा रही है उसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं, ऐसा प्रान्तीय सरकारों को लिखा गया है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख**: यह जरा एक पेचीदा सवाल है। एक तरफ तो किसान चाहते हैं कि उन्हें खाद मिले और मैं आपको जवाब देने वाला था क्योंकि आपने खाद शब्द फर्टिलाइजर्स के लिये इस्तेमाल किया है और म समझता हूं माननीय सदस्य फर्टिलाइजर्स को ही खाद कहते है।

माननीय सदस्य के भाषण से स्पष्टतया पता लगता है कि उनका तात्पर्य खाद से उर्वरक (फर्टिलाइजर्स) का है। उर्वरक योजना का प्रचार करने में हम इसलिये सफल हुए कि हमने जापानी पद्धति का प्रचार करने के समय किसानों को १० करोड़ पया ऋण दिया था परन्तु जिन्होंने उर्वरक लिया उन्होंने सरकार का वह रुपया अब तक नहीं लौटाया। यदि ऐसा ही प्रत्येक स्थान पर होता गया तो हमें बड़ी कठिनाई होगी। मैं चाहता हूं कि किसानों को ऋण आदि शीघ्र लौटा देने चाहियें जिससे अन्य किसानों का भी लाभ हो सके।

हैदराबाद में यह हुआ: जापानी पद्धति के बारे में बड़ा उत्साह दिखाया गया और उसमें बड़ी तरक्की हुई; परन्तु किसानों ने ऋण वापस नहीं दिया जिससे अगले साल सरकार को धन नहीं मिला और वह और किसानों को ऋण नहीं दे सकी। यह मामला पूर्णत: राज्य सरकारों पर आधारित है। हम उन्हें धीमी गति से काम करने को नहीं कह सकते हैं, यह तो उनके स्वविवेक पर निर्भर है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं:

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९५९–६० के लिए आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना	१,९२,०००
२५	अफीम	२२,९२,०००
१०८	सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय का पूंजी व्यय .	१,०८,००,०००
१२१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	७,७६,९९,०००
१३०	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय .	५,५५,००,०००
१३१	डाक और तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न दिया जाने वाला) .	१,०००

नियम के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को, त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक १९५९ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये।"

मैं कुछ देर पश्चात यह प्रस्ताव रखूंगा कि त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये। आपको ज्ञात है कि नियम ७४ के अधीन ऐसे प्रस्ताव, संविधान के अनुच्छेद ११० के खण्ड १ के उपखण्ड (क) से (च) में निर्देशित विषयों से संकलित मामलों के लिये नहीं रखे जा सकते हैं। यह विषय त्रिपुरा प्रशासन के अधीन सामान्यत: भूमि सुधारों से सम्बन्ध रखता है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

लगान से सम्बन्धित वहां कई विधान थे। अतः हमने सोचा कि इस मामले में भी एक विस्तृत लगान सम्बन्धी प्रशासकीय प्रणाली की व्यवस्था करना अधिक उचित होगा। विधेयक के परिच्छेद ४ में लगान, नाप और बन्दोबस्त इत्यादि विषय दिये गये हैं जिनमें आवश्यक होने पर संशोधन करना होगा। इसके अलावा कृषि सम्बन्धी सुधारों, लगान प्रशासन और प्रतिकर के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की गई है।

यह बात हम सभी के हित में है कि संयुक्त समिति इन उपबन्धों पर सावधानी से विचार करे। इसलिये मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि इस विशेष परन्तुक का निलम्बन कर दिया जाय जिससे कि यह विधेयक संयुक्त समिति में भेजा जा सके और हमें समिति के सदस्यों की बहुमूल्य सलाह प्राप्त हो सके क्योंकि यह विधि महत्वपूर्ण है और भू-राजस्व प्रशासन की सम्पूर्ण विधि से सम्बन्ध रखती है। यह विधेयक कई भूमि सुधारों से भी सम्बन्ध रखता है और इस प्रकार एक आदर्श विधेयक है जिसका अन्य राज्य भी लाभ उठा सकते हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रयोजन के लिये नियम ७४ के परन्तुक (१) का निलम्बन कर दिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को, त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक १९५९ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में भू-राजस्व सम्बन्धी कानून को समेकित और संशोधित करने तथा सम्पदाओं के अर्जन और भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ अन्य उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ३० दसस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें २० सदस्य अर्थात्, श्री बांगशी ठाकुर, श्री रुंगसंग सुइसा श्री धरणीधर बसुमतारी, श्री मधुसूदन राव, श्री घनश्याम लाल ओझा, श्री विभूति मिश्र, श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री गुलाम मोहीदीन, श्री शोभाराम, श्री राजा राम मिश्र, श्री जं० ब० सिंह विष्ट, श्री नि० बि० माईति, श्री सिद्धनंजप्पा, श्री दशरथ देव, श्री ल० अचौ सिंह, श्री प्रमथनाथ बनर्जी, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री रामचन्द्र माझी, श्री वि० चं० प्रधान और श्री दातार इस सभा के हों और १० सदस्य राज्य सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बताये।"

यह एक व्यापक और महत्वपूर्ण विधेयक है जो दो महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखता है। पहिला भू-राजस्व और दूसरा भूमि सुधार। इस विधेयक द्वारा जिन अधिनियमों और विनियमों का निरसन किया जायेगा उससे ज्ञात होगा कि पहिले त्रिपुरा में विभिन्न विधियां थीं अतः हमने यह उचित समझा कि इस सम्बन्ध में यथासम्भव एकरूप विधि बनाई जाय और उसके अनुसार भू-राजस्व का प्रशासन किया जाय। विभिन्न राज्यों में भू-राजस्व सम्बन्धी कई अधिनियम हैं, इन राज्यों ने कई सामान्य सिद्धान्तों को अपनाया है। भू-राजस्व प्रशासन न केवल एक रूप होना चाहिये अपितु प्रगतिशील और सुचारू भी होना चाहिये। अतः पहिली बार इस विधेयक में भू-राजस्व प्रशासन के सम्बन्ध में समेकित आधार पर कार्य किया गया है। इस खण्ड में भू-राजस्व, निर्धारण, नाप व बन्दोबस्त इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखा गया है। भू-राजस्व का समय समय पर निर्धारण और पुनरीक्षण करना होता है। अतः भूमि की सही नाप की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि समस्त भूमि को बन्दोबस्त के अन्दर लाना है। इससे सरकार व जनता को यह सरलता से ज्ञात हो जायेगा कि किन सिद्धान्तों के अनुसार नाप जोख की गई है और जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। अन्य राज्यों में इस प्रकार के अधिनियम हैं जो कि अधिकारों के अभिलेखों से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें जमीनों व उनकी मालकियत का व्यौरा रहता है इसे देखते ही सरकार व आम जनता को यह पता चल जाता है कि जमीन का मालिक कौन है और यह जमीन उसके कब्जे में कैसे आई। भू-राजस्व का उपयुक्त रूप से प्रशासन करने के लिये खण्ड २ में ये उपबन्ध किये गये हैं। अधिकांश उपबन्ध अन्य राज्यों में प्रचलित उपबन्धों के समान हैं। त्रिपुरा में विशेष प्रकार की भू-धृति के कारण कुछ विशिष्ट प्रकार के उपबन्ध भी किये गये हैं। कुछ भी हो पहिली बार भू-राजस्व प्रशासन को उपयुक्त बनाने के लिये एकरूप और प्रणालीबद्ध प्रयत्न किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि इसमें अभिलेखों को सुधारने और पीड़ित पक्ष को संशोधन के लिये उच्चतर प्राधिकारी से अपील करने का भी उपबन्ध किया गया है।

अब मैं भूमि के स्वामित्व सम्बधी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेता हूं। त्रिपुरा की कुछ विशेषतायें हैं अतः मैं उनका संक्षिप्त इतिहास देता हूं। त्रिपुरा के ३६२६ गांव ४११६ वर्गमील के अन्दर आते हैं। इसके अधीन २६ लाख एकड़ क्षेत्र आता है जिसमें से ३.९ लाख एकड़ में खेती होती है। मुख्य पैदावार चावल और पटसन है। सरकार ने इन सारी जमीनों की नाप जोख को खत्म करने और उनका समन्वय करने के लिये एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया है। दस में से दो उपविभागों में यह कार्य चल रहा है। आशा है कि १९६४ तक इस क्षेत्र की सारी भूमि की नाप जोख हो जायेगी और उसमें १.३३ करोड़ रुपये व्यय होंगे।

त्रिपुरा में चार प्रकार की जमीन है। पहिला कायमी ताल्लुक, जो स्थायी रूप से बसी हुई आबादी है और जिनका क्षेत्रफल लगभग १.५५ लाख एकड़ है। इनके सम्बन्ध में विधेयक में पर्याप्त परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरे वर्ग में टाकशिची प्रकार की जमीनें हैं जो उल्लिखित प्रयोजनों से अधिकांश २० वर्ष के लिये बसी रहती हैं तथापि यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अन्तर्गत ६५५०७ एकड़ भूमि आती है जिसमें ५४६३० एकड़ पर चाय की खेती होती है। तीसरे वर्ग में निष्कर जमीनें आती हैं। इस वर्ग में वे जमीनें आती हैं जिनकी लगान माफ है और ये धार्मिक संस्थाओं,

[श्री दातार]

पूर्व संस्थाओं और भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों को उनकी पिछली सेवाओं के एवज में मिली हुई हैं। इसका क्षेत्रफल २९५६ एकड़ है। इसका अधिकांश भाग साझियों या किसानों द्वारा जोता जाता है। ये किसान पुश्तदर पुश्त चल सकते हैं लेकिन जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। चौथे वर्ग में खास महल भूधृति आती है जो अन्य स्थानों में भी प्रचलित हैं। ये रैय्यतवाड़ी जमीनें हैं जिनका क्षेत्रफल २०१९०० एकड़ है। अधिकांश जोतों का क्षेत्र छोटा है लेकिन कुछ जोतों का क्षेत्र जिन्हें जोतदार कहते हैं अपेक्षाकृत बड़ा है। रैय्यतवाड़ी जमीनों के सम्बन्ध में किसी संविधि में कोई परिभाषा नहीं दी गई है तथापि उन्हें स्थायी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त हैं। इन जमीनों में साझी किसान व उप-किसान भी हैं।

भूमि सुधारों पर विचार करते समय सरकार ने विशेषत: अन्तस्थ व्यक्तियों, अर्थात् ऐसे व्याक्त जो खेत जोतने वाले लोगों से लाभ उठाते हैं, के सम्बन्ध में विचार किया। वे लोग सरकार को थोड़ा सा लगान देते हैं। अत: इस वर्ग को समाप्त करने का निश्चय किया गया। अत: इन अन्तस्थ लोगों को समाप्त कर दिया गया है और किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है। हां ऐसे अन्तस्थ व्यक्ति जो अपनी जमीनों को खुद जोतना चाहेंगे उनके मामले पर विचार किया जायेगा। यदि वे व्यक्तिगत रूप से कुछ जमीन जोतना चाहें तो उसके लिये परिवार तथा प्रति व्यक्ति के आधार पर एक निश्चत सीमा स्थिर कर दी गई है। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व ऐसे लोगों को दे दिया जायेगा जिनकी संख्या बहुत बड़ी है।

इस विधेयक के अधीन ऐसे सभी लोगों को जो भूमि के मालिक बन जायेंगे रैय्यत कहा जायेगा। अर्थात् वे लोग जमीनों की खुद खेती करेंगे और उसके मालिक भी होंगे। इसी लिये विधेयक में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है।

जब ऐसे अन्तस्थ व्यक्तियों का उन्मूलन हो जायेगा तो उनके अधिकार सरकार द्वारा ले लिये जायेंगे। इन अधिकारों का अर्जन उन्हें मुआवजा देकर किया जायेगा। मुवाजे का प्रश्न बहुत कठिन है, इसे निश्चित करते समय हमें उन विशेष सिद्धान्तों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिन्हें वर्तमान भू-राजस्व के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण और बुनियादी समझा जाता है।

वस्तुत: मुआवजा निश्चित करने के सिद्धान्त स्थिर करने का अधिकार दोनों सभाओं को है। इस बात का भी उपबन्ध किया गया है। भूमि सरकार के कब्जे में चली जायेगी और एक विशेष क्रमबद्ध सिद्धान्त के आधार पर अन्तस्थ व्यक्तियों को प्रतिकर दे दिया जायेगा इस प्रकार इस वर्ग का उन्मूलन हो जायेगा। जिनके पास थोड़ी सी जमीन रह जायेगी उन्हें भी रैय्यत कहा जायेगा। इन रैय्यतों, अर्थात् भू-स्वामियों को कुछ अधिकार दे दिये जायेंगे। इन अधिकारों का इस विधेयक में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि रैय्यत, उप-रैय्यतों को जमीन पट्टे पर दे सकते हैं। कुछ विशिष्ट मामलों में कुछ विशेष शर्तों के अधीन ही ऐसा किया जा सकता है। इन शर्तों को विहित कर दिया गया है। एक शर्त यह है कि पदावधि की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिये। अत: यह उपबन्ध किया गया है कि उप-रैय्यत को कम से कम ५ वर्ष के लिये भूमि दी जायेगी। इस पदावधि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। ऐसी शर्तें भी विहित की गई हैं कि यदि वह अपने काम को उचित तरीके से नहीं करता, अथवा यदि वह विहित शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे बेदखल किया जा सकता है। बेदखली का प्रश्न महत्वपूर्ण है इसका कारण यह है कि एक ओर तो हमें अन्यायपूर्ण बेदखलियां रोकनी चाहियें और दूसरी ओर हमें ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने का भी अधिकार होना चाहिये जो अपना कार्य ठीक से नहीं करता है। क्योंकि खेती पर व्यक्ति के अलावा समाज और

राज्य की भी दिलचस्पी रहती है । अतः हमें भूमि और पैदावार पर उचित ध्यान देना है । यदि भूमि बंजर छोड़ दी जाती है तो उससे राष्ट्र को हानि होती है । इसलिये इस सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था की गई है ।

इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण बात लगान का निश्चय करना है । इसका निश्चय कुल राजस्व का हिसाब लगाने के तरीके से, वास्तविक राजस्व का हिसाब लगाने के तरीके से तथा वास्तविक भू-राजस्व को निश्चित करने के तरीके के आधार पर लगाया जाता है । इस प्रश्न पर भी विस्तार से चर्चा की गई है ।

विधेयक में भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है । भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में जनता वर्षों से परेशान है । इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं । इस सम्बन्ध में एक रूप सिद्धान्त निश्चित करने के अखिल भारतीय दृष्टिकोण विचार करना होगा । इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के अनन्तर, भारत सरकार योजना आयोग से परामर्श करने के पश्चात् हमने कुछ सिद्धान्त निश्चित किये ।

यह सिद्धान्त उन तीनों विधेयकों में अन्तर्हित है जो सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे यथा त्रिपुरा विधेयक, मनीपुर विधेयक तथा दिल्ली के संबंध में निसंदेह स्थानीय बातों का विचार विचार करते हुए एकड़ों की संख्या में कुछ परिवर्तन किया गया है तथापि भारत सरकार ने पहिली बार भूमि सुधारों के संबंध में कुछ सुनिश्चित सिद्धान्त स्थिर किये हैं। भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित ये सभी सिद्धान्त उपर्युक्त तीनों विधेयकों में अन्तर्हित हैं। मैं बुनियादी जोत का भी उल्लेख करना चाहता हूं। बुनियादी जोत भूमि का वह न्यूनतम भाग है जिसे एक व्यक्ति रख सकता है। भारत में कई भाग विशेषतः पर्वतीय भाग ऐसे हैं जहां भूमि टुकड़ों में बंटती चली जा रही है। इस बुराई को हमें रोकना है। इसलिये त्रिपुरा और मनीपुर से संबंधित विधेयकों में भूमि को टुकड़े करने से रोकने के लिये उपबन्ध किया गया है। इस प्रयोजन के लिये हमने बुनियादी जोत की सीमा स्पष्ट रूप से विहित की है। यह सीमा २ पक्के एकड़ की है।

हमने परिवार जोत की सीमा भी निश्चित की है। परिवार से तात्पर्य ऐसे कुटम्ब से हैं जिसमें ५ सदस्य हों, इस परिभाषा के अनुसार परिवार में पति-पत्नी उनके बच्चे व पोते शामिल होंगे। यदि यह संख्या ५ होगी तो उन्हें एक परिवार की जोत के बराबर भूमि मिल जायेगी। तथापि बड़े से बड़े परिवार के लिये चाहे उसमें कितने ही सदस्य हों, ५० एकड़ की सीमा निश्चित की गई है। दिल्ली में यह सीमा ६० एकड़ की है। इस संबंध में एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार काम करना होगा। इस बात का पता लगाना होगा कि आदमी के पास कुल कितनी जमीन है इसमें से वह अपने व परिवार के उपयोग के लिये न्यूनतम जमीन रख सकेगा। इस प्रकार विहित भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक जो भूमि उसके पास होगी वह या तो सरकार के पास चली जायेगी या ऐसे किसानों को दी जायेगी जिनके पास भूमि नहीं है। इस प्रकार बहुत अधिक भूमि ऐसे लोगों को उपलब्ध कर दी जायगी जिनके पास भूमि नहीं है और जो उसका अधिक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। भूमि ले लेने के पश्चात सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वे उचित प्रयोजनों के लिये भूमि का वितरण करें। इसका यह लाभ होगा कि सारी अतिरिक्त और अवशेष भूमि उचित व्यक्तियों को देने के लिये उपलब्ध हो सकेगी।

'व्यक्तिगत कृषि' शब्दों की भी उचित व्याख्या की गई है। अधिकतम लगान विहित कर दिया गया है। एक बात अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बहुत महत्व रखती है।

[श्री दातार]

वे लोग अभागे व्यक्ति हैं। यदि जमीनों के बेचने की खुली छूट दी जायेगी तो वे बेचारे अपनी जमीनें खो बैठेंगे। अतः कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। वे लोग अपनी जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को हस्तांतरित कर सकते हैं लेकिन अन्य लोगों को जमीनें हस्तांतरण करने के लिये उन्हें सरकारी प्राधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। सरकारी प्राधिकारी उस प्रश्न पर विचार करेंगे। मेरे विचार से इन प्रतिबन्धों का बहुत लाभ होगा और अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य सरलता से जमीनों से वंचित नहीं हो सकेंगे।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों को लेता हूं। विधेयक का भाग १ कुछ परिभाषाओं से संबंध रखता है। मैं सभा का ध्यान पारिवारिक जोत की ओर आकर्षित करूंगा। इसका आशय खेती के प्रयोजन के लिये ६.४ पक्के एकड़ क्षेत्र वाली भूमि से है। निर्योगिता प्राप्त व्यक्ति कुछ भूमि अपने अधीन रख कर उसे पट्टे पर दे सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अन्तर्गत एक विधवा, एक अल्पव्यवस्क, एक परित्यक्ता स्त्री अथवा ऐसी स्त्री जिसका पति मद ४ और ५ के अन्तर्गत आता है शामिल है। मद ४ और ५ के अधीन जो व्यक्ति आते हैं वे इस प्रकार हैं: सशस्त्र सेना के सदस्य, और वे लोग जो मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ हैं।

अब मैं सभा का ध्यान व्यक्तिगत खेती की ओर आकर्षित करूंगा। व्यक्तिगत खेती का तात्पर्य है:

१ जो अपने परिश्रम से हो।

२ जो उसके परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से हो।

३ जो नौकरों या किराये के मजदूरों द्वारा की जाती हो लेकिन मजदूरी पैदावार के अंश में नहीं अपितु नकदी में दी जाती हो।

यह उपबन्ध इसलिये किया गया है कि नहीं तो व्यक्तिगत खेती एक बहाना मात्र हो जायेगी। इसके अधीन परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उसका आशय यह है कि ऐसी कोई भूमि व्यक्तिगत अधीनता में नहीं समझी जायेगी जिसके निकट परिवार या वह व्यक्ति खेती के मौसम के अधिकांश भाग में न रहता हो या वह जमीन विहित दूरी पर न हो। यह परिभाषा इस कारण रखी गई है कि व्यक्तिगत खेती की परिभाषा की किसी त्रुटि का तात्पर्य अनुपस्थित भूस्वामी से न समझा जाय अतः व्यक्तिगत खेती का तात्पर्य विहित और सीमित अर्थों में समझा जाय।

इसी प्रकार लोक प्रयोजन की परिभाषा विधेयक में स्पष्टरूप से विहित की गई है। जिससे कि भूमि के निपटारे के संबंध में कोई त्रुटि न रह जाय। जब कभी भूमि सरकार के कब्जे में आयेगी उसे पुनः दूसरों को देना होगा इस कार्य की प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिये। लोक प्रयोजन का आशय यह है कि ऐसे किसान या उपरैय्यतों को भूमि दी जाय जो भूमि अर्जन के कारण बेदखल कर दिये गये हों या भूमिहीन खेतिहर मजूरों या सहकारी कृषि समितियों को भूमि दी जाय।

सभा को रैय्यत और उपरैय्यत की परिभाषा पर भी ध्यान देना चाहिये। पक्के एकड़ का तात्पर्य एक एकड़ लुंगा या नाल ममीन से अथवा दो एक तिल्ला जमीन से होगा।

विधेयक के खंड २ में, भू-राजस्व प्रशासन संबंधी उपबन्धों पर विस्तार से चर्चा की गई है, क्योंकि यह विधान त्रिपुरा भूराजस्व प्रशासन के संबंध में एक समेकित विधान होगा। ये सभी उपबन्ध अन्य राज्यों के भू-राजस्व अधिनियमों तथा संहिताओं में उल्लिखित हैं।

विधेयक के खंड ३ में रैय्यतों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। रैय्यतों को भूमि पर स्थायी बपौती व हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त होंगे। यह खंड १०२ में लिखित है। इसमे बुनियादी जोत का भी उल्लेख किया गया है। निर्योग्य व्यक्ति के लिये भूमि की अनुमति प्राप्त सीमा २५ पक्के एकड़ रखी गई है। इसका उल्लेख खंड १०५ में किया गया है। भूमि का अधिकतम लगान भी उल्लिखित किया गया है।

हमने खंड १०५ में १० अगस्त, १९५७ तारीख विहित की है। इसी तारीख को यह घोषणा की गई थी सरकार त्रिपुरा के भू-राजस्व के प्रशासन के लिये विस्तृत अधिनियम बनाना चाहती है। अतः १० अगस्त १९५७ के पश्चात् जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

अध्याय १० में उप रैयतों के अधिकारों की परिभाषा लिखी गई है। उपयुक्त लगान के संबंध में मैं अपका ध्यान खंड ११६ के उपखंड ३ की ओर दिलाना चाहता हूं। उपयुक्त लगान निश्चित करने के लिये प्राधिकारी कई बातों पर विचार करेगा। यदि कोई उप रैयत लगान नहीं देता तो वह बेदखल किया जा सकता है।

यदि भूमि में कोई सुधार किया जायेगा तो उसका लाभ सुधार करने वाले व्यक्ति को मिलेगा भूमि वापस देने की भी व्यवस्था है ऐसी भूमि के लिये उपरैय्यत को खंड ३ के अधीन प्रतिकर देना होगा।

रैय्यतों की एक सूची बनायी जायेगी और पहिली खरीद का अधिकार दिया जायेगा। यदि कोई रैय्यत अपनी जमीन बेचना चाहेगा तो पहिला अधिकार उप-रैय्यत को मिलेगा। इसकी प्रक्रिया भी विहित कर दी गई है।

भाग ४ सम्पदा के अर्जन और अन्तस्थ लोगों के अधिकारों से संबंध रखता है। उसमें अन्तस्थ व्यक्ति की परिभाषा भी लिखी गई है। इसमें सारी प्रक्रिया तथा खंड १३८ तथा आनुषंगिक खंडों में प्रतिकर निकालने की विधि विहित की गई है। खेती करने वाले अन्तस्थ व्यक्तियों के अधिकार खंड १३९ में दिये गये हैं।

अध्याय १२ में प्रतिकर के निर्धारण व भुगतान के संबंध में चर्चा की गई है। खंड १४८ में यह कहा गया है कि किसी सम्पदा पर प्रतिकर के निर्धारण के लिये कुल आय तथा नकद आय का पता लगाना होगा खंड १४९ में कहा गया है कि अन्तस्थ व्यक्ति को जो प्रतिकर दिया जायेगा वह उसकी विशुद्ध आय का गुणित होगा। यह गुणित क्रमश कम होता जायेगा। विशुद्ध आय १००० रु० तक होने पर यह १५ गुना, १००० रु० से २५०० रु० तक होने पर १२ गुना इसी प्रकार घटते हुए अंत में केवल दुगुना रह जायेगा।

धार्मिक और पूर्त संस्थाओं के संबंध में एक अच्छा सिद्धान्त अपनाया गया है। खंड १४९(२) का आशय यह है कि यदि किसी संस्था की कुल या आंशिक विशुद्ध आय धार्मिक और पूर्त संस्थाओं को दी जाती है तो उसके प्रतिकर का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि वह प्रतिकर उन्हें सदैव वार्षिकी के रूप में मिलता रहे। यह उपबन्ध इस कारण किया

[श्री दातार]

गया कि ये धार्मिक और पूर्त संस्थायें भली प्रकार चलती रहें तथा उनकी आय में किसी प्रकार की कमी न होने पाये।

भाग ५ जोतों की अधिकतम सीमा से संबंध रखता है। समें परिवारिक जोत की सीमा २५ एकड़ निर्धारित की गई है। किसी भी मामले में यह सीमा ५० पक्के एकड़ से अधिक नहीं बढ़ सकती है। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि आधिक्य भूमि का वितरण किस प्रकार किया जायेगा।

खंड १७२ के अनुसार रैय्यत के कब्जे की अधिक भूमि सरकार के कब्जे में आ जायेगी। ऐसी भूमि के लिये सरकार रैय्यत को प्रतिकर देगी। सरकार इस प्रतिकर को उपयुक्त लोगों से वसूल करेगी। यदि यह राशि नहीं दी जायेगी तो उस पर २½ प्रतिशत ब्याज देना होगा।

अध्याय १४ में भूमि को टुकड़े होने से रोकने पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में उपबन्ध किया गया है। २ पक्के एकड़ से कम क्षेत्र के टुकड़े को खंड कहा जायेगा। भूमि का निपटारा करने के सभी मामलों में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि भूमि का कोई भी खंड २ पक्के एकड़ों से कम न होने पाये।

खंड १९० में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित आदिम जाति द्वारा भूमि का हस्तांतरण तभी वैध होगा जब कि वह अनुसूचित आदिम जाति के ही किसी व्यक्ति को किया जाय, आदि यदि सवर्ण जाति के किसी व्यक्ति को किया जाय तो सरकार प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जाय या सहकारी समिति में रेहन रख कर किया जाय।

खंड १९२ में उन सभी अधिनियमों का उल्लेख किया गया है, जो इस विधेयक द्वारा निर्मित कर दिये गये।

भूमि सुधारों के संबंध में यह पहिला विधेयक है जिसमें समस्त भू-राजस्व प्रशासन संबंधी विधियों को समेवित कर दिया गया है और कई लाभकारी उपबन्ध किये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा विधेयक का समर्थन करेगी।

मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति इस विधेयक में आवश्यक सुधार और संशोधन करे। यह विधेयक भूमि सुधारों से संबंधित-एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त समिति से वापस आने पर यह विधेयक न केवल त्रिपुरा के लिये अपितु अन्य राज्यों के लिये भी अगतिशील और लाभकारी सिद्ध होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दशरथ देब** (त्रिपुरा) : इस प्रकार के विधेयकों का म स्वागत करता हूं क्योंकि त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक त्रिपुरा की जनता को कुछ लाभ पहुंचाते हैं। सन् १९५२ स में इस प्रकार के विधेयक की मांग इस सभा में कर रहा था। इस विधेयक में कुछ बातों की अच्छी व्यवस्था की गई है जैसे उपरिसीमा, उप-किसानों को कुछ अधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं।

(पंडित ठाकुर दास भागव पीठासीन हुए)

विधेयक का खंड १५ भूमि के अनाधिकृत रूप से अधिकार करने के बारे में है। इस खंड के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति के पास अवैध रूप में सरकारी भूमि है अथवा वह उस भूमि पर अधिकार किये है तो उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। शुरू में ऐसी व्यवस्था थी कि लोग अवैध रूप से भूमि पर अधिकार कर लेते थे लेकिन वर्तमान त्रिपुरा प्रशासन ने जनता से यह प्रार्थना की है कि जनता अवैध रूप से भूमि पर अधिकार न करे। अतः आजकल अवैध रूप से भूमि पर अधिकार करने की प्रथा नहीं है।

लेकिन बहुत दिनों से इस प्रकार की भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्तियों ने जो अब किसी न किसी रूप में उस भूमि पर बस गये हैं, उस भूमि को अपने अधिकार में करने के लिये वर्तमान प्रशासन से निवेदन किया है। अगर ऐसी स्थिति में वर्तमान धारा १५ को लागू किया जाता है तो बहुत से व्यक्ति बे घरबार हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति इस स्थिति पर विचार करे और ऐसी व्यवस्था करे कि जिन लोगों ने १९५८ से पहले इस प्रकार की भूमि पर अधिकार कर लिया है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं उन्हें वहीं बसाया जाये। और उसके बाद से इस प्रथा को अपनाने की अनुमति न दी जाये।

धारा १०९ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भूमि लगातार दो वर्षों तक उपयोग में नहीं लाई गई है और अगर कल्कटर चाहे तो उस भूमि को वह दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है। हमें इस खंड पर भी विचार करना चाहिये। क्योंकि हो सकता है कि बहुत से व्यक्ति वित्तीय कठिनाइयों के कारण लगातार दो वर्षों तक उस भूमि का उपयोग न कर सके हो अतः ऐसी स्थिति में उनकी भूमि को दूसरे व्यक्तियों को पट्टे पर नहीं देना चाहिये। बल्कि मैं तो यह आशा करता था कि सरकार इस विधेयक में यह व्यवस्था करेगी कि ऐसे व्यक्तियों को कृषि ऋण दिये जायेंगे ताकि वे ऐसी भूमियों का सदुपयोग कर सकें। अतः भूमि को दूसरे व्यक्तियों को पट्टे पर देने की व्यवस्था उचित नहीं है।

खंड १२१ उपकिसानों को हटाने के बारे में है। कुछ उपबन्ध तो अच्छे हैं। किसानों को कुछ प्राधिकार उप-किसानों को हटाने के लिये दिये गये हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम लगान न देने के कारण उपकिसानों को नहीं हटाना चाहिये। अगर आवश्यकता पड़े तो उसके उत्पाद अथवा चल सम्पत्ति को जबत कर लिया जाये और नीलाम कर दिया जाये ताकि उससे उस लगान की पूर्ति हो सके। लेकिन उसके लिये उससे भूमि नहीं छीननी चाहिये।

एक उपखंड में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई उप-किसान अपनी भूमि का अपव्यय करता है तो उसे हटा देना चाहिये मैं इस उपखंड को नहीं मानता। मेरा निवेदन तो यह है कि और कोई दूसरी कार्यवाही की जाये ताकि उसका परिवार संकट से बच सके ऐसी स्थिति में उसकी चल सम्पत्ति अथवा उत्पादन को बेचा जा सकता है।

१९५४–५७ के बीच त्रिपुरा में काफी मात्रा में बेदखली हुई हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो बेदखली जनवरी १९५४ से पूर्व हुई हैं उन व्यक्तियों को फिर से उनकी भूमि दिला देनी चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि जनवरी १९५४ की अपेक्षा यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तिथि बढ़ाकर १० अगस्त १९५७ कर दी गई है। १९५४–५७ के बीच बेदखलियां बहुत अधिक हुई हैं क्योंकि जेतादार तथा ज़मीदारों ने उन दिनों यह सोचा कि संसद् में ऐसा विधेयक पारित होने वाला है अतः उप-किसानों को जल्दी से बेदखल कर देना चाहिये। बेदखली की तिथि १० अगस्त १९५७ से पूर्व कर देने के कारण बहुत कम लोगों को लाभ पहुंचा बल्कि हानि अधिक हुई है। त्रिपुरा राज्य में बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पिछले ४० वर्षों से भूमि को उपयोग करने वाले इन उप-किसानों को भूमि से च्युत कर दिया गया है और उनकी भूमि प्रशासन द्वारा दूसरे शरणार्थियों को दे दी गई है। अतः इस प्रकार के पुराने उप-किसान भूमिहीन हो गये हैं और आज मारे मारे फिर रहे हैं।

आदिम जातीय लोग सामाजिक-राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं। इसलिये भूमि के सम्बन्ध में उन्हें कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिये। महाराजा के समय में भी इन लोगों की कुछ भूमि मिली हुई थी और वे इसका उपभोग करते थे। महाराजा ने कुछ क्षेत्र आदिम जातियों के लिये ही सुरक्षित कर रखा था और वे ही उस क्षेत्र का उपभोग करते थे। चूंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अतः ऐसी व्यवस्था तो नहीं रह सकती लेकिन साथ ही मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि यह क्षेत्र सहकारी समितियों को दे दिये जायें। क्योंकि सहकारी समितियां इस भूमि को अपने हाथ में ले लेंगी और आदिम जातीय के लोगों के पास भूमि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चूकि ये लोग पिछड़े हैं अतः हम चाहते हैं कि भूमि के सम्बन्ध में उन्हें कुछ सुरक्षा दी जाये। अगर इन सहकारी समितियों की सदस्यता केवल आदिम जाति के लोगों तक ही सीमित रहती है तब तो उनका लाभ भी है।

भूमि की उपरिसीमा निश्चित करने के पश्चात भूमि का कुछ भाग सरकार के पास आ जायेगा। लेकिन इस विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि सरकार इस अतिरिक्त भूमि अथवा खस भूमि का वितरण किस प्रकार करेगी। मेरे विचार से इसके लिये प्राथमिकता निश्चित कर लेनी चाहिये और पहली प्राथमिकता उन उप-किसानों को दी जाये जिनको इस आधार पर बेदखल किया गया है कि उनकी भूमि व्यक्तिगत उपयोग के लिये चाहिये। क्यों कि पहले इन लोगों के पास भूमि थी और अब वे भूमिहीन हो गये हैं। दूसरे प्राथमिकता उन लोगों को दी जाये जिनके पास मूल उपरिसीमा से कम भूमि है। तीसरे नम्बर पर भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाये। इनकी पूर्ति करने के पश्चात सहकारी समितियों को भूमि दी जाये।

त्रिपुरा भूमि का वर्तमान लगान बहुत कम है जो बनाये रखना चाहिये। क्योंकि यह राज्य बहुत पिछड़ा है। अगर किसानों को वहां सिंचाई, यातायात परिवहन, पानी, बाजार आदि की सुविधाएं दिये बिना ही, उस लगान को बढ़ा दिया गया तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। लगान निर्धारण करने के सम्बन्ध में पदाधिकारियों को ही पूर्ण अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। इसके लिये विधेयक में एक न्यायधिकरण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक तीनों अंगों अर्थात नागरिक, दांडिक तथा राजस्व की पूर्ति करता है। इसलिये मुझे संदेह है कि यह विधेयक सन्तोषजनक कार्य करेगा भी अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दूसरे इस विधेयक से यह स्पष्ट नहीं होता कि सरकार ने उपरिसीमा क्या रखी है।

हांलांकि बीच के लोगों की समाप्ति विधि की दृष्टि से कर दी गई है लेकिन अगर विधेयक के अन्य खंडों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये अभी काफी क्षेत्र बचा हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि संयुक्त समिति खंड ११(१), १२(१) तथा १२(२) पर विचार करे।

भूमि का स्वामित्व का निर्णय करने के लिये कलक्टर को न्यायिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। दूसरी ओर भूमि का स्वामित्व निर्णय करने के लिए इस विधेयक में दीवानी न्यायालयों का निर्णय करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस प्रक्रिया में देर से होगी।

कलकटर तथा प्रशासक दोनों को ही भूमि का नियत न करने के अधिकार दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में जब कि इन दोनों पदाधिकारियों में आपस में मतभेद हो तो उसके लिये भी इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिये।

खंड १५ के अनुसार उन बहुत से विस्थापितों पर प्रभाव पड़ेगा जो त्रिपुरा में भूमि पर अनधिकृत रूप से अधिकार कर चुके हैं और उस भूमि पर अपनी सहायता से सरकारी सहायता से मकान आदि बना चुके है । अतः इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि इन विस्थापितों को उस भूमि से बेदखल न किया जाये ।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब विधि के अनुसार भूमि का लगान निश्चित करने की व्यवस्था है तो फिर खंड १६ के अधीन प्रशासक को भूमि लगान माफ़ करने के पूरे अधिकार क्यों दिये गये हैं कि वे चाहे जिस व्यक्ति को माफ़ कर दे ।

विधेयक में नदियों द्वारा बनाई गई भूमि पर कर लगाने की व्यवस्था की गई है । लेकिन साथ ही यह व्यवस्था भी की जानी चाहिये कि बाढ़ से जिन भूमि को हानि पहुंची है उस पर लगान कम किया जायेगा ।

खंड ३८ में यह व्यवस्था की गई है कि एक बार जो लगान निश्चित हो जाता है उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा लेकिन साथ ही इसके उपखंड ने इस नियम को रद्द कर दिया है जहां कहा है कि प्रशासक जब कभी भी उसमें संशोधन कर सकता है।

खंड ६३ से ७९ में यह व्यवस्था की गई है कि बिक्री, नीलाम, और बिक्री के मामले को हटाने सम्बन्धी मुकद्दमे की कार्यवाही न्यायिक क्षेत्र से हटाकर कार्यपालिका को दे दी जाये । लेकिन ऐसा करना जनहित में नहीं होगा ।

खंड ९४ का महत्व मेरी समझ में नहीं आया । न्याय को सस्ता तथा शीघ्रता से करने के लिये छोटी अदालतों में मुकद्दमे करने के लिये वकील करने की अनुमति दोनों पक्षों को नहीं मिलनी चाहिये । राजस्व पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह निर्णय दे दे कि अमुक मामले में वकील की आवश्यकता है अथवा नहीं । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई अतः संयुक्त समिति को इस पर विचार करना चाहिये ।

खंड ९६ से ९९ में अपील तथा पुनअपील की जो व्यापक व्यवस्था की गई है वह अनावश्कक है क्यों कि इससे मामले में देर ही होगी ।

खंड १०१ के अनुसार प्रशासक को नियम बनाने के लिये बहुत ही विस्तृत अधिकार दिये गये हैं । बहुत सी ऐसी बातें जिनकी व्यवस्था इस विधेयक में की जानी चाहिये थी वे प्रशासक की स्वेच्छा पर छोड़ दी गई है । संयुक्त समिति इस पर भी विचार करे ।

[श्री अरविन्द घोषाल]

खंड १०३ के अनुसार व्यक्तिगत खेती के लिये भूमि चाहिये इस आधार पर उप किसानों को बेदखल करने के लिये किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। आशा है कि संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी और इससे बचने के लिये कुछ सुरक्षा उपबंधों की व्यवस्था करेगी।

खंड १०५ के अनुसार भूमि की उपसीमा निश्चित की जायेगी। लेकिन इस की अधिक व्याख्या की आवश्यकता है। ताकि भूमि के सम्बन्ध में बात स्पष्ट हो जाये और उपकिसानों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। खंड १०६ तथा १२१ भी उपकिसानों को बेदखल करने के बारे में हैं। आशा है कि संयुक्त समिति इन दोनों खंडों पर विचार करेगी।

खंड १३९ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अनुसार मध्य के लोगों को हटाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि इनको हटाने की बात तो कहने के लिये ही है। बल्कि इनको बनाये रखने की ही व्यवस्था अधिक है। अत: संयुक्त समिति को इस पर विचार करना चाहिये। साथ ही यह समिति खंड १४९ पर भी विचार करे जिसके अनुसार वक्फ के अधीन बहुत सी सम्पत्ति छोड़ दी गई है। क्षतिपूर्ति की दर भी बहुत ऊंची है।

खंड १८२ के अनुसार भूमि के टुकड़े करने से रोकने की व्यवस्था की गई है लेकिन इसमें संदेह है क्योंकि जब तक विभाजन अधिनियम और हिन्दू तथा मुस्लिम उत्तराधिकार विधियों में संशोधन नहीं होगा तब तक यह कार्य नहीं हो सकता। अत: संयुक्त समिति को इस पर विचार करना चाहिये।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को, मध्य के लोगों को समाप्त करके तथा अन्य व्यक्तियों से जो भूमि मिलेगी, उसका वह क्या करेगी। अर्थात् उसका विभाजन किस प्रकार होगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार इस प्रकार की भूमि का प्रबन्ध करने के लिये प्रयोग के लिये सहकारी समितियों की स्थापना करे और यह देखे कि वे किस प्रकार कार्य करती है। अंत में मैं संयुक्त समिति से निवेदन करूंगा कि वह उन सभी बातों पर विचार करे जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं।

श्री यादव (बाराबंकी) : यह जो त्रिपुरा विधेयक प्रस्तुत किया गया है, माननीय गृहमंत्री द्वारा, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसका इसलिए स्वागत नहीं करता कि यह विधेयक अपने में पूर्ण है बल्कि इसलिए कि किसी भी विधेयक द्वारा या कसी भी कानून द्वारा यदि थोड़ा सा भी छोटे लोगों का, किसानों का हित होने जा रहा हो तो उसका स्वागत ही होना चाहिए।

मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विधेयक की बहुत सी बातों की ओर इस सदन का ध्यान खींचा है और मैं उन चीजों की तरफ ध्यान दिलाना नहीं चाहूंगा जो कि यहां कह दी गई हैं। इसका कारण यह भी है कि जब यह विधेयक प्रवर समिति से वापिस आएगा इस सदन में तब फिर एक एक धारा पर अलग अलग तरमीमें पेश की जायेंगी और जो बातें हम इस समय इस विधेयक पर कह रहे हैं उन पर प्रवर समिति विचार भी करेगी और उनका इस विधेयक में समावेश भी करेगी।

लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय जब इस विधेयक पर बोल रहे थे तब उन्होंने फरमाया कि यह विधेयक एक नमूने की तरह विधयक है और सारे देश के लोगों के लिए अनुकरणीय है और सारा देश इसकी नकल करेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कभी भी भूमि सुधार सम्बन्धी कोई कानून पेश हो, चाहे इस

सदन में हो या राज्यों की विधान सभाओं में या विधान परिषदों में हो, सर्व-प्रथम जो प्रश्न उठता है वह यह है कि आखिर ज़मीन किस की होनी चाहिए, खेती किस को मिलनी चाहिए। मैं जब इस विधेयक की ओर देखता हूं और जहां तक इसमें जो डेफिनिशंस की धारायें हैं कि कौन लोग खुद काश्त होल्डर कहलायेंगे, किसकी खेती होगी इत्यादि, तो मैं पाता हूं कि यहां पर इस चीज़ का जवाब देने की कोई कोशिश नही की गई है। खेती करने वाले चाहे वे अपने हाथ से खेती करते हों, चाहे मज़दूरों द्वारा कराते हों, चाहे मशीनों के ज़रिये करते हों, सभी के सभी लोग खेती में आ जाते हैं और जब तक इस बात का जवाब नहीं दिया जाता कि खेती किस की होगी, यह उसी की होगी जो कि अपने हाथ से स्वयं खेती करता है, तब तक भूमि-सुधारों का कोई मतलब नहीं होगा। मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ज़मीन सम्बन्धी कोई सुधार आप चाहते हैं और चाहते हैं कि किसानों का हित हो, देश का हित हो, तो सब से पहले आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ज़मीन उसी की हो जो कि वास्तव में ज़मीन पर खेती करता हो, ज़मीन को तोड़ता हो, अन्न पैदा करता हो। आज हम क्या देखते हैं? जो वास्तव में खेती करता है, जो जमीन पर मेहनत करता है, उस के पास जमीन नहीं है, और जिन को गेहूं और जौ के पौधे की पहचान नहीं है, उन के पास हजारों बीघा जमीन है।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर रक्षित अनुसूचित जातियां): काफी पहचान है।

श्री यादव: इस में इस बात का जवाब देने की कोशिश नहीं की गई है कि.....

†**सभापति महोदय:** अब हम दूसरा विषय लेंगे। श्री सूपकार।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तिरेपनवां प्रतिवेदन

श्री सुपकार (संबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरेपनवें प्रतिवेदन से, जो ९ दिसम्बर, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरेपनवें प्रतिवेदन से, जो ९ दिसम्बर, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक

श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधि व्यवसायी अधिनियम, १८७९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सभापति महोदय** । प्रश्न यह है :

"विधि व्यवसायी अधिनियम १८७९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

भारतीय विधि व्यवसायी परिषद् (संधोधन) विधेयक

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय विधि व्यवसायी परिषद् (बार कोंसिल) अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विधि व्यवसायी परिषद् (बार कोंसिल) अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं :

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

†**श्रीबालकृष्ण वासनिक** (भंडारा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या के नियंत्रण तथा तत्संबंधी मामलों का प्रबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**सभापति महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं इस विधेयक के पुरस्थापन का विरोध करना चाहता हूं । अपने तर्कों को मैं संक्षेप में बताऊंगा । एक कारण यह है कि सम्पूर्ण सभा परिवार नियोजन के पक्ष में है । प्रसन्नता की बात है कि देश ने इस कार्यक्रम को अपना भी लिया है । इस संबंध में परामर्श लेने के लिए अधिकाधिक लोग आ रहे हैं । स्वेच्छा से अपना आपरेशन कराने के लिए—स्त्री पुरुष दोनों संतान उत्पन्न करने के लिए अयोग्य बनने हेतु—अधिकाधिक लोग आ रहे ह । इस विधेयक में गर्भपात को वैध बनाने की बात कही गयी है, जब कि सम्पूर्ण देश इसे बुरा समझता है । आगे चल कर यह विधेयक गर्भपात को बढ़ाने तथा उसे लोकप्रिय बनाने की बात कहता है । यदि यह विधेयक पारित हो जायेगा, तो लोगों की यह धारणा बन जायेगी कि गर्भपात करने की अनुमति है और वन्ध्याकरण अनिवार्य है, जो कि विधेयक के उद्देश्य को निष्फल बना देगा । मैं वही बात कह रहा हूं, जो माननीय सदस्य का उद्देश्य है । वह बहुत आगे की बात कह रहे हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं । अत : अच्छा यही है कि विधेयक के पुरस्थापन की अनुमति न दी जाये ; हम जो उपाय कर रहे हैं, उनके परिणाम प्रोत्साहन हैं ।

जापान में ८ वर्ष तक गर्भपात को कानूनी बनाकर उसके परिणामों को देखा गया और अब उन्होंने उसे बन्द कर दिया है । म विधेयक के गुण-दोषों की चर्चा नहीं कर रहा हूं । अतः मैं सभा में इस विषय पर चर्चा नहीं होने देना चाहता ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक :** मैं नहीं समझ पाया कि माननीय मंत्री विधेयक के पुरस्थापन का क्यों विरोध कर रहे हैं, जब कि सभा में यह परिपाटी है कि पुरस्थापन का विरोध नहीं किया जाता ।

१ मई, १९५९ को मैंने ऐसा ही एक विधेयक पुरस्थापित करना चाहा था । उस समय भी उन्होंने उसका विरोध किया था । जब मैंने बाहर मिल कर उनसे पूछा कि उन्होंने विधेयक के पुरस्थापन का क्यों विरोध किया, तो उन्होंने बताया कि विधेयक के कुछ उपबन्ध उन्हें पसंद नहीं थे । बाद में मैंने विधेयक का मसविदा दोबारा तैयार किया और उन्होंने जिन बातों पर आपत्ति की, उनको मैंने निकाल दिया । आज माननीय मंत्री ने जो बात उठाई है, उस समय उन्होंने वह बात नहीं कही थी ।

विधेयक के गुणों पर मैं अभी अनेक तर्क उपस्थित कर सकता हूं । मैं समझता हूं कि विधेयक को काफी समर्थन प्राप्त है । चूंकि यह परिपाटी है कि पुरस्थापन का विरोध नहीं किया जाता, अत : मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस समय विरोध न करें । बाद में जब विचार हो, उस समय उन्हें जो कुछ भी कहना हो, वह कहें । मेरा निवेदन है कि यदि माननीय मंत्री इस पुरस्थापन का विरोध करना ही चाहते हैं, तो आप मुझे भी वक्तव्य देने की अनुमति दें ।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य नियम ७२ के अधीन वक्तव्य देना चाहते हैं । वह चाहें तो स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य दे सकते हैं ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक :** माननीय मंत्री ने कहा कि मैंने गर्भपात को वैध बनाने की बात कही है । खण्ड ७ में मैंने कहा है कि गर्भपात के बाद ८ सप्ताह के भीतर--सन्तति निरोध के लिए चिकित्सक की राय से--किया गया गर्भपात वैध माना जायेगा । डाक्टरों तथा विशेषज्ञों की राय है कि आठ महीने के भीतर गर्भपात कराना कोई हत्या नहीं है । अत : यदि डाक्टर की राय से ऐसा गर्भपात किया जाये, तो वह उचित होगा ।

जापान का जिक्र माननीय मंत्री ने किया । मैं बताना चाहता हूं कि जापान और अमरीका में भी गर्भपात होते हैं--मां का जीवन तथा उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए । आज देश की जन संख्या २०,००० प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रही है । यह विधेयक परिवार को तीन बच्चों तक सीमित करने का प्रयत्न करता है ।

हमारे वित्त मंत्री ने भी जनसंख्या कर लगाने की योजना रखी थी । मैंने विधेयक द्वारा कर लगाने की बात नहीं कही है बल्कि केवल २०० रु० जुर्माना की बात कही है । इस संबंध में जो कठिनाइयां हैं, उन्हें कानून बना कर दूर किया जा सकता है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विधेयक के एक खण्ड में यह भी कहा गया है कि स्वस्थ बच्चे पैदा करने में असमर्थ व पागल तथा अपंग लोगों को भी बच्चा उत्पन्न करने के लिए अयोग्य बना दिया जायेगा । भारत सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

की एक और पुस्तिका "**परिवार नियोजन क्यों**" में भी कहा गया है कि रोगी माता-पिता भी सन्तान न पैदा करें। इसके अतिरिक्त बच्चों की उचित सेवा-शिक्षा आदि में असमर्थ माता-पिता को भी बच्चे नहीं पैदा करने चाहिएं ।

एक बात और है विवाह की आयु भी बढ़ाई जानी चाहिए। माननीय मंत्री यह न समझें कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते ही लोग गर्भपात करना शुरू कर देंगे। माननीय मंत्री को पुरस्थापन के समय विरोध नहीं करना चाहिए। विचार करते समय विधेयक की बुरी बातें निकाल दी जायेंगी व अच्छी बातें स्वीकार कर ली जायेंगी ।

†**श्री करमरकर :** मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गयी कुछ बातों का उत्तर दूंगा। विधेयक के पुरस्थापन का विरोध केवल दो आधारों पर किया जा सकता है यदि विधेयक लोक नैतिकता के विरुद्ध हो या वह सरकारी नीति के विरुद्ध हो। भय की बात यह नहीं है कि यदि यह विधेयक पारित हो जायेगा, तो उसका क्या परिणाम होगा। प्रश्न यह है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम के संबंध में हम सभी एकमत हैं। हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी कारण इस कार्यक्रम को सफलता भी मिली है। शुरू के वर्ष में हमने वन्ध्यीकरण का नाम भी नहीं लिया क्यों कि हम जानते थे कि इससे जनता में अशान्ति पैदा होने का भय था। हमने राज्य सरकारों से कह दिया कि डाक्टरी राय के आधार पर वन्ध्यीकरण किया जा सकता है। अब हमने राज्य सरकारों से कह दिया है कि डाक्टरी सलाह के आधार पर यदि पति-पत्नी दोनों सहमत हों, तो वन्ध्यीकरण किया जा सकता है, हम जानते हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है।

जहां तक गर्भपात का सवाल है हम सिद्धान्तत : तथा सरकारी नीति के आधार पर इसके विरुद्ध हैं और जनता भी इसके विरुद्ध है। स्थिति आने पर ऐसा किया जा सकेगा पर अभी नहीं। विवाह की आयु बढ़ाने की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, और पत्रों में कल से ही इसकी आलोचना शुरू हो जायेगी। सब लोग इसकी आलोचना करेंगे ।

जापान में १९४८ के बाद गर्भपात को कानूनी बनाने का प्रयत्न किया गया। सरकार ने ८०० क्लीनिक्स खोले। पर उनको इसका कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा और उन्होंने अब इसका सरकारी समर्थन बन्द कर दिया है। उन्होंने दो कठिनाइयां अनुभव कीं—एक, गर्भपात का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और दूसरे ६ महीने बाद ही दूसरी बार गर्भपात कराना पड़ता है ।

अत : हम इस समय इस विधेयक को लाने की अनुमति देकर अशान्ति नहीं फैलाना चाहते। यह वह विवाह की आयु बढ़ाने तथा पागलों आदि संबंधी दूसरा विधेयक प्रस्तुत करेंगे, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे ।

यह भी कहा गया है कि चौथा बच्चा पैदा करने वाले को २०० रु० जुर्माना किया जायेगा। पर मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध का भी कोई लाभ नहीं होगा ।

मैं चाहता हूं कि वह कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करे, जो वास्तव में परिवार नियोजन की उन्नति करे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण तथा तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक के बारेमें

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–पूर्व) : एक औचित्य प्रश्न है। भारतीय दण्ड संहिता में पहले 'आजीवन निर्वासन' शब्द थे । उनको हटाकर "आजीवन कारावास" कर दिया गया था । माननीय सदस्य के विधेयक में कहा गया है कि "आजीवन निर्वासन" के स्थान पर "१४ वर्ष का कारावास" कर दिया जाये । "आजीवन निर्वासन" शब्द पहले ही हटाये जा चुके हैं, माननीय सदस्य ऐसे शब्दो को हटाने का सुझाव दे रहे हैं जो संहिता में हैं ही नहीं। अत : इस विधेयक का कुछ अर्थ हो नहीं है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : संहिता का संशोधन १९५६ में हो चुका है। अब उसमें "आजीवन निर्वासन" शब्द हैं ही नहीं, अत : हम इसके पुरस्थापन का विरोध करते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ठीक है, मैं इस विधेयक के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं । मैं अपने दूसरे विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करूंगा ।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल विवाह रोक अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह रोक अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री बाल्मीकी द्वारा २७ नवम्बर, १९५९ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर, कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये, अग्रेतर विचार करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी अपना भाषण जारी कर सकते हैं । मैं देखता हूं कि वह उपस्थित नहीं है अत: उनके भाषण को समाप्त समझा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल रव** (खम्मम) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के उपलक्ष में मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूं। इस विधेयक में कहा गया है कि निर्धारित समय से अधिक काम के लिए कर्मचारियों को इतनी मजूरी दी जानी चाहिए। अनेक राज्यों ने ऐसे नियम बना भी लिए हैं। बागान श्रम अधिनियम, खान अधिनियम तथा कारखाना अधिनियम में ऐसे उपबन्ध हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन भी यह उपबन्ध कर दिया जाये। इससे लाखों श्रमिकों का कल्याण होगा।

अनेक स्थानों पर श्रमिकों से बहुत अधिक काम लिया जाता है पर उन्हें उसके बदले कुछ भी नहीं दिया जाता। अतः मेरा निवेदन है कि अगणित मजदूरों के हितों को सुरक्षित करने के लिए हमें इस विधेयक को अवश्य स्वीकार करना चाहिए ताकि अधिक समय के लिए उन्हें दूनी मजूरी मिल सके।

मैं विधेयक का स्वागत व समर्थन करता हूं।

श्री मोहन नायक (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बाल्मीकी ने जो सदन में मिनिमम वेजेज अमेंडमेंट बिल पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। म्युनिसपैल्टीज में, ग्राम पंचायतों और नोटिफाइड ऐरियाज आदि अनुष्ठानों में जो मेहतर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए मजूरी का कोई निर्धारण नहीं है। अब दिल्ली में श्री आइजनहोवर आये हुए हैं और दिल्ली में हमारे मेहतर लोग १२ से १४ घंटे तक काम करते हैं लेकिन उन्हें इस ओवरटाइम काम करने के लिए कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त म्युनिसपैल्टीज में काम करने वाले मजदूरों को इतवार की भी छुट्टी नहीं मिलती है और इतवार को उनको सवेरे काम करना होता है, कहीं-कहीं शाम को छुट्टी दे दी जाती है। जिन मेहतरों ने सुबह काम किया है उनके लिए भी कोई ज्यादा मजूरी नहीं मिलती है।

इसी तरह हम देखते हैं कि जो कुली ठेकेदारों के पास काम करते हैं उनको भी गवर्नमेंट द्वारा मजदूरी की जो रेट फिक्स्ड है वह ठीक तरह से उन कुलियों को ठेकेदारों द्वारा नहीं दी जाती है।

मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहों के बारे में तो ध्यान दिया जाता है और विभिन्न कम्पनियों में और सरकारी अनुष्ठानों में जो हमारे मेहतर भाई काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी के लिए कोई नियम नहीं है और कोई उचित व्यवस्था नहीं है और इसलिए यह जो बिल लाया गया है वह इस कमी की ओर इशारा करते हुए उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है और इसलिए मैं इस बिल का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकता—पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रायः यह देखने में आता है कि मजूरों को निश्चित समय की अपेक्षा बिना भुगतान के अधिक समय तक काम करना पड़ता है। यह एक बहुत बुरी बात है। इस विधेयक के सिद्धान्त ऐसे हैं जिनको स्वीकार करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी।

निश्चित काम के घंटों की अपेक्षा और अधिक समय काम करने के बारे में क्या नियम हैं यह तो ठीक से मुझे मालूम नहीं है। निश्चित समय से अधिक काम करने की प्रथा विश्व में बहुत दिनों से चली आ रही है। मजूरों द्वारा इस दिशा में काफ़ी झगड़ा करने के पश्चात् स्थिति यहां तक आई है कि विश्व के लगभग सभी सभ्य देशों ने यह स्वीकार कर लिया है कि मजूरों को निश्चित समय से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। अगर अधिक समय काम करने के लिए अभी तक नियम नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाये गये हैं तो यह उपयुक्त समय है जब कि इस बारे में नियम बना लेने चाहिएं। इसीलिए यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में नियम बनायेंगी। क्योंकि यदि ऐसे नियम नहीं बनाये जायेंगे तो यह बेगार समझी जायेगी और यह कार्य असंवैधानिक होगा।

इस विधेयक में जो दर रखी गई है उसका कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि यह सर्वमान्य है कि अधिक समय काम करने के लिए सामान्य समय के भुगतान की अपेक्षा दुगना भुगतान किया जाना चाहिए। अतः मेरा विचार है कि सरकार को इस विधेयक को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

मेरा विचार है कि अधिक समय के काम के लिए प्रस्तावित भत्ते की दर से किसी भी उद्योग को कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही यह भी वांछनीय नहीं है कि मजूरों को कम मजूरी दी जाये। यह भत्ता निश्चित न्यूनतम मजूरी के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए।

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि श्री करमसिंह तथा अन्य भारतीय बन्दियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में प्रधान मंत्री अब मंगलवार को एक वक्तव्य देंगे। पहले उन्होंने सोमवार को वक्तव्य देने के लिए कहा था लेकिन सोमवार को वे अधिक व्यस्त हैं अतः अब वे मंगलवार को ही वक्तव्य देंगे।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--जारी

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बाल्मीकी ने जो मिनिमम वेजेज अमेंडमेंट बिल पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यों तो हमारे देश में हर क्षेत्र के अन्दर मजदूरों की जो दशा है वह बहुत शोचनीय है। जो उनको तनख्वाहें मिलती हैं और जो उनको काम करने के लिए मजदूरी दी जाती है वह सिर्फ इतनी ही होती है जिससे कि वे जोते रहें और मजदूर पैदा करते रहें। उनको इतना नहीं मिलता जिससे कि वे सही मायने में एक इन्सान की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। आखिर हमारे मजदूरों को भी तो इसका हक होना चाहिए कि वे भी एक इन्सान की तरह अपनी गुजर बसर कर सकें। इस वास्ते हमारे भाई ने जो बिल पेश किया है और जिसके कि मुताबिक वे मिनिमम वेजेज ऐक्ट को अमेंड करना चाहते हैं ताकि वे मजदूर लोग जो कि ओवरटाइम काम करते हैं उनको दूनी मजदूरी दी जाय, वह ठीक ही है और उसका सब के द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए और उसको हर एक का समर्थन मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारे यहां म्युनिसपैल्टीज के अन्दर जो मेहतर काम करते हैं बहुत जगह उनको तनख्वाह बिलकुल नहीं दी जाती है और कभी कभी ऐसा होता है मुझे तो एक म्युनिसपल बोर्ड का तजुर्बा है जहां कि उनको मजदूरी के एवज में पैसा ही नहीं दिया जाता बल्कि बनिये की दुकान से राशन दिया जाता है और यह कहा जाता है कि तुम लोग राशन लेकर खाते रहो और फिर म्युनिसपल बोर्ड उनको पे कर देगा और जिसका कि नतीजा यह होता है कि मंहगे भाव पर वे सामान वहां से पाते हैं। जो तनख्वाह मिलती है वह बहुत नगन्य है और उनसे जो ओवरटाइम लिया जाता है उसके लिए कुछ नहीं दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पाण्डेय]

खेतिहर मजदूरों की भी दशा बड़ी शोचनीय है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर कि दो पैसा रोजाना मजदूरी दी जाती है और उनसे मुफ्त में बेगार ली जाती है। देश के संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी भी आदमी से बेगार नहीं ली जा सकती फिर भी इस कानून का फायदा उन गरीब मजदूरों को नहीं मिलता जिनको कि वाकई मिलना चाहिए। इसलिए मैं यह चाहूंगा यह हिन्दुस्तान के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बड़े कलंक की बात होगी अगर इस देश में इतने दिनों की स्वतंत्रता के बाद भी लोगों से काम लिया जाय और उसके एवज में उनको कुछ न दिया जाय। इसलिए मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं। पहली बात यह कि इस कानून को तमाम क्षेत्रों में लागू किया जाय। माननीय मंत्री ने कहा भी था कि इसको तमाम क्षेत्रों में लागू किया जायगा अगर बहुत सारे मजदूर इस ऐक्ट से फायदा न उठा सकेंगे। इसलिए इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट को इस तरह अमेंड किया जाय ताकि जो मजदूरों से ओवरटाइम काम लिया जाता है उसकी दूनी मजूरी उन्हें मिल सके और जो उनसे बेगार ली जा रही है उसका उन्हें पैसा मिले और दूना पैसा मिले।

†**श्री जांगड़े** (बिलासपुर) : मेरा औचित्य प्रश्न है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : बहुत से मेम्बर्स उधर जा रहे हैं इसलिए घंटी बजने पर भी काफी लोग अन्दर आते नहीं दिखाई देते। गेट पर बस खड़ी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री सरजू पाण्डेय : हां, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस ऐक्ट को अमेंड करना चाहिए। योरप के देशों में इस किस्म के कानून बने हुए हैं कि अगर कोई स्वीपर किसी के दरवाजे पर जाता है और यदि एक मिनट भी उसका दरवाजा नहीं खुलता है और एक मिनट की भी देर हो जाती है तो उसको इस बात का हक होता है कि वह एक मिनट का भी पैसा उससे ले सके। मगर हमारे यहां कोई ऐसा कानून नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस ऐक्ट को अमेंड करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसा कि इसमें सुझाया गया है कि अगर उनसे ओवरटाइम काम लिया जाता है तो उसकी उनको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए और जो कि आमतौर पर वैस्टर्न कंट्रीज में मिलती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे और इस ऐक्ट को तमाम क्षेत्रों में लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बाल्मीकि जी के इस सदप्रयत्न का स्वागत करता हूं। होना तो यह चाहिए था कि भारत सरकार का श्रम मंत्रालय ही स्वयं ही इस तरह का कोई कानून बनाने की पहल करता, लेकिन जब उनकी तरफ से पहल नहीं हुई है तो भले ही किसी प्राइवेट मेम्बर की तरफ से इस तरह का बिल आया हो, मैं आशा करूंगा कि सरकार उसका स्वागत करने का प्रयत्न करेगी।

असल में समस्या क्या है? जब हम ओवरटाइम की बात सोचते हैं तो देखते हैं कि उसके साथ दूसरी भी बहुत सी समस्यायें जुड़ी हुई हैं और वह सवाल या समस्यायें यह हैं कि हम एक आदमी की कितनी मजदूरी दे सकते हैं या हमको कितनी मजदूरी एक खास काम के लिए देनी चाहिए। कितनी मजदूरी काफी होगी कि मजदूर उससे अपनी जिन्दगी बसर कर सके। और अगर हम उतनी मजदूरी नहीं दे सकते हैं तो फिर उसके लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। तो

---

†मूल अंग्रेजी में

यह तो एक बहुत विस्तृत सवाल है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर सोचेगी, और यह कोशिश करेगी कि जो देश में आमदनियों में बड़ा फर्क है उसको किसी तरह से कम किया जाये। देश में आमदनियों में एक और दस से अधिक का फर्क नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि किसी आदमी को सौ रुपये माहवार से कम न मिले और न किसी को एक हजार रुपये माहवार से अधिक मिले। इस तरह से एक और दस का फर्क आमदनियों में रहे।

लेकिन ओवरटाइम देने का सवाल हमारे सामने आता है। सिद्धान्त रूप से यह मान लिया गया है कि अगर कोई मजदूर निश्चित घंटों से अधिक काम करेगा तो उसको उस समय की दूनी मजदूरी मिलनी चाहिए। इस सिद्धान्त के होते हुए भी बहुत से राज्यों में इसके सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है कि अगर कोई मजदूर आठ घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसको उस काम का ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन बहुत जगह यह हो रहा है कि अगर कोई मजदूर ८ घंटे के बजाय दस घंटे काम करता है तो उसको दो घंटे की दूनी मजदूरी तो क्या ८ घंटे के हिसाब से सवाई मजदूरी भी नहीं मिलती। उसको केवल ८ घंटे की ही मजदूरी मिलती है। यह इतना अन्यायपूर्ण कार्य है कि यह जितनी जल्दी खत्म हो जाये उतना ही अच्छा। लेकिन अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि बहुत सी ऐसी नगरपालिकायें हैं बहुत से ऐसे जिला बोर्ड और जिला परिषदें हैं कि जहां उनके कर्मचारी जितना उनको कानून के अनुसार काम करना चाहिए उससे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको दूना वेतन देना तो दूर, उनको जितना एक दिन के लिए वेतन मिलना चाहिए उस से कुछ भी ज्यादा नहीं दिया जाता। मैं आशा करूंगा कि सरकार का ध्यान इधर जाएगा और सरकार कोशिश करेगी कि जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन श्री बाल्मीकि जी ने अपने बिल में किया है उस पर अविलम्ब अमल किया जायेगा।

अगर हम अपने देश की श्रमिक जनता के मन में उत्साह पैदा करना चाहते हैं और उन से उत्साहपूर्वक काम करने की आशा करते हैं तो हमें उनको प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह भी पूरे उत्साह से काम नहीं करेंगे। जब मजदूर परेशान रहते हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं दे पाते, उनको पढ़ा लिखा नहीं पाते, उनकी बीमारी में इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते तो वे उस शक्ति से काम नहीं कर सकते जिस शक्ति से कि उनको करना चाहिए। अगर हम मजदूरों को ओवरटाइम दें तो इससे न केवल मजदूरों को लाभ होगा बल्कि हमें भी लाभ होगा क्योंकि उस दशा में हम उनसे ज्यादा काम ले सकेंगे जिसकी कि आज बड़ी आवश्यकता है। आज देश में निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि हमारे श्रमिक ८ घंटे की बजाये दस घंटे काम करें। इसके लिए उनको प्रोत्साहन देना होगा और उनको कुछ प्रलोभन देना होगा कि अगर वह ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं जिससे वे अपने कुटुम्ब के भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था से न केवल श्रमिकों को लाभ होगा बल्कि यह देश के हित में भी होगा।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस बिल को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : १९४८ में न्यूनतम मजूरी अधिनियम पारित किया गया था और विशेष मजदूरों को बताने वाली अनुसूची इस में रखी गई थी। साथ ही साथ अधिनियम में यह उपबन्ध भी रखा गया था कि न्यूनतम मजूरी को किस प्रकार निश्चित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में न्यूनतम मजूरी निश्चित कर ली है क्योंकि न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा १४ में दिया गया है कि दिन के काम के निश्चित घंटों से अधिक समय काम कराने के लिए अधिक काम की मजूरी दी जायेगी । और यह मजूरी साधारण मजूरी से अधिक होगी । इस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिक काम के लिए कितनी मजूरी होनी चाहिए ।

अधिनियम की अनुसूची में बागान मजदूरों, सड़क परिवहन मजदूरों, कारखाने के मजदूरों आदि के बारे में तो बताया गया है परन्तु नगरपालिका कर्मचारियों के लिए इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है । इस संशोधन के द्वारा अधिनियम की यह कमी पूरी हो जाती है और नगरपालिका के कर्मचारियों के बारे में भी अधिक कार्य के लिए दरें निश्चित हो जाती हैं ।

इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि अधिक काम की मजूरी साधारण मजूरी से दुगनी होनी चाहिए क्योंकि मजदूरों को अधिक काम करने का प्रोत्साहन इस प्रकार मिल जाता है । मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाल्मीकि जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और जब तक कि श्रम के हिसाब से कम से कम मजदूरी मुकर्रर नहीं होती है उस वक्त तक तो हमें यह मानना ही होगा कि जो समय से फालतू काम करता है उसे फालतू मजदूरी भी मिलनी चाहिए । और जहां उसका हिसाब नहीं है वहां उसी हिसाब से जो बाल्मीकि जी ने बताया है वह मजदूरी दी जानी चाहिए । और इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । समाज का जो वर्ग सफाई का काम करता है, मुझे यह देखकर दुःख होता है कि वह वर्ग ही सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ है । उसको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए । यह वर्ग अधिकतर नगरपालिकाओं में और जिला बोर्डों में काम करता है । ये संस्थाएं भी सरकार का ही एक अंग हैं । जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह पर है, राज्य सरकारें अपनी जगह पर हैं उसी प्रकार ये नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड भी अपनी जगह पर वही काम कर रहे हैं । अगर सरकार का कोई हिस्सा अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता तो यह अच्छी बात नहीं है। जब कि हम दूसरे काम लेने वालों से, जैसे खेती का काम लेने वालों से, यह तवक्को करते हैं कि वे उचित मजदूरी दें तो सरकार को तो अपने कर्मचारियों को उचित मजदूरी देनी चाहिए । खेती में जो आदमी मजदूरी करते हैं उनकी कोई मजदूरी निश्चित नहीं की गयी है, फिर भी इस बात का ख्याल किये बिना कि किसान को खेती से लाभ होता है या नहीं यह तवक्को की जाती है कि उन मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी मिलनी चाहिए और जहां यह मुकर्रर नहीं है वहां मुकर्रर होनी चाहिए । ऐसी हालत में जो संस्थाएं सरकार का ही अंग हैं अगर वे अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देतीं तो यह हमारे लिए कोई इज्जत की बात नहीं है । श्री बाल्मीकि जी ने कहा कि इन मजदूरों का लाखों रुपया बकाया है जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है । वह उनको मिलना चाहिए । मैं समझता हूं कि देश की तरक्की के लिए ऐसा होना आवश्यक है । आज दुनिया में समाजवादी देश भी इस बात को मानते हैं कि एक मजदूर को एक निश्चित मजदूरी तो अवश्य मिलनी ही चाहिए और जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है । ऐसा न होने से आदमी आलसी बन जाता है और उसका ध्यान काम न करने की तरफ जाता है, उसका ध्यान केवल समय पूरा करने की तरफ जाता है । मैं समझता हूं कि हमको मिनिमम वेजेज़ के उसूल को जल्दी से जल्दी काम के हिसाब से लागू करना चाहिए और उसी हिसाब से मजदूरी देनी चाहिए । एक आदमी को कम से कम कितना काम करना चाहिए उसके हिसाब से स्टेंडर्ड मजदूरी मुकर्रर की जानी चाहिए और

जो आदमी उससे ज्यादा काम करता है उसको उसी हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। इसी में देश का भला है, और समाजवादी देश को तो यह जरूर ही करना चाहिए। पूंजीवाद में भी यह चीज़ जरूरी होती है। लेकिन आज जब कि देश बन रहा है, उस वक्त तो देश को और भी ज्यादा जरूरत है कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा काम करे। इसके लिए उसको प्रलोभन देने की जरूरत है। जब तक स्टेंडर्ड काम के लिए स्टेंडर्ड वेज निश्चित नहीं होगी और जब तक यह सिद्धान्त नहीं तै होगा कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी उस वक्त तक मजदूरों में उत्साह पैदा नहीं होगा और वह ज्यादा काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ चलना चाहते हैं या उनको पकड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने मजदूरों के दिल में जोश पैदा करें। चाहे कोई खेती का काम करता हो, या किसी छोटे मोटे कारखाने में काम करता हो या जिला बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड में काम करता हो हमें सब के लिए यह नियम बनाना चाहिए कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी दी जायेगी।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): उपाध्यक्ष जी, इस अमेंडिंग बिल पर चर्चा के सम्बन्ध में ज्यादा बातें तो जो कही गई हैं, उन का सम्बन्ध है इस कानून पर बराबर अमल न होने से और जो बातें इस वक्त इस अमेंडिंग बिल की मारफ़त पेश की गई हैं, उन के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। एक माननीय सदस्य ने तो इतना भी कह दिया कि ये कानून सब कागज़ी हैं। अगर वह मानते हैं कि ये सब कानून कागज़ी हैं, तो फिर कागज़ क्यों बढ़ाया जाता है? छोड़ दीजिये उन को। एक साहब ने शिकायत की कि वेतन नहीं मिलता है। अगर वेतन नहीं मिलता है, तो पेमेंट आफ़ वेजिज़ एक्ट तो है। उस पर अमल होना चाहिए।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

यह भी कहा गया है कि वेतन बहुत कम मिलता है। अगर कम मिलता है, तो वह बेकानूनी बात है। जो मिनिमम वेज निश्चित हो चुका है, उस के अनुसार मिलना चाहिए। यह बात तो हम हमेशा कहा करते हैं कि सिर्फ़ कानून बना देने से काम करने वाले भाइयों को संतोष नहीं हो सकता। कानून पर बराबर अमल होना चाहिए। यह तो हमारी कोशिश रही है और होनी चाहिए। इस के लिए हम ने दफ़्तर खोल रखे हैं, इंस्पैक्टर्ज़ नियुक्त किये हैं और उन्हें अपना काम करना चाहिए। कहीं उन के काम में कमज़ोरी आती हो, तो मेम्बर साहबान का ज़रूर यह हक है कि वे हम से कहें और हम हमेशा इस बात के लिए तैयार हैं कि जो कुछ इस सम्बन्ध में किया जा सके, वह करना चाहिए। मगर उतना ही काफ़ी नहीं होता है। ज़रूरी यह भी है कि ट्रेड यूनियन संगठन भी मज़बूत होना चाहिए, ताकि कानून पर बराबर अमल हो और वर्कर्ज़ को वह सब कुछ तरीके से मिलना चाहिए, जो कि कानून ने उन को दे रखा है।

यह भी कहा गया है कि बेगार ली जाती है। बेगार तो अपने विधान ने बन्द कर रखी है और बेगार किसी से लेना नहीं चाहिए। वह ली नहीं जा सकती है। अगर कोई ले, तो यह कानून के विरुद्ध—विधान के विरुद्ध अमल होगा और उसका बराबर मुकाबला करना चाहिए, कायदे ने यह हक दे रखा है। यहां खाली कह देने से कि बेगार नहीं लेनी चाहिए काम नहीं चलता है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूं—और सब मेम्बर साहब मानते हैं—कि विधान में उस की मनाही की गई है, तो फिर उस का मुकाबला करना चाहिए—कानूनी तौर से, जिस्मानी तौर से, हर तरह से उस का मुकाबला करना चाहिये।

जहां तक हमारे हरिजन भाइयों का ताल्लुक है, जिन के सम्बन्ध में काफ़ी ज़िक्र हुआ है, हमारी पूरी सहानुभूति उन के साथ है और हम यह चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके हक उन को मिलें।

[श्री आबिद अली]

जहां तक डबल रेट—दुगने रेट—का सवाल है, जो घंटे निश्चित किये गये हैं, अगर उन घंटों के अलावा काम लिया जाये, तो डबल रेट दिया जाना चाहिए। इस में कोई बहस की गुंजायश नहीं है। उन्हें मिलना चाहिए। हमारे सेंट्रल रूल्ज में भी यही है, सिवाये एग्रीकल्चर के बाकी के बारे में पेज ८ पर रूल ५वें में कहा गया है :—

'किसी अन्य अनुसूचित काम के मामले में, मजूरी की साधारण दर का दुगना'

सेंटर ने इस बात को मन्जूर कया है और अभी नहीं, १९५० में हमारा यह कायदा बना है। जहां तक स्टेट्स का सम्बन्ध है, इस पेमेंट आफ़ वेजिज़ स्कीम के तरीके ने यह मामला स्टेट्स के सुपुर्द कर दिया है। ज्यादातर स्टेट्स ने मिनिमम वेजिज़ निश्चित किये हैं—कहीं कहीं सवा और कहीं डेढ़। वहां कोशिश करनी चाहिए कि वे उस को बढ़ायें और वे बढ़ा सकते हैं—उन के पास बढ़ाने की सत्ता है। वे कमेटी कर के बढ़ा सकते हैं।

जहां तक कि इसके अमल का ताल्लुक है, एक कमेटी भी है, जिससे मदद ली जाती है और देखा जाता है कि इन पर बराबर अमल होता है या नहीं।

यह भी जिक्र किया गया है कि औरत और मरद के वेतन में फ़र्क है। उसका यह फ़ैसला है—और हम भी यही चाहते हैं—कि जहां काम एक किस्म का हो, वहां औरतों और मरदों के वेतन में किसी किस्म का फ़र्क न हो। यह बात कई दफ़ा यहां कही जा चुकी है। मगर कहीं कहीं खुद मिनिमम वेजिज़ कमेटीज़ जो हैं, वे इस बात का ख्याल रखती हैं कि अगर यह चीज़ कर दी गई, तो औरतों का काम कम हो जायगा, औरतें चली जायेंगी यानी जहां जहां वे काम करती हैं, वहां से वे हटा दी जायेंगी। वह चीज़ ख्याल में रख कर भी कभी फ़र्क कर देते हैं, लेकिन जहां तक केन्द्रीय सरकार की पालिसी का सम्बन्ध है, वह स्पष्ट है और कई दफ़ा स्पष्ट की जा चुकी है। इसमें किसी भी माननीय सदस्य को ज़रा भी शक नहीं करना चाहिये।

म्यूनिसिपैलिटी में जो काम करते हैं, उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में वहां के कानून हैं।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : लेकिन वहां के कानून बेकार हैं।

श्री आबिद अली : मैं यह नहीं कहता कि वहां के कानून बेकार हैं, लेकिन अगर बेकार हैं, तो हम उनको कारामद नहीं कर सकते। यह हमारी शक्ति के बाहर है। उसके लिये प्रजामत होना चाहिये, मज़दूरों का संगठन होना चाहिये। अगर वहां के कानून बेकार हैं, तो उन को मुकाबला करना चाहिये और उन को बाकार बनाना चाहिये। यहां इस किस्म की बातें कर देने से वे उपयोगी नहीं हो सकते।

मेरी अर्ज यह थी कि किसी एक खास काम करने वालों को अलग से लेकर उनके लिये खास कायदे बनाये जायें म्यूनिसिपैलिटी में, यह सम्भव नहीं है। जो सब काम करते हैं, उनको ख्याल में रख कर, कानून बनाये जाते हैं और उन कानूनों पर अमल भी होना चाहिये।

कानपुर के माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया था कि नैनी में कुछ लोगों पर लाठी-चार्ज किया गया, क्योंकि वे स्ट्राइकर्ज थे। मालूम नहीं कब न मित्रों को इस बात का यकीन आयगा कि स्ट्राइकर्ज पर कोई ला ी-चार्ज नहीं कर सकता—करना नहीं चाहता।

श्री सरजू पाण्डेय : मगर होता है।

श्री आबिद अली : गलत है। मैं नहीं मानता हूं। लाठी-चार्ज दिल्ली में हुआ था जब देश-प्रेमियों ने कम्यूनिस्टों की मीटिंग को रोकने के लिये एक प्रोसेशन निकाला था और कम्यूनिस्टों की

मीटिंग में थोड़े से आदमी थे, जबकि हजारों उसको रोकना चाहते थे और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया था। लाठी-चार्ज तो उन पर होता है, जो कि कानून के खिलाफ़ काम करते हैं, फिर चाहे वे कांग्रेस वाले हों, या बे कांग्रेस वाले हों, कम्यूनिस्ट हों, या कोई हों। पुलिस का काम है कि कानून का अमल कराये और जो कानून तोड़ता है, उसके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जाती है। नैनी में स्ट्राइकर्ज़ पर लाठी-चार्ज स्ट्राइक करने की वजह से नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने और चीजें की थीं, जो कि नहीं करनी चाहियें, किसी भी सभ्य आदमी को और खास कर हिन्दुस्तानियों को। उन्होंने कुछ ऐसे काम किये थे, इसलिये कुछ जरूरी कार्यवाही करनी पड़ी।

जहां तक घरेलू कर्मचारियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि यह मामला पार्लियामेंट की इन्फ़ार्मल कनसल्टेटिव कमेटी के सामने पेश किया गया था। उसमें सब तरफ के मेम्बर साहबान हाज़िर थे और वहा पर सर्व सम्मति से जो फ़ैसला हुआ था, उसके अनुसार, मद्रास में जो इंडियन लेबर कान्फ़रेंस हुई, उसमें इस विषय को पेश किया गया। जो यहां फ़ैसला हुआ था, वह वहां भी हुआ और उस फ़ैसले के अनुसार हमने दिल्ली में एक दफ्तर खोला है, जहां पर, उनको जो सहायता देने को निश्चय किया गया था, उसको देने का काम शुरू कर दिया गया है। यह शुरू शुरू है। शुरू में जरा आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता है, लेकिन जैसा निश्चय किया गया, वैसा अमल कर दिया गया है। जो फ़ैसला हुआ है, उस में सब पार्टियों के लोग, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सब लोग सहमत थे। सर्व-सम्मति से वह फ़ैसला हुआ है। जुलाई में वह फ़ैसला हुआ था और अब हम दिसम्बर में हैं और उस पर अमल कर दिया गया है। इस अरसे में ऐसी कोई चीज नहीं हो गई है कि उस फ़ैसले को बदलने की ज़रूरत पैदा हो गई हो।

भोपाल वग़ैरह के बारे में एक बात यहां पूछी गई थी। जो जो पुरानी स्टेट्स के हिस्से बड़े हिस्सों में मिल गये हैं, कानून के लिहाज़ से जो कायदे वहां एक हिस्से में लागू थे, वे सब में लागू हो गये हैं। हिमाचल प्रदेश का ज़िक्र किया गया है। मैंने अभी इस रूल की पच्चीसवीं धारा का ज़िक्र किया। वह वहां अमल में आ गया है।

यह जो चीज़ आपके सामने पेश है इसके बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि दो ऐतराज़ात हैं। पहला तो यह है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम समझते हैं कि दुगना उनके ज्यादा काम के घण्टों का वेतन मिलना चाहिये। इससे हम सहमत हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो भी घण्टे काम के निश्चित किये गये हैं उनसे ज्यादा काम लिया जाए। हम चाहते हैं कि काम के जितने घण्टे निश्चित हो गये हैं, उतने समय में ही काम खत्म कर दिया जाया करे। लेकिन अगर कभी मजबूरी हो, ज्यादा काम लेने की जरूरत हो तो उनको दुगना वेतन मिलना चाहिये। जहां तक सैंट्रल गवर्नमेंट का सम्बन्ध है हम यह कायदा पास कर चुके हैं और यह अमल में आ रहा है। जहां पर यह अमल में नहीं आ रहा है और जिन स्थानों का माननीय सदस्यों ने ज़िक्र किया है, उनके बारे में अगर हम सहायता देने की स्थिति में होंगे तो अवश्य सहायता देंगे। हम हर प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस सब चीज़ पर अमल हो। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है और जिन की चर्चा यहां की गई है, उनके यहां होने वाली बेकायदगियों की तरफ ध्यान दिलाया गया है, उन तक हम आपके विचार पहुंचा देंगे और अपनी राय भी उनको हम दे देंगे।

एक और बात कही गई है कि जो कि मुश्किल है। इस अमेंडमेंट में यह रखा गया है कि पिछले दस साल से जो वेतन दिया जाता था उसका फिर से खयाल किया जाये और उसमें कमोबेशी अगर कहीं मालूम हो, तो उसको पूरा किया जाये। यह असम्भव चीज़ है। इसका हमें दुःख के साथ विरोध करना पड़ता है।

[श्री आविद अली]

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस आश्वासन पर जो कि मैं दे चुका हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इसपर अमल करायेंगे, कहीं कमजोरी हो रही हो, तो उसको पूरी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में कहीं कहीं जो कहा गया है, उन तक आपके ख्यालात पहुंचा देंगे और उनके बारे में अपने विचार भी पहुंचा देंगे, जहां तक रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट का तालुक है, वह असम्भव चीज है यह आप भी मानेंगे, इस बिल को प्रेस नहीं करेंगे और मैं समझता हूं कि उनका जो हेतु इस बिल को रखकर चर्चा करने का था वह पूरा हो गया है और अब वह इसे वापिस ले लेंगे। जहां तक सक्यूलेशन का सवाल है, वह तो पैदा ही नहीं होता और उसको हम मंजूर नहीं कर सकते हैं।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और हृदय से उस मन्तव्य का समर्थन किया है जो मैंने इस मिनिमम वेजिज एमेंडमेंट बिल के अन्दर दिया है। न्यूनतम मजूरी विधेयक जो सन् १९४८ का है उसकी धारा १४ में यह एक साधारण सा एमेंडमेंट लाने का मेरा विचार सारे देश में घूमने के बाद हुआ। भंगी जांच समिति के सहारे सारे देश में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि अभी भी ओवर-टाइम होता है, फैक्ट्रिज के अन्दर भी, म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर भी, खेतों पर भी और कानून में व्यवस्था होते हुए भी उस बात को टाला जाता है और इस बात की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा था।

यह ठीक है कि प्लांटेशन एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंज एक्ट है और शाप्स एण्ड कमर्शियल एस्टेबलिशमेंट्स एक्ट हैं और उनके अन्दर कुछ प्राविजंज हैं। यही नहीं बल्कि कहीं कहीं जैसा मैंने इस बिल पर बोलते हुए २७ नवम्बर को कहा था कि अब भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अन्दर, यूनियन टैरिटरीज के अन्दर और दूसरी बहुत सी जगहों पर भी उन बातों पर अमल नहीं हो पा रहा है जिनका फैक्ट्रिज और कारखानों से तालुक है। न वहां आधुनिक रूल्स बने हैं। मैं यह जानता हूं कि अगर इस दुगुनी मजूरी की मांग को ओवर-टाइम के लिये मान भी लिया जाए तो कोई ऐसा उद्योग आप नहीं देख सकते कि जिसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं यह जानता हूं कि अब भी अगर हम यह देखें तो हमें पता चलेगा कि मोटर एण्ड ट्रान्सपोर्ट के अन्दर लगे हुए दो लाख से ज्यादा कर्मी जो हैं, उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और कानून के अन्दर कोई इस तरह का पैंशन भी नहीं है। यही नहीं बल्कि इस तरह के कारखानों में जो लोग काम करते हैं और कारखानों में ही नहीं बल्कि दफ्तरों के अन्दर भी कहीं कहीं इस तरह की कैटगरीज हैं जिनको इतना काम करना पड़ता है कि कुछ ठिकाना ही नहीं। मैं उनमें से कुछ के नाम आपको बतलाना चाहता हूं। पियन-कम-चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार और जो मजदूरों का कल्याण विभाग है, उसके अन्दर जो सुपरवाइजर्ज और वर्कर्ज हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है। यही नहीं म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर, कारपोरेशन्स के अन्दर, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया कमेटीज के अन्दर और पंचायतों के अन्दर जो स्वीपर एण्ड स्केवेंजर्ज, भंगी और सफाई मजदूर हैं, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। स्वीपर-कम-चौकीदार या पीयन-कम-चौकीदार को आठ घंटे की ड्यूटी देनी होती है, लेकिन उनसे इससे कहीं अधिक काम लिया जाता है, रात को भी उनको अधिकतर काम करना पड़ता है और मैं कह सकता हूं कि बीस घंटे से भी अधिक उनसे काम लिया जाता है। इस तरह से हजारों आदमी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर तथा दूसरी जगहों पर मौजूद हैं, जिनको इतने घंटे ड्यूटी देने के लिये मजबूर किया जाता है उन्हें ओवर टाइम नहीं दिया जाता। यह ही नहीं बल्कि काम का क्षेत्र भी बड़ा होता है।

जो कल्याण विभाग में सुपरवाइज़ होता है, उसके वेतन को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वह ८० रुपये से स्टार्ट करता है लेकिन जो अधिकारी होता है या दूसरे वर्ग के सोशल-वर्कर होते हैं, उनको २०० रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है । इन सुपरवाइज़र्स को आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है । इसके अलावा जो मज़दूरों की कालोनीज़ में जा कर, अलग अलग बस्तियों में जा कर उन्हें लोगों से कांटेक्ट (सम्पर्क) स्थापित करना पड़ता है, लोगों से एक तरह से मिलना होता है, उसमें कितना ही वक्त उनका लग जाता है । इस तरह से कितनी ही कैटेगरीज़ हैं, जिन पर इस ओवरटाइम का प्रभाव पड़ता है । यह ठीक है कि ओवरटाइम के लिए डबल वेजिज़ की बात को आपने शैडयूल्ड एम्पलायमेंटस के अन्दर माना है । लेकिन मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि अगर आप अमल के रूप में देखें, इम्लेमेंटेशन के रूप में देखें तो आपको पता चलेगा कि उस पर उतना इम्पलेमेंटेशन नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए और न हो रहा है । साथ ही साथ इस तरह से एरियर्स भी मौजूद हैं और वे बढ़ते ही जाते हैं ।

मैं मानता हूं कि आप का ध्यान उधर जाता है । लेकिन इस बिल में मैंने कहा था और अब भी कहता हूं कि मिनिमम वेजिज़ आप चाहते हैं और उस के लिए आपने कदम भी उठाये हैं और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं । लेकिन जब तक आप मिनिमम वेजिज़ के रेट मुकर्रर नहीं करते हैं, ठीक तरह से वेज पालिसी निर्धारित नहीं करते हैं, पालिसी को अमली रूप नहीं दे पाते हैं तब तक कोई लाभ नहीं है । इसका प्रभाव ओवरटाइम पर भी पड़ता है ।

यह ठीक है कि जहां तक औद्योगिक मज़दूरों का ताल्लुक है उन पर उतना प्रभाव न पड़ता हो लेकिन म्यूनिसिपल वर्कर्स पर, म्यूनिसिपैलिटीज़ के अन्दर काम करने वाले लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और जरूरी बात है जिन जिन स्टेट्स के अन्दर इसके बारे में कानून मौजूद हैं और जहां जहां मजदूरों के साथ उदासीनता का बरताव किया जाता है और उनको टालने की कोशिश की जाती है, वहां पर ठीक तरह से इन पर अमल हो । इस हेतु मैंने इस बिल को यहां पेश करके आपका ध्यान इस ओर खींचा था ।

मैं ने माननीय मंत्री महोदय के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है और उस में एक आशा की झलक भी दिखाई दी है । लेकिन मैं चाहता हूं कि कानून पर अमल करके वह झलक हमें दिखाई देनी चाहिए । आपने देखा है कि यहां जौलाई १९५७ में दिल्ली के अन्दर भी इस तरह का सफाई मजदूरों का एक आन्दोलन चला था और वह आन्दोलन इस देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि संसार के मजदूरों के इतिहास में एक अपना स्थान रखता है । उस वक्त भी आप जानते हैं कि उन बेकसूरों पर गोली चली थी और बहुत सी बातें हुई थीं । अब भी चार पांच दिन हुए हैं पुरानी दिल्ली में जो कारपोरेशन है उसके दफ्तर के सामने भी मजदूरों ने प्रदर्शन किया था और उसमें ओवरटाइम की बात थी । वह कहते थे कि हमारा ओवरटाइम करीब १० लाख रुपये के बनता है । अगर १० लाख नहीं तो कुछ लाख तो बनता ही है । वह मजदूरों को नहीं मिल पाता है । क्यों नहीं मिल पाता है कि आप का कानून मदद नहीं करता है । मेरे एक साथी ने बताया और मैं भी इसे कहना चाहता हूं कि इस रूप में जो सन्डे की छुट्टियां हैं या और क्लोजिंग हालिडेज हैं उन पर भी सब को छुट्टी होती है लेकिन उन को काम करना पड़ता है । और इस छुट्टी के लिए कानून में किसी तरह का प्राविजन न होने की वजह से उन को ओवरटाइम नहीं मिल पाता है । यही नहीं, आप यह भी देखिये कि जब कोई महामहिम परम श्रेष्ठ विदेशी मेहमान या हमारे कोई मंत्री आदि आते हैं तो म्युनिसिपैलिटी के मजदूरों को काम करना पड़ता है, रात दिन जुट कर काम करना पड़ता है क्योंकि कानून के अन्दर उस को कोई मदद नहीं हो पाती है । मैं यह कहना चाहता हूं आप इधर ध्यान दें । इससे आपको भंगी की दशा व काम का भान होगा कि उन्हें कितना ज्यादा काम करना पड़ता है ।

श्री आबिद अली : जरूर देंगे ।

श्री बाल्मीकी : ठीक है, आप की तरफ से हमें आशा बंधती है । जहां तक इन सफाई मजदूरों का ताल्लुक है मैं जानता हूं कि आप की हमदर्दी उन की तरफ है । यह भी ठीक है कि जब पिछले दिनों यहां पर आन्दोलन हुआ था तो केन्द्रीय सरकार की हमदर्दी उन की तरफ थी । हम लोग कभी भी इसे भूल नहीं सकते, हमें हिन्दुस्तान के सफाई मजदूर और म्युनिसिपैलिटीज में काम करने वाले भंगी आदि । लेकिन यह बात जरूर है कि उन की तरफ आज भी म्युनिसिपैलिटीज का व्यवहार और कारपोरेशन्स का व्यवहार कुछ अनुदारतापूर्ण है, जिस के अन्दर कुछ अत्याचार की झलक आती है । मंत्री जी ने यहां पर "मुकाबला" शब्द कहा है कि वे इस अत्याचार का संगठन के साथ मुकाबला करें । मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इन मजदूरों का मुकाबला दूसरे मजदूरों से किया जाय तो सफाई मजदूर इस मुकाबले में कभी भी पीछे रहने वाले नहीं हैं । उस की हिम्मत बढ़ती ही रही है और आगे भी बढ़ेगी । मैं सारे देश के अन्दर जाता हूं और इस तरह का अवसर हमारे अपने महान नेता पण्डित पन्त और सहृदय नेता दातार जी जो यहां बैठे हुए हैं उन की वजह से मिला है । उन के द्वारा भंगी जांच कमेटी कायम हुई है । उस के साथ सारे देश में जाने के कारण मैं कह सकता हूं कि उन को इस मामले में नेगलेक्ट करने की जो बात कही जाती है, उदासीनतापूर्ण व्यवहार की जो बात कही जाती है, वह सही है । आज सारे देश के मजदूरों के साथ उन के मुकाबले की बात क्या है ? आप सिर्फ मुकाबला करते हैं, उन को मजदूरी का, लेकिन अब वह दिन गये जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे और उनको दबाया जा सकता था ।

श्री आबिद अली : खलील खां तो चले गये ।

श्री बाल्मीकी : आज बतलाया जाता है कि इन मजदूरों की जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है । लेकिन मैं कहने के लिए तैयार हूं कि आज भी उनको किस प्रकार एक स्थिति का मुकाबला करना पड़ता है और हर मजबूरी के रहते हुए भी हालात से टकरा सकते हैं :—

"अये मौजे हवायस बेकसों से दूर ही रहना,
शकिस्ता किश्तियां अक्सर उलझ पड़ती हैं तूफां से ।"

यह बात ठीक है, कि ऐसी स्थिति के साथ मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं । मैं अपनी बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जहां तक इन मजदूरों का ताल्लुक है इस बात को कबूल करना चाहिये :—

"परन्तु जहां कहीं पर अधिक काम के लिए मजूरी की दरों का निश्चयन करने के उपबन्ध नहीं हैं वहां वहां मजूरी को साधारण दरों का दुगना होगा ।"

यह एक साधारण सी बात है । आज हमारी सरकार, जो समाजवादी सरकार है, समाजवादी ढांचे से दूर हट कर नहीं सट कर चलती है, और समाजवाद को सही तौर पर लाना चाहती है, मैं नहीं समझता कि इस साधारण सी बात में वह हमारी मदद नहीं करेगी ।

मैं चाहता था, जैसा कि मेरे साथी श्री मोहन नायक जी ने संशोधन पेश किया है, कि इस बिल को सारे देश में राय जानने के लिए भेजा जाय क्योंकि इस का सारे देश पर, सारे देश के मजदूरों पर, प्रभाव पड़ता है । मैं भी उन के इस कथन में कुछ व्यवहारिकता समझता हूं । हमारे माननीय मंत्री जी ने इस के लिए मना कर दिया है, लेकिन मैं कहने के लिए तैयार हूं कि ११-१०-५८ के नोटिफिकेशन के बावजूद कि स्टेट्स गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स बनाते हुए म्यूनिसिपल वर्कर्स को भी ध्यान में रखेंगी और उन के लिए रूल्स बनायेंगी, बहुत सी यूनियन टेरिटरीज के अन्दर इस

तरह से रूल्स नहीं हैं, यू० पी० के अन्दर नहीं हैं, बहुत सी और स्टेट्स के अन्दर नहीं हैं। इन मजदूरों को किसी तरह के रूल्स से सन्तोष नहीं होगा जब तक आप उन रूल्स को ओवररूल कर के मिनिमम वेजेज एक्ट में आमूल परिवर्तन करने का बिल यहां न लायें। जब तक आप सही तौर से संशोधन करने के लिए बिल नहीं लाते तब तक मैं समझता कि कोई भी इन मजदूरों की हालत को थोड़ा सा भी बदल सकता है।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन चाहता हूं कि आप का ध्यान इन बातों की तरफ जाय जिन की मैं ने चर्चा की है। यहां पर बेगार की तरफ इशारा किया गया है। मैं कहने के लिए तैयार हूं कि जिस तरह से हमारे इन मजदूरों से काम लिया जाता है वह एक प्रकार से बेगार ही है। जब तक आप इस बात के लिए कोई संशोधन मंजूर नहीं करते, खास तौर से उन लोगों के कल्याण के लिए, तब तक वह बेगार चलती ही रहेगी। किस रूप में उन को बाहरी कानूनी सहायता होती है, उस को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है लेकिन कितने गरीब आदमी या मामूली मजदूर यह सहायता प्राप्त कर सकते हैं यह किसी को मालूम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई अधिक बात कहूं लेकिन यह कहने के लिए तैयार हूं कि यहां पर यह साधारण सा संशोधन किया जाय। माननीय मंत्री जी ने भी उस की व्यवहारिकता को माना है। जहां तक वेज रेट का सवाल है, इस पालिसी को लाने का प्रश्न है, मैं ने पहले भी कहा था कि एक परमनेन्ट वेज फिक्सिंग मैशीनरी होनी चाहिए जो इधर देख सके। लेकिन अब तक इस तरह को मदद नहीं हो सकी है। यहां कमेटियां बनती हैं, मंत्री जी ने जिक्र किया कि कमेटियां हैं। लेकिन उन कमेटियों में इस तरह के आदमी होते हैं जिन का दिमाग फैक्ट्रीज के चारों तरफ ही चलता है पर म्यूनिसिपल वर्कर्स जो हैं, खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं, घरेलू मजदूर हैं, उन की तरफ नहीं जाता है। उन का काज नेगलेक्ट होता है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह की कमेटी है या कोई दूसरी कमेटी इस तरह की आप कायम करें तो उस में म्यूनिसिपल वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उस में म्यूनिसिपल वर्कर्स का भी रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। इस तरफ मैं आप का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक इंसपेक्शन एण्ड एन्फोर्समेंट का प्रश्न है, वह म्यनिसिपल वर्कर्स के ओवरटाईम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि जो आपकी फैक्ट्रीज के इन्सपैक्टर हैं या दूसरे इस तरह के अधिकारी हैं वह अभी भी जो मिल मालिक हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं। मेरा अपना खयाल है कि उन पर पहले से ज्यादा काम है और इसलिये भी वह इस काम को नहीं देख पाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप इस तरह की एक अलग मशीनरी कायम करें जो इस तरफ देख सके कि जो लोग ओवरटाइम करते हैं उनको उतना पैसा भी मिलना चाहिये और वह ठीक तरह से रजिस्टर में दर्ज भी होना चाहिये। फैक्ट्रीज के अन्दर काम के जो घण्टे लिखे जाते हैं वह कम लिखे जाते हैं। लिखा कुछ और जाता है और दिखाया और जाता है। मैं खास तौर पर कह सकता हूं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज का ताल्लुक है, वहां जो इन मूक मजदूरों पर दबाव चलता है उस दबाव में मजदूरों को ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है लेकिन इस के लिये उसको कानूनी मदद बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। इसके लिये मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, यह दोष नीचे से शुरू होता है और हल्के हल्के आप के पास भी आता है। यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो मैं इस बात का कोई विशेष तरह से नहीं कहना चाहता पर इतना जरूर है कि जब तक आप पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स पर इस के बारे में निगाह नहीं करेंगे तब तक उन से कोई खास उम्मीद नहीं। जब तक आप उन मजदूरों को जो कि सफाई के मजदूर हैं, खयाल नहीं करेंगे तब तक उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरह से शेड्यल्ड एम्प्लायमेंट्स के अन्दर बेज रेट पर डबल ओवर टाइम मिलता है उसी तरह से इन लोगों के लिये भी होना चाहिये।

[श्री बालमीकी]

जहां तक आपने एरिर्ज की ओर इशारा किया है मैं कहना चाहता हूं कि लाखों के एरियर्स तो सभी जगह हैं और वह पे नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक व्यवहारिकता के साथ एक निश्चय पर आने का सम्बन्ध है, मैं यह चाहता हूं कि आप एक सीमा निर्धारित करें और उनका उल्लंघन न करें। आप सीमा निर्धारित करते हुए सोचें कि अगर उन्होंने यकीनी तौर पर काम किया है तो उस का पैसा उन को मिलना चाहिये। आप इस में भी उन की मदद करें। इसमें कोई व्यक्तिगत केस रखने की बात नहीं है, लेकिन सारे देश में इस पर अमल नहीं हो रहा है। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन्स का ताल्लुक है इस पर बिल्कुल अमल नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैंने इस की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया था और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मन्त्री जी से मेरी आशा है, जैसा कि उन्होंने यहां पर वादा किया है, और वह इस पर ध्यान देंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद पूरा हो जाता है तो मेरा मकसद और मन्तव्य तो उतना पूरा नहीं होता है लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक वायदा सा पूरा करने का इरादा नजर आता है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप उसमें मदद करेंगे और आप खुद सोच समझ कर इस तरह का कोई एक बिल यहां पर लायेंगे और उसको पास करेंने का प्रयत्न करगे लेकिन जब तक सरकार इस तरह का कोई बिल नहीं लाती तब तक के लिये श्री मोहन नायक जी ने जो संशोधन दिया है कि इसकी स्टेट्स की राय जानने के लिये भेजा जाय, उसे कम से कम मानें।

अब इसको स्टेट्स की राय जानने के लिये भेजे जाने का जहां तक ताल्लुक है तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक म्युनिसिपल वर्कर्स का ताल्लुक है, खेतिहर मजदूरों का ताल्लुक है मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि छोटी छोटी स्टेट्स हैं उन में म्युनिसिपल और खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेज मुकर्रर की गई हैं लेकिन वे इस ओवर टाइम से बच जाती हैं क्योंकि उसका ला के अन्दर मेंशन नहीं है। इतवार की छुट्टी में भी उनको काम करना पड़ता है क्योंकि ला के अन्दर किसी तरह का प्राविजन और ज़िक्र नहीं है। इसलिये इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से एक उत्तरदायित्वपूर्ण वचन चाहता हूं कि वे इस बारे में अगर थोड़ा सा संकेत भर कर दें तो मुझे सन्तोष हो जायगा.....

†**सभापति महोदया** : क्या माननीय सदस्य विधेयक को वापस लेना चाहते हैं।

श्री बाल्मीकी : मैंने अभी निवेदन किया और मैं समझता हूं कि सभानेत्री महोदया हिन्दी में कही गई मेरी बात को समझ गई होंगी। मैं मन्त्री महोदय द्वारा उस ओर इशारा चाहता हूं कि इस बिल को राय के लिये भेजा जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री खुद यह महसूस करें कि उसके लिये कानून में आज कोई प्राविजन और ज़िक्र नहीं है और इसलिये उन पर सफाई मजदूरों पर दबाव पड़ता है और मैं उसके बारे में माननीय मन्त्री जी से थोड़ा इरशारा चाहता हूं और उसके मिलने पर मैं अपने इस बिल को वापिस लेने के लिये राजी हो जाऊंगा।

श्री आबिद अली : जनाब मैं फिर अर्ज कर दूं कि जहां तक कि हमारी सेंट्रल टैरीटेरीज का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि काफी जगह यह अमल में आ रहा है। जहां जहां अमल में नहीं आया होगा तो जो मैंने २५वीं धारा बताई वह जल्दी अमल में लायेंगे। जहां तक स्टेट्स गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है तो जो सारी चीजें कही गई हैं उनको हम अपनी राय के साथ उनके पास भेज देंगे और गवर्नमेंट की

---

†मूल अंग्रेजी में

जो यह पालिसी है कि ओवरटाइम काम के लिये दुगुनी मजदूरी मिलनी चाहिये वह भी और आपने जो फरमाया है वह सब उन तक हम पहुंचा देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई ऐसा कानून ला रहे हैं ?

श्री आबिद अली : जी नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या चीज ला रहे हैं वह समझ में नहीं आई ? क्या कोई बिल या लेजिस्लेशन इसके लिये ला रहे हैं ?

श्री आबिद अली : न ला रहे हैं और न लाने का इरादा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आपने जो उन्हें यकीन दिलाया मैं समझ नहीं सका कि वह क्या था ?

श्री आबिद अली : मैंने यह कहा कि हमारे जो मिनिमम वेजेज कानून के सम्बन्ध में रूल्ज हैं उनमें यह है कि डबल ओवर टाइम मिलना चाहिये । सेंट्रल टैरीटोरीज में वह जहां अमल में नहीं है वहां जरूर अमल में आयेगा ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपना विधेयक वापस ले रहे हैं ।

†**श्री बाल्मीकी** : जी हां ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक को वापस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी नहीं ।

†**सभापति महोदय** : तो मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

> "कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

†**सभापति महोदय** : गणपूर्ति न होने के कारण सभा स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५९/२३ अग्रहायण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

---

†मूल अंग्रेजी में

[शुक्रवार, ११ दिसम्बर, १९५९
२० अग्रहायण, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२२११—३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
७९३	जमाये हुए तेल .	२२११–१३
७९४	रूपनारायण नदी पर पुल .	२२१३–१४
७९५	पोत निर्माण	२२१४–१५
७९६	सालन्दी जलाशय परियोजना	२२१५–१६
७९७	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२२१६-१७
७९८	पंजाब के लिये ट्रेक्टरों का आयात	२२१७–१८
७९९	दुर्गम क्षेत्र समिति	२२१८–१९
८००	रेलगाड़ियों में अपराध . .	२२२०–२१
८०१	रेलगाड़ी में पुलिस अफसर की हत्या .	२२२२–२३
८०२	रेलवे कर्मचारियों की भर्ती में विलम्ब	२२२४–२६
८०३	राजस्थान मरुस्थल . .	२२२६—२७
८०४	बारासेट—बसीरहाट रेलवे लाइन . . .	२२२७–२८
८०५	एरणाकुलम् में समुद्र-जीवविज्ञान गवेषणा एकक (मेरीन बायोलाजिकल रिसर्च यूनिट)	२२२८–२९
८०६	मछलियों का परिवहन .	२२२९–३०
८०७	रेलवे स्कूल, रतलाम . . .	२२३०—३२
८१०	मध्य प्रदेश में बहुप्रयोजनीय विकास योजना	२२३२
८११	ढले हुए लोहे के स्लीपर .	२२३२—३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. .	२२३४—७२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८०८	तीसरे दर्जे के वायु अनुकूलित डिब्बे में सोने का स्थान . .	२२३४
८०९	सफदरजंग हवाई अड्डे (नई दिल्ली) पर रेल का फाटक .	२२३४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

८१२	मनमड में रेल दुर्घटना	२२३५
८१३	तिसता नदी पर बांध	२२३५
८१४	लौह अयस्क का परिवहन	२२३६
८१५	रेलवे टिकट .	२२३६
८१६	गेहूं की भूसी की खरीद . .	२२३७
८१७	खराब स्लीपर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में जांच	२२३७
८१८	अखिल भारतीय स्वास्थ्यिकी तथा लोक स्वास्थ्य संस्था	२२३७–३८
८१९	डाक्टरों का उपयोग	२२३८
८२०	भीमकुंड परियोजना	२२३८
८२१	रेलवे निधि का गबन	२२३८–३९
८२२	राजखर्सवान—गुआ रेलवे लाइन	२२३९
८२३	रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर	२२३९
८२४	एयर इंडिया इन्टरनेशनल के लिये बोइंग ७०७ विमान	२२४०
८२५	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्ध में मजदूरों का भाग लेना	२२४०
८२६	हावड़ा गुड्स एकाउटंस आफिस में भ्रष्टाचार	२२४०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२८३	एयर इंडिया इन्टर नेशनल के लिये जेट कामेट—४ विमान	२२४१
१२८४	पंजाब में अनाज गोदाम	२२४१
१२८५	लेबल क्रासिंग पर पुल	२२४१
१२८६	जमाये हुए तेलों की कीमतें	२२४१-४२
१२८७	शाहगंज—मऊ सेक्शन	२२४२
१२८८	लकड़ी के स्लीपर	२२४२–४३
१२८९	डाकघरों में चैकों की व्यवस्था	२२४३
१२९०	प्लेटफार्म	२२४३
१२९१	पठानकोट स्टेशन	२२४३
१२९२	पंजाब में तपेदिक के मरीज .	२२४४
१२९३	फीरोजपुर डिवीजन .	२२४४
१२९४	पंजाब में फल परिरक्षण उद्योग	२२४४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१२९५	मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि लाभ	२२४५
१२९६	पंजाब में ग्राम पंचायत सड़क योजना	२२४५
१२९७	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन अस्पताल	२२४५
१२९८	क्षेत्रीय तथा राज्य जल नाली व्यवस्था बोर्ड	२२४५–४६
१२९९	टेलीफोन प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति	२२४६
१३००	दामोदर घाटी निगम अधिनियम	२२४६
१३०१	अन्तर्वर्ती पत्तन विकास समिति	२२४७
१३०२	पंजाब में भांडागार	२२४७
१३०३	गोहाटी हवाई अड्डे पर रडार	२२४७–४८
१३०४	कोणार्क और भुवनेश्वर में विश्राम-गृह	२२४८
१३०५	खाद्यानों का आयात	२२४८–४९
१३०६	उत्तर रेलवे पर जनता भोजन	२२४९
१३०७	चण्डीगढ़ रेलवे टर्मिनस	२२४९–५०
१३०८	अण्डमान से लकड़ी	२२५०
१३०९	अण्डमान से लकड़ी	२२५०
१३१०	चीनी का राज्य व्यापार	२२५०–५१
१३११	दिल्ली में राष्ट्रीय विस्तार सेवा/सामुदायिक विकास खण्ड	२२५१–५२
१३१२	हिमाचल प्रदेश में बीज फार्म	२२५२
१३१३	हिमाचल प्रदेश में 'प्रसंकर मक्का परीक्षण'	२२५२–५३
१३१४	औरंगाबाद हवाई अड्डा	२२५३
१३१५	पूजा के दिनों में गाड़ियों में सैलून लगाना	२२५३—५५
१३१६	लाहोल और स्पिति घाटी के लिये हरकारे	२२५५
१३१७	बाढ़ों से रेलवे को क्षति	२२५५–५६
१३१८	कुत्ते का काटना	२२५६–५७
१३१९	दिल्ली का अन्तरिम सामान्य नक्शा	२२५७
१३२०	फसल बीमा योजना	२२५७–५८
१३२१	मधु मक्खी पालन	२२५८–५९
१३२२	पंजाब के डाक डिवीजन में विस्तार	२२५९
१३२३	समुद्र-जीवविज्ञान गवेषणा केन्द्र	२२५९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३२४ सारडीन मछली २२६०
१३२५ डाक सेवा निदेशकों के निरीक्षण दौरे २२६०
१३२६ केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली . . २२६१
१३२७ एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली गाड़ियों में डिब्बे २२६१–६२
१३२८ अगरतल्ला में चैस्ट क्लिनिक २२६२
१३२९ त्रिपुरा में मीन क्षेत्रों का विकास . २२६२–६३
१३३० विनयनगर रेलवे स्टेशन के निकट वाले झोंपड़े २२६३
१३३१ हिमाचल प्रदेश में तपेदिक के रोगी २२६४
१३३२ गाड़ियों का रोका जाना २२६४–६५
१३३३ चीनी, खांडसारी और गुड़ का उत्पादन . २२६५
१३३४ दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों के लिये सड़कें २२६६
१३३५ छापी के निकट दुर्घटना २२६६
१३३६ तेलवाहक पोत २२६७
१३३७ रेलवे में चोरियां २२६७
१३३८ गेहूं की हानि . २२६७–६८
१३३९ भारतीय लोक अकाल न्यास २२६८–६९
१३४० राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ . २२६९
१३४१ उड़ीसा में विद्युत परियोजनायें २२७०
१३४२ राज्यों के कृषिमंत्रियों का सम्मेलन २२७०
१३४३ आसाम के लिये बिजली . २२७०–७१
१३४४ संघ राज्य-क्षेत्रों में बूचड़ खाने २२७१
१३४५ रेलवे वर्कशाप . २२७१
१३४६ विमान दुर्घटना . . . २२७२
१३४७ इम्फाल और सिलचर के बीच टेलीफोन संबंध २२७२

स्थगन प्रस्ताव २२७२—७६

अध्यक्ष महोदय ने, प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) के यह कहने पर कि वह बाद में इस विषय पर एक वक्तव्य देंगे, चीनी अधिकारियों द्वारा श्री करम सिंह के साथ किये गये व्यवहार के बारे

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

में, एक स्थगन प्रस्ताव को जिसकी सूचना सर्वश्री खुशवक्त राय तथा मोहन स्वरूप ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २२७६

१९५८-५९ के मौसम में खाद्यान्नों के बाजार में आने की गति और उसके तरीके के बारे में जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २२७६—७८

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने चतुर्थ अखिल भारतीय भाण्डागार कर्मचारी सम्मेलन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ पर १७ नवम्बर, १९५९ को श्री नारायण गणेश गोरे द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया।

वर्ष १९५९-६० के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २२७८—८३

प्रतिरक्षा, वित्त, सामुदायिक विकास तथा सहकार, खाद्य तथा कृषि, इस्पात, खान और ईंधन तथा परिवहन व संचार मंत्रालयों के बारे में १९५९-६० के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२८३—८४

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को, त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक, १९५९ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन २२८४—९५

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि त्रिपुरा भूराजस्व और भूमि सुधार विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये। विचार समाप्त नहीं हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २२९५

तिरेपनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित २२९५—९९

(१) श्री अजीत सिंह सरहदी का विधि व्यवसायी संशोधन विधेयक, १९५९ (नई धारा १४क का रखा जाना और धारा ४१ का संशोधन)